


हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही

19 मार्च, 2015

खण्ड-1, अंक-10

अधिकृत विवरण




विषय सूची

बुधवार, 19 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 01
बैंक - आउट	(10) 15
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरावलोकन)	(10) 15
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10) 18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 31
गैर सरकारी संकल्प	(10) 45
पंजाब विधान सभा के एम.एल.एज. का अभिनन्दन	(10) 74
गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरावलोकन)	(10) 74
बैठक का समय बढ़ाना	(10) 83
गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरावलोकन)	(10) 84
बैठक का समय बढ़ाना	(10) 86
गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरावलोकन)	(10) 86

मूल्य : **378**





हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 19 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कवर पाल) ने अध्यक्षता की

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल होगा।

Shortage of Staff

*505. Shri Asem Goel : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether it is a fact that there is shortage of staff in the Municipal Corporation of Ambala;
- whether it is also a fact that independent Commissioner of the said Corporation has also not been appointed; and
- if the reply to above (a) and (b) is in affirmative the time by which the shortage of staff is likely to be met out and an independent Commissioner is likely to be appointed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

- हां, श्रीमान जी।
- हां, श्री मान जी।
- नियमित भर्ती होने तक आऊट सोर्सिंग नीति के प्रावधान अनुसार रिक्त पदों को भरने बारे सरकार विचार कर रही है जिसके लिये प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। सरकार उपायुक्त, अम्बाला को आयुक्त, नगर निगम के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करके शीघ्र ही अधिकारी तैनात करेगी।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि डी.सी. के पास पहले ही बहुत काम होते हैं और अंबाला कारपोरेशन का चार्ज डी.सी. को दिया हुआ है। कारपोरेशन किसी भी शहर की लाईफ लाईन होती है। शहर की सड़कें बनाने के अलावा दूसरे काम भी कारपोरेशन को करने होते हैं लेकिन अंबाला कारपोरेशन में सेनीटेशन की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अंबाला शहर और अंबाला कैंट दोनों शहर अंबाला कारपोरेशन में आते हैं। यहां स्टाफ की भी बहुत कमी है। यहां 685 सैक्वान्ड पोस्टें हैं जिनमें से 260 पोस्टें

[श्री असीम गोयल]

वेकेंट हैं। जो पोस्टें वेकेंट हैं। उनमें एक कमिश्नर की पोस्ट है जो कि कारपोरेशन की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर, एस.ई. और दो पोस्टें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वेकेंट हैं। इनके अतिरिक्त दो पोस्टें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वेकेंट हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अंबाला कारपोरेशन में मुख्य-मुख्य सभी पद लगभग वेकेंट हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि कब तक अंबाला कारपोरेशन के रिक्त पदों को रेगुलर भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा ताकि दोनों शहरों में सुचारु रूप से काम हो सके तथा जनता की परेशानी दूर हो सके।

श्री अनिल बिज : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के कार्यों पर अब मैं क्या टिप्पणी करूं ? उन्होंने तो ऐसे-ऐसे काम किये कि they were putting the horse before the cart. उन्होंने नगरपालिकाओं को मिलाकर नगर निगम बना दिये। पिछले पांच वर्षों से उनमें जो नियुक्तियाँ करनी थी, वे भी नहीं की गईं। अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम बैटर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है लेकिन उनके कुकृत्यों की वजह से अंबाला शहर और अंबाला कैंट दोनों शहर कस्बे के रूप में कंवर्ट हो गये क्योंकि जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कमिश्नर नहीं है, एस.ई. नहीं है और एक्सियन नहीं है तो वह कारपोरेशन किस तरह से कार्य करेगी ? वहाँ ज्वॉयंट कमिश्नर भी हमारी सरकार ने लगाया है पिछली सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं जिनके लिए जनता हमेशा रोती रहेगी और उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों एक टवीट किया था कि राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान आदमी को उसके सलाहकार पहुँचाते हैं। हुडा साहब पर यह बात सही बैठती है। पता नहीं, इनके सलाहकार कौन थे जिन्होंने इनको सलाह दी और ये नगर निगम बना दिए गए ? स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि नगर-निगम बनाने का एक सिद्धांत होता है कि अगर कोई नगरपालिका बढ़कर इतनी बड़ी हो गई है कि वह नगर-निगम के दायरे में आ सकती है तो उस नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है लेकिन पिछली सरकार ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया और दो-तीन शहरों, बहुत बड़े ग्रामीण इलाके और नगर कांसिलज को मिलाकर नगर-निगम बना दिये। स्पीकर सर, आप इस बात का अंदाजा लगाईये कि किस प्रकार से अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए पंचकुला नगर-निगम में कालका और पिंजौर को मिला दिया गया। एक तरफ तो हम प्रशासन को लोगों के नजदीक लेकर जाना चाहते हैं। हर रोज़ हम छोटे-छोटे जिले बना रहे हैं, सब-डिवीजन बना रहे हैं और दूसरी तरफ कालका के एक व्यक्ति को अपना एक सर्टीफिकेट लेने के लिए पंचकुला आना पड़ता है। इसी प्रकार से अंबाला कैंट के व्यक्ति को अंबाला शहर जाना पड़ता है। इस बारे में पूरे सदन को मैं एक बड़े भ्रम की बात बताना चाहता हूँ कि अंबाला कैंट और अंबाला सिटी जो कि पूरी तरह से सेपरेट टाऊन्स हैं जिनकी आपस में कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं है इन दोनों शहरों को जोड़कर पिछली सरकार ने एक नगर निगम बना दिया। जब मैंने पूछा कि अंबाला कैंट और अंबाला सिटी को जोड़कर एक नगर निगम क्यों बना दिया है तथा इन दोनों शहरों की क्या कनेक्टिविटी है तो मुझे बताया गया कि इसका कारण जी.टी. रोड है। इस पर मैंने कहा कि फिर तो अंबाला से लेकर सोनीपत तक सभी शहरों को मिलाकर एक ही नगर-निगम बना दो। अगर जी.टी. रोड ही कनेक्टिविटी का आधार माना जाता है तो फिर जी.टी. रोड तो सभी शहरों को जोड़ रहा है। मैं उनसे अभी भी यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करने की जरूरत

क्या थी ? पिछली सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किये हैं जो पूरी तरह से तुगलकी फरमान थे। मैंने पिछली सरकार के इस प्रकार के सभी तुगलकी फरमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैंने विधान सभा से लेकर सड़क तक पिछली सरकार के सभी तुगलकी फरमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इन नगर निगमों के बारे में अब क्या किया जा सकता है इस बारे में सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी कि किसी नगर निगम के बनने से लोगों को क्या सुविधाएं मिली हैं और उनकी क्या दिक्कतें बढ़ी हैं ? हम इसका अनेलेसिस करेंगे और लोगों के विचार भी लेंगे। इसके लिए हम चुने हुए प्रतिनिधियों के विचार भी लेंगे। कुल मिलाकर हम इस पर पुनर्विचार तो जरूर करेंगे। मेरे विचार से श्री असीम गोयल जी और पंचकूला के विधायक भी इस बात पर सहमत होंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हम इस बारे में पुनर्विचार करके कार्यवाही करेंगे। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ आज का मूल प्रश्न यह है कि क्या इस नगर निगम में ये कर्मचारी लगा दिये जायेंगे ? Our Government was kind enough. इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कई नगर निगमों में बाकायदा इंडिपेंडेंट कमिश्नर की नियुक्ति की है। स्पीकर सर, पिछली सरकार द्वारा जो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर नगर निगम का भार डाला गया था वह पूरी तरह से अनुचित था। इससे बढ़कर डिप्टी कमिश्नर और लोगों के साथ और कोई ज्यादाती नहीं हो सकती क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर आलरेडी इतना ओवर-बर्डेन्ड होता है फिर वह यह कार्य कैसे देख सकता है कि कौन सी नाली गंदी है, कहां पर गंदगी पड़ी हुई है, कौन सी सड़क टूटी हुई है और कौन सी स्ट्रीट लाईट फूट गई ? ये सब काम एक डिप्टी कमिश्नर नहीं देख सकता। इसलिए यह कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पिछली सरकार ने सात नगर निगम बनाने की घोषणा की थी उसी समय से ही इनको सात कमिश्नर उन नगर निगमों में नियुक्त करने चाहिए थे लेकिन इनका काम तो काम बनाना नहीं काम बिगाड़ना था इसलिए जनता ने पिछली सरकार को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि ये उल्टे-पुल्टे काम करते थे। इस बारे में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नियमित नियुक्तियां जल्दी करना इतना आसान काम नहीं है। इस प्रोसेस में समय लगता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि कर्मचारियों के अभाव से शहरों का हाल निरंतर बिगड़ता जा रहा है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमारी सरकार ने, जो नियुक्तियां मुमकिन हैं, उनको आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत करने का निर्णय लिया है और हमने इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी जल्दी ही ये नियुक्तियां हो जायेंगी। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सवाल श्री असीम गोयल जी का है और जबाब मैं दे रहा हूँ लेकिन वास्तव में यह प्रश्न हमारा दोनों का सांझा है। इसलिए मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि बड़ी जल्दी ही ये नियुक्तियां हो जायेंगी।

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि डी.सी. गली की, नाली की, रोड़ की, स्ट्रीट लाईट की और पानी की व्यवस्था को नहीं देख सकता। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक एम.एल.ए. भी किसी नाली और गली के लिए इतना सजग नहीं हो सकता। हमारे पास जितनी शिकायतें आती हैं उनमें 100 में से 80 शिकायतें कारपोरेशन के काम की आती हैं क्योंकि यह कारपोरेशन का काम है। कारपोरेशन के पास स्टॉफ नहीं होता इसलिए आम जनता रो-रो कर दुःखी हो जाती है। अब तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जो अम्बाला कारपोरेशन है this corporation is by Incident and Corporater is also by incident. इस प्रकार से यह सब कुछ इंडिपेंडेंट से ही हुआ है और यह उनका

[श्री असीम गोयल]

दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था "स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा", उसकी अगर सबसे ज्यादा भिद पिट रही है तो वह इन कारपोरेशन्ज की वजह से पिट रही है। वहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है और जो स्टाफ है वह भी जवाबदेह नहीं है क्योंकि वे समझते हैं कि उनके ऊपर कोई चैक करने वाला नहीं है, नीचे जिस किसी को काम के लिए कहते हैं उनको भी डर नहीं है। कुल मिलाकर यह सारा सिस्टम खराब हो चुका है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक निश्चित समय-सीमा के तहत इनकी जवाबदेही तय की जाये और पारदर्शिता लाई जाये तथा जो स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन कारपोरेशन्ज में जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पद खाली पड़े हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरा जाए क्योंकि जवाबत कमिश्नर का पद भी हमारी सरकार में भरा गया है। अगर इस मिशन को पूरा करना है तो इन कारपोरेशन्ज में स्टाफ की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाये। पुरानी सरकारों ने तो जो करना था वह कर दिया है लेकिन अब तो उस समस्या को दूर किया जाना चाहिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में चिंतित है और बहुत जल्दी इन पदों को भर दिया जायेगा।

Up-Gradation of Schools

*498 Sh. Jasbir Singh : Will the Education Minister be pleased to state :—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the school of village Kherakhemawati, Budhakhera, Gangoli, Bhagkhera and Dhadoli etc. in Safidon constituency from High to Senior Secondary School; and
- if so, the time by which the above said schools are likely to be up-graded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सफ़ीदों निर्वाचन क्षेत्र में गांव खेड़ा खेमवती, बुढाखेड़ा, गांगोली, भाग खेड़ा तथा धड़ोली इत्यादि विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा प्रश्न के दूसरे भाग में इन्होंने पूछा है कि यदि इन स्कूलों का दर्जा बढ़ा रहे हैं तो कब तक बढ़ा दिये जाने की सम्भावना है ? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए विभाग ने मानक तय किये हुये हैं। उन मानकों के हिसाब से इन स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है और यदि विचार ही नहीं है तो बढ़ाने की तारीख बताना सम्भव ही नहीं है।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

को हम बढ़ाने जा रहे हैं उसमें कितने छात्र-छात्राएं आने की सम्भावना है इसका आकलन आस-पास के क्षेत्रों से पता करके बलाएँ। उन आंकड़ों के आधार पर तथा विशेषकर जिन विद्यालयों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है उन विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य की भावना की कदर करता हूँ। जहां तक माननीय सदस्य ने बुढाखेड़ा के विद्यालय का दर्जा बढ़ाने की बर्बा की है उस बारे में विभाग के पास जानकारी यह है कि उस स्कूल में टोटल 229 छात्र अध्ययनरत हैं जिनमें से 67 लड़कियां हैं। अगर नार्म्स के अनुसार वांछित संख्या इस स्कूल की होती तो विभाग माननीय सदस्य की अपेक्षा के अनुरूप सोच सकता है। लेकिन हमारे विद्यालयों की आज जो स्थिति है जिसके बारे में यह सदन भी परिचित है कि छात्र-छात्राओं की संख्या अब सरकारी संस्थाओं में कम हो गई है। परिणामस्वरूप अध्यापकों का रेशो बढ़ गया। मैं एक विद्यालय में गया था उस समय मैंने पूछा कि इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ? उन्होंने बताया कि उस स्कूल में 210 विद्यार्थी पढ़ते हैं फिर मैंने पूछा कि इस विद्यालय में प्राध्यापक और अध्यापक कितने हैं। उन्होंने कहा कि कुल अध्यापक 21 हैं। निष्कर्ष यह निकला कि 10 का रेशो शायद अमेरिका में भी नहीं होगा जो हमारे विद्यालयों में है। हमारी सरकारी संस्थाओं में बहुत स्थानों पर विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा स्टाफ वहां पर तैनात है। एन.सी.ई.आर.टी., तथा एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के निर्देशानुसार 1.40 का रेशो सही माना जाता है। हमारे इन्स्टीच्यूशंस में विद्यार्थियों की संख्या में जो भारी कमी आ रही है उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि क्यालिटी एजुकेशन को मेन्टेन किया जाए। कई संस्थाओं की आवश्यकता भी है। मैं माननीय सदस्य की अपेक्षाओं को अच्छी भावना के साथ नोट कर रहा हूँ।

श्री जसवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे करसिन्धु गांव के स्कूल को अपग्रेड करने के ऑर्डर हो चुके हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्कूल को अपग्रेड करने हेतु पुनर्विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : जसवीर जी, अपने प्रश्न के अलावा आपने अपनी बहुत सारी डिमांड्स रख दी हैं जो प्रश्न आपने पूछा था उसका जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है।

Details of the Supply of Urea in the State

***509 Shri Ghanshyam Dass :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the details of the supply of Urea in the State received during the year 2013-14 and 2014-15 till date; and whether the supply was sufficient according to the demand of the farmers ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्री मान् जी, सूचना सदन के पटल पर रखी गई है।

सूचना

राज्य में वर्ष 2013-14 (पूर्ण वर्ष) के दौरान तथा वर्ष 2014-15 (5-3-2015 तक) यूरिया की प्राप्त की गई आपूर्ति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा प्राप्त (लाख मीट्रिक टन में)
2013-14	17.89
2014-15	19.06

आपूर्ति किसानों की मांग के अनुसार पर्याप्त थी।

श्री धनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अतीत में ऐसा अनुभव रहा है कि किसान को किसी भी चीज, चाहे वह खाद है, चाहे वह सबसिंडी है, चाहे कीड़ेमार दवाई जैसे पेस्टीसाइडज़ हैं, ये चीजें किसानों तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है जिसकी वजह से किसान इन सुविधाओं का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार ने इस बारे में क्या नीति बनाई है ताकि भविष्य में किसानों को इसका लाभ हो सके। कृपया इसकी जानकारी सदन को दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो अपेक्षा है उस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एडवांस में जो प्लानिंग बनाई गई थी, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इसलिए हरियाणा प्रदेश में खाद का अभाव रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल सवाल यूरिया खाद की सप्लाई की प्लानिंग में दिक्कत के बारे में है, उसके बारे में मैं कुछ विवरण सदन को बता देना चाहता हूँ। पिछले वर्ष पूरे भारत में चुनाव थे तथा हरियाणा प्रदेश में भी चुनाव थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जितनी भी तरह की खाद आती हैं जैसे डी.ए.पी., एस.ए.पी. और एम.ओ.पी. ये लगभग 95 प्रतिशत बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। अध्यक्ष महोदय, यूरिया और यूरिया का जितना भी रा-मैटीरियल होता है वह हम लगभग 90 प्रतिशत बाहर से ही मंगवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में पिछली बार बड़ी मात्रा में जो यूरिया हमारे पास जून से अक्टूबर महीने तक आना चाहिए था, उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने फरवरी, 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी कि पूरे देश में वर्ष 2013-14 में 47.82 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2014 में 17.37 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति कम हुई। इसलिए यूरिया खाद की जो शॉर्टेज हुई, मैं मानता हूँ कि वह देशव्यापी हुई। इसके लिए समय से पहले टेंडर लगने चाहिए थे और टेंडर मैच्योर भी होने चाहिए थे लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कुछ टेंडर मैच्योर ही नहीं हुए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में रबी और खरीफ का सीजन होता है तथा हमारी सरकार रबी के सीजन के बाद सत्ता में आई थी। सरकार के पास रबी के सीजन में जो ओपनिंग स्टॉक था उसके मुताबिक खाद का आबंटन हुआ था। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में लगभग 11.49 लाख मीट्रिक टन खाद का आबंटन हुआ था और वर्ष 2014-15 में 10.50 लाख मीट्रिक टन खाद का आबंटन हुआ था। इस वर्ष 1 लाख मीट्रिक टन खाद का कम आबंटन होना ही निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्या का कारण बना। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उतनी ही खाद का आबंटन होना चाहिए था या उससे ज्यादा खाद का आबंटन होना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि वर्ष 2013-14 के अक्टूबर महीने का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख 35 हजार मीट्रिक टन खाद था और वर्ष

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

2014-15 के अक्टूबर महीने का ओपनिंग स्टॉक केवल 48 हजार मीट्रिक टन खाद ही था यानि 87 हजार मीट्रिक टन खाद की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, चौथी बात में सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2013-14 के अक्टूबर महीने में 1 लाख 79 हजार मीट्रिक टन खाद आई थी तथा एलोकेशन भी इतनी ही मात्रा में हुआ था जबकि वर्ष 2014-15 के अक्टूबर महीने में 1 लाख 33 हजार मीट्रिक टन खाद मिली तथा एलोकेशन 1 लाख 24 हजार मीट्रिक टन खाद का था। अध्यक्ष महोदय, अगर पिछले साल के अक्टूबर महीने की तुलना इस साल के अक्टूबर महीने से करें तो वर्ष 2014-15 में हमें कम खाद मिली। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 के नवम्बर महीने में 2 लाख 18 हजार मीट्रिक टन खाद मिली जबकि इस साल 1 लाख 91 हजार मीट्रिक टन खाद ही मिली। अक्टूबर, 2015 के आखिरी में हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जब सरकार को पता चला कि खाद का आबंटन कम हुआ है तो तुरन्त केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखकर 1 लाख मीट्रिक टन खाद का आबंटन बढ़वाया क्योंकि नवम्बर महीने में हमारे हिस्से के रैक अलॉट हो चुके थे। दिसम्बर महीने में हमको कैसे खाद मिले, इस कार्य के लिये सरकार पूरे जोर से लगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि तब तक तो प्रदेश में पैनिक बटन दब गया था और सब जगह यह बात फैल गई थी कि प्रदेश में खाद की कमी है। पिछले साल दिसम्बर, 2014 में 3.15 लाख मीट्रिक टन खाद आई थी जबकि इस बार 3.24 लाख मीट्रिक टन खाद मंगवाई गई अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा दिसम्बर, 2014 में 3.42 लाख मीट्रिक टन खाद लेकर आये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जनवरी, 2014 में 1.73 लाख मीट्रिक टन खाद आई थी तथा इस बार जनवरी, 2015 में हम 2.55 लाख मीट्रिक टन खाद लेकर आये। पिछली सरकार के समय में फरवरी, 2014 में 1.13 लाख मीट्रिक टन खाद आई थी जबकि अब फरवरी, 2015 में 1.54 लाख मीट्रिक टन खाद आई। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जब से हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से लगातार प्रदेश में ज्यादा खाद लेकर आ रहे हैं। अगर मैं पूरी रबी की फसल का हिसाब सदन को बलाऊं तो पता चलेगा कि पिछली रबी की फसल के दौरान 11.49 लाख मीट्रिक टन खाद का एलोकेशन था लेकिन खाद सिर्फ 9.20 लाख मीट्रिक टन आई थी जबकि इस बार फिर खाद का एलोकेशन 11.50 लाख मीट्रिक टन था जिसको हमने 12.50 लाख मीट्रिक टन तक बढ़वाया। अध्यक्ष महोदय, अब तक हम 11.00 लाख मीट्रिक टन खाद ले चुके हैं जो पिछली रबी की फसल के दौरान आई 9.20 लाख मीट्रिक टन खाद की तुलना में ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने देशव्यापी खाद की कमी की दिक्कत थी जिसका हमें एहसास था। उत्तरप्रदेश और हरियाणा में खाद के रेट का अन्तर 62 रुपये था और राजस्थान और हरियाणा में खाद के रेट का अन्तर 13 रुपये था। पंजाब राज्य में खाद के अभाव के कारण खाद ब्लैक में बिक रही थी, इस तरह से हमको अपने अड़ोस-पड़ोस के राज्यों में खाद के भाव के अन्तर को भी झेलना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुई और प्लानिंग इन एडवांस और प्लानिंग इन डिटेल् के अभाव के कारण इस कठिनाई को झेलना पड़ा। हरियाणा प्रदेश में खाद ब्लैक में जा बिके, इसलिए पुलिस विभाग की भी मदद ली गई लेकिन मीडिया के माध्यम से कई प्रतिपक्ष के नेताओं के उलाहने सरकार को सुनने को मिले कि सरकार ने खाद पुलिस थानों में बंटवा दी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरियाणा प्रदेश में खाद ब्लैक में नहीं बिकने दी इसके लिये सुव्यवस्थित इंतजाम किया गया। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, सरकार के अच्छे अनुभवों को देखते हुए मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी खरीफ की फसल के दौरान सही ढंग से खाद खरीदने की एडवांस में योजना बनाये ताकि किसानों को पुनः इस समस्या से जूझना न पड़े।

श्री ओमप्रकाश घनशङ्क : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर ध्यान दिलाया है, मैंने सबसे पहले इसी समस्या से सबक सीखा है। हमारी सरकार दो काम कर रही है, एक तो आगामी खरीफ की फसल में खाद का जितना एलोकेशन चाहिए उसके 25 प्रतिशत खाद को हम कैसे स्टॉक में रखें, इस प्रकार की योजना हम बना रहे हैं ताकि प्रदेश के अन्दर खाद की कमी को स्टॉक से पूरी कर सकें क्योंकि फसल के समय पूरे देश में खाद के आबंटन की ज्यादा माश-मारी होती है, उस हिसाब से जितने रैक हमको मिलने चाहिए वे नहीं मिल पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि प्रदेश में स्टॉक होगा तो खाद की मांग की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार की योजना से भविष्य में हमको कोई दिक्कत नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरी दिक्कत खाद के आबंटन की रहती है, जो पड़ोसी राज्यों और दूसरे अन्ध लोगों के इस्तेमाल के कारण भी होती है। खाद की जरूरत केवल किसान को ही नहीं बल्कि कई प्रकार की इन्डस्ट्रीज खासकर प्लाईवुड फैक्टरी में भी खाद की जरूरत ज्यादातर होती है। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में छापे मारे गये तथा एकाध जगह खाद पकड़ी गई और उनके ऊपर कसिज भी दर्ज किये गये। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि उनके पास खाद मिलने का कोई दूसरा आल्टरनेट रास्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने केंद्रीय खाद्य एवं उर्वरक मंत्री से कहा कि खाद को ओपन मार्केट्स में उस तरह से बेचे जिस तरह से मार्केट्स में दो तरह के सिलेंडर मिलते हैं। ऐसे लोगों के लिये फुल फ्लैज्ड रेट पर ऐसी दुकानें खुलनी चाहिए जहां पर उनकी जरूरत के मुताबिक खाद का इंतजाम हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के लिए एक "अटल खेती- बाड़ी खाता योजना" दो महीने के अन्दर बनाने जा रही है जिसके तहत प्रत्येक किसान चाहे उसमें भूमिहीन किसान हो, चाहे अपनी जमीन पर खेती करने वाला किसान हो, चाहे बाप-दादा की खेती में हिस्सा रखने वाला किसान हो, उस किसान की समस्त जानकारियाँ जैसे उसकी जमीन कितनी है, कितनी जमीन पर वह खेती कर रहा है, उसके पास अपनी जमीन है या वह किसी और व्यक्ति की जमीन पर खेती कर रहा है, वह कौनसी खेती कर रहा है, उसका बैंक अकाउंट कहां का है ताकि हम उसे जो सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि देंगे वह राशि देने में सहूलियत हो, उसकी अगली फसल की प्लानिंग क्या है अर्थात् वह कौन-सी फसल उगाने जा रहा है, उसको किस तरह के सीड्स, पेस्टीसाईड्स और फर्टिलाईजर्स इनपुट की आवश्यकता हैं और किस महीने में इनकी आवश्यकता है हम यह सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। यह डाटा हमारे क्रोप मैनेजमेंट में काम आएगा। इस डाटा के उपलब्ध होने से हमारे पास उसकी एक थ्रूनिंग आईडी हो जाएगी जिसके आधार पर हम यह भी तय कर सकेंगे कि हमको किस पर्टिकुलर गांव में कितनी खाद पहुंचानी है ? इस प्रकार से उस गांव को हम सारी खाद एक-साथ भी पहुंचा सकेंगे। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि हम बहुत बेटर मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आग तो जल में लगी हुई है तथा हम पत्तों पर जल छिड़क रहे हैं। अध्यक्ष जी, यूरिया और बनावटी खाद

[श्री रणधीर सिंह कापड़वासा]

के प्रयोग से हमारी भूमि शक्तिहीन होती जा रही है। आप ये खाद जितनी ज्यादा अरेंज करोगे उतनी ही हमारी भूमि खराब होती जाएगी। इसलिए किसान के भले के लिए वैद्यारिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे किसानों को जैविक खाद और प्राकृतिक खाद की आवश्यकता है। इसमें कमी आने की वजह हमारे कृषि वैज्ञानिक... (विध्वन)

श्री अध्यक्ष : यह सैप्रेट क्वेश्चन है। आप बैठ जाइए।

Sports Stadium in Radaur

***496. Shri Shyam Singh Rana :** Will the Sports & Youths Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a modern sports stadium in Radaur constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी। रादौर निर्वाचनक्षेत्र में 03 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर गांव बरसाना, नागल तथा गोलनी में निर्मित हैं। एक राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, रादौर एवं 04 मिनी/ग्रामीण खेल स्टेडियम गांव चामरोड़ी, पालेवाला, नाहरपुर तथा जयपुर में निर्माणाधीन है।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बलाना चाहता हूँ कि मेरा सवाल आधुनिक स्टेडियम से संबंधित था। आप तो सिम्पल स्टेडियम बनवा रहे हैं। आपने 3 स्टेडियम पहले ही बनवा रखे हैं और 5 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। आप तो जानते हैं कि रादौर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि यह क्षेत्र यमुना नदी के साथ लगता है। वहां पर हमारे पास गोताखोरों की नहीं है। अगर वहां पर कोई बच्चा पानी में डूब जाता है तो गोताखोरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे जो भी स्टेडियम बनवाएं उसमें स्वीमिंग पुल भी जरूर बनवाएं ताकि बच्चों को स्वीमिंग की ट्रेनिंग मिल सके और वे पानी में डूबते हुए बच्चों को बाहर निकाल सकें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि माननीय सदस्य श्री श्याम सिंह राणा बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इनकी हाईट इतनी अच्छी है कि ये आज भी खड़े होकर जैवलिन शूट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और अब भी हैं। माननीय सदस्य ने रादौर में मॉडर्न स्टेडियम बनाने की बात कही है। अब तो राजीव गांधी का नाम भी हटाना पड़ेगा। (विध्वन)

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, this is wrong. Hon'ble Minister is making mischievous remarks.

Shri Anil Vij : No, no these are not mischievous remarks.

Shri Kuldip Sharma : Now, the Government will remove Rajiv Gandhi ji name. Then they will remove everybody's name.

Shri Anil Vij : Yes, we are thinking over it. We will change it.

Shri Kuldip Sharma : Speaker sir, they cannot change it.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, Who is he?

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, I am a Member of this House.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, the Government will decide whether the names have to be changed or not? He is not in the Government. I am talking on behalf of the Government. (Interruptions) Speaker sir, he cannot direct the Chair. Why do not he understand ? How he dare to point out the Chair ? How he dare to direct the Chair ?

Shri Kuldep Sharma : He is an obnoxious, absurd, mischievous and mad man (Interruption).

श्री अध्यक्ष : मान्यवर, सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाईये, सदन के नेता इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आप बैठिये, सदन के नेता खड़े हैं। प्लीज बैठिये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सरकार के कामों की परिधि में यदि किसी व्यक्ति के नाम को बदलने का कोई प्रावधान हो तो वह नाम अवश्य बदला जायेगा। अगर कोई प्रावधान किसी नाम को बदलने का नहीं होगा तो उस व्यक्ति के नाम को नहीं बदला जायेगा। पिछली कुछ परन्पराओं में प्रावधान के बारे में भी दिया हुआ है।

श्री करन सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के रूलज़ में यह बात लिखी है कि जो व्यक्ति सदन में अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकता है। उसका जिक्र सदन में नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय श्री राजीव गान्धी इस देश के प्रधान मंत्री रहे हैं। हमें उनके प्रति आदर और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से एक माननीय सदस्य उनके नाम को लेकर क्या राजनीति करना चाहते हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, सदन के नेता ने सदन में इस बात का जिक्र किया है कि अगर कानून में यह प्रावधान होगा तभी किसी व्यक्ति के नाम को बदला जा सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह बात पूछना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उनके नाम को भी पिछली सरकार ने हटाने का प्रयास किया। केवल उनका नाम हटाने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट की दो इकाइयों का नाम बदलने का काम भी किया। मैं पूछना चाहूंगा कि उन लोगों के नाम जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई और जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, क्या सरकार उनके नाम दोबारा से उसी स्थान पर लगाने का काम करेगी ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आज तक जितने भी काम हुए हैं, सरकार उन सब कामों का अध्ययन करेगी और नियमावली के हिसाब से निर्णय लिया जायेगा तथा जो भी निर्णय लिया जायेगा, उस बारे में सदन को भी बतला दिया जायेगा।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, जिस बात को माननीय मंत्री जी ने कहा है उस बात पर इतना बवाल खड़ा हुआ। मुझे एक पीड़ा है और वह पीड़ा यह है कि कुछ लोगों के नाम तो इस देश में हजारों बार से भी ज्यादा रखे जा रहे हैं। इसके विपरीत हजारों लोग जिन्होंने इस देश के लिए आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया उनका नाम एक बार भी नहीं लिया जा रहा है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा दर्द का विषय है। यह बात कह कर कि

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

ये लोग सदन में नहीं हैं, इस बात को कहकर वे उनको बचा नहीं सकते। यह क्या स्थिति है कि इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट पर आप हवाई जहाज में बैठो और राजीव गान्धी एयरपोर्ट पर उतर जाओ ? क्या यही प्रचलन रह गया है कि देश में एक ही परिवार के लोगों का नाम चलता रहे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या अब ऐसे दिन आ गये हैं कि सदन इस लेवल पर आ गया है ? Is this the level of the House ?

Shri Kuldeep Sharma : Where the House is going ?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) उनके संसार से चले जाने के बाद कुछ स्कीमें व परियोजनाओं पर उनका नाम रखा गया है लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी तो अभी जीवित हैं फिर भी उनके नाम पर अभी से जगह-जगह कुछ स्कीमें चल रही हैं। मेरी तो भगवान् से प्रार्थना है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अभी और कई साल जियें लेकिन जीते जी सरकारी स्कीमों व परियोजनाओं पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि किन्हीं स्कीमों व परियोजनाओं पर जिन व्यक्तियों के नाम रखे गये हैं वे गैर आधुनिक रूप से रखे गये हैं। यदि यह सम्मान सभी महान् नेताओं को समान रूप से मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं कहना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह जी ने तथा उनकी 3-3 पीढ़ियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, उनके चाचा, उनके दूसरे चाचा, उनके पिताजी और उनके दादाजी ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया था। आज ये लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। माननीय साथी इस सदन में सरदार अजीत सिंह जी का नाम नहीं बता सकते हैं जिनकी पंचकोल में समाधि बनी हुई है तथा जिन्होंने 15 अगस्त को अपना शरीर त्यागना पड़ा था क्योंकि उनका इलाका पाकिस्तान में जा रहा था। उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी 15 अगस्त को ही करना पड़ा था। उनका नाम इन स्कीमों व परियोजनाओं पर क्यों नहीं रखा गया ? (थपिंग)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी का हत्यारा *** आर.एस.एस.एस. का वर्कर था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : **** का नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। इसलिए उनको कहें कि वे अपने शब्द वापिस ले लें। (शोर एवं व्यवधान) ऐसी टिप्पणी करने पर इन लोगों को सदन से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे शब्दों की टिप्पणी करने पर तो ये पहले भी कई बार माफी माँग चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस.एस. वाले भारत माता की जय कहना सिखाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग भारत में नहीं रहते हैं तथा क्या ये लोग भारत माता की जय नहीं कहेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

*थेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं एक बात सदन में क्लीयर करना चाहूंगा कि कोर्ट भी अपना फैसला दे चुका है कि **** का आर.एस.एस.एस. से कोई वास्ता नहीं है। क्या ये कोर्ट से भी ऊपर हैं ? (शोर एवं व्यवधान) श्री करण सिंह दलाल की शकल **** से मिलती है। इसका मतलब यह है कि इनका भी उनसे कोई संबंध या ताल्लुक अवश्य रहा होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को बताना चाहूंगा कि उस समय के गृहमंत्री जी ने भी इस बारे में स्वीकार किया था कि उस इन्सिडेंट में आर.एस.एस.एस. का कोई रोल नहीं है तथा कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि **** का आर.एस.एस.एस. से कोई वास्ता नहीं है। आपके बड़े-बड़े नेताओं ने भी इस बात को माना है। दलाल साहब ने सदन में यह बात कही है। यदि यह बात ये सदन से बाहर कहते तो इनको दुबारा भाफी मांगनी पड़ती। (शोर एवं व्यवधान) वे अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। उस समय वे कांग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने उस समय ये शब्द कहे थे जब वे भारत के विदेश मंत्री होते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये साथी हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। इन्होंने आर.एस.एस.एस. पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाउस का मिसलीड करने की कोशिश की है और ये गलत ब्याजबाजी कर रहे हैं। (विष्णु)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल जी अंडेमान निकोबार द्वीप समूह गए थे, वहां पर ये सैल्युलर जेल भी देखकर आए हुए हैं लेकिन ये वाइपर जेल देखकर नहीं आए हैं। सैल्युलर जेल से पहले वाइपर टापू एक जेल थी जहां पर वाइपर नाम का एक खतरनाक सांप होता था। सबसे पहले झांसी की रानी की सेना के 200 लोगों को वहां ले जाया गया था। वहां लोगों को साथ-साथ बेड़ी से बांधकर रखते थे और जब आदमी मर जाता था तब उसकी बेड़ी खोलते थे। आदमी के पैर और पीठ पर बेड़ी बांधकर रखते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार उस वाइपर टापू को कैसीनों के लिए लीज पर देना चाहती थी। इसका मतलब जिन लोगों के नाम आने चाहिए थे, जिस स्थान का नाम आना चाहिए था वह नहीं आया। 734 लोगों का दूसरा जत्था कराची से वहां गया था। उस सैल्युलर जेल में जिसको ये देखने गए थे बामोदर सांवरकर का नाम जिनको पूरा देश जानता है उनके नाम की एक पट्टी एन.डी.ए. की सरकार ने लगाई थी। उस पट्टी पर यह लिखा था कि जिस रास्ते को हमने चुना है उसे कुछ सोच समझकर चुना है और किसी भावुकता में नहीं चुना है। ज्यों ही कांग्रेस की सरकार बनी त्यों ही वह पट्टी उस जेल से हटा दी गई। श्रीमती सुधमा स्वराज जी के साथ वह पट्टी लेकर हम लोग अंडेमान निकोबार द्वीप समूह गए तो वहां हमको बंद कर दिया गया। जब मैंने पूछा कि क्या कोई कांग्रेसी कभी सैल्युलर जेल या काला पानी में आया था तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी की एक चिट्ठी आई थी कि किसी भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं हुई इसलिए हमें जो दर्द है वह गैर अनुपातिकता का है। यह अन्याय केवल बाहर के लोगों के साथ नहीं हुआ, केवल आर्य समाज के लोगों के साथ नहीं हुआ, केवल क्रांतिकारी लोगों के साथ नहीं हुआ बल्कि और लोगों के साथ भी हुआ है। मैं लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले के बारे में बताना चाहूंगा जिनको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिया था और असम के एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम से रखा गया था। क्योंकि उन्होंने ही उस पूरे क्षेत्र को भारत में मिलाने का काम किया था नहीं तो यह पूरा क्षेत्र आज बंगला देश का हिस्सा होता। ऐसे बहुत से

* बेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

काम देश में करने की जरूरत है और जैसा भाई विज जी ने कहा कि जिन लाखों लोगों को सम्मान नहीं मिला है उन लाखों लोगों को याद करने की जरूरत है और जिन लाखों लोगों के नाम गैरअनुपातिक रूप से लगाए गए हैं उनको हटाने की जरूरत है। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जब राजीव गांधी का नाम या इंदिरा गांधी का नाम बर्खा में आए तो मुझे जरूर बोलने की इजाजत दे दें क्योंकि मेरे मन में बड़ी टीस है। अध्यक्ष महोदय, जब 'जंगे आजादी' का दौर चल रहा था उस समय तमाम हिन्दुस्तान में सिखों की आबादी 2 परसेंट के लगभग थी। उस 'जंगे आजादी' में कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, कितने लोगों को काला पानी भेजा गया और कितने लोगों की प्रोपर्टी कुर्क की गई तथा उनमें से कितने परसेंट लोग सिख थे ? यदि इस बात को मैं यहां बताऊंगा तो अपने मिथां मुंह मिट्टी वाली बात होगी। इस बात को सारी दुनिया जानती है। 1984 में दिल्ली, कानपुर और पूरे हिन्दुस्तान में कत्लेआम हुए। उस समय हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया गया। जब पत्रकारों ने राजीव गांधी से पूछा कि यह क्या हो रहा है तो सिखों के प्रति दो बोल हमदर्दी के बोलने की बजाय उन्होंने यह कहा कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। ऐसी सोच के व्यक्ति के प्रति ये लोग चिंतित हैं ? हजारों लोगों के कत्लेआम करवाने वाले कांग्रेस के लोग आज उस व्यक्ति के प्रति चिंतित हैं ? 38 से 40 साल हो गए हैं लेकिन आज तक उस बिरादरी को इंसाफ नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, लगातार इनका राज रहा है। जहां तक स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवी लाल की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पानीपत के चौधरी देवीलाल धर्मल पॉवर प्लांट का नाम बदलने के लिए ये सारे लोग सहमत थे और किसी एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया था। वे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 15 साल की आयु में लाहौर में जाकर गिरफ्तारी देने का काम किया था। मेरा प्रश्न है कि ऐसी क्या वजह थी कि पानीपत के धर्मल पॉवर प्लांट का नाम बदला जा रहा था ? ऐसी प्रवृत्ति के ये लोग हैं। आज अगर कोई सच्ची बात कहता है तो इनको पीड़ा और तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं भाषणीय सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि पानीपत के धर्मल पॉवर प्लांट का नाम दोबारा से चौधरी देवीलाल जी के नाम से कर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से मैं यह बात सदन में कहना चाहती हूँ कि इस महान सदन की कुछ गरिमा है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी संस्कृति है और इतिहास है उसको हम नहीं मिटा सकते। सत्तापक्ष जो करना चाहता है वह करे लेकिन राजीव गांधी जी देश के प्रधान मंत्री रहे हैं। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सदन में कोई और बात करें उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेताओं के नाम लेकर सदन के अंदर गलत टिप्पणी की जाए वह हमें बर्दाश्त नहीं है। ये लोग जिनके नाम से किसी जगह का नाम रखना चाहते हैं रखें, लेकिन जो हमारा इतिहास है और राजीव गांधी जी देश के प्रधान मंत्री रहे हैं उनके नाम से गलत टिप्पणी न की जाए। उनसे पहले बहुत सारे लोग देश के प्रधान मंत्री रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी करना इनकी घटिया मानसिकता है और राजनीति से प्रेरित है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप सदन के कस्टोडियन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या द्वारा घटिया शब्द का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है ? ये घटिया मानसिकता कैसे कह सकती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, you are the custodian of the House. (Interruption) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को क्वेश्चन आवर में ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको क्वेश्चन आवर में सीरियसनेस दिखानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस सदन में ऐसा न होने दें। ये लोग गलत परम्परा डाल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, they have interrupted question hour. दरअसल इनको इसलिए तकलीफ है कि इन्होंने लोगों को यही समझाया है कि आजादी की लड़ाई गांधी-नेहरू परिवार ने लड़ी है। (शोर एवं व्यवधान) She has raised a question, therefore, I am replying to her question.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, you cannot allow him to speak in such a way.

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये लोग ही बतायें कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इनकी हर बात का उत्तर है और इनकी हर बीमारी का ईलाज है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न उठाया है जिसका मैंने उत्तर देना है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने जो प्रश्न उठाया है कृपया ये उसका जवाब तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) दांगी साहब, आप प्लीज बैठें। आप अच्छे इंसान हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आऊट

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का नाम लेकर सदन में गलत टिप्पणी की जा रही है और हमारी बाल सुभी नहीं जा रही है। इसलिए as a protest हम सदन से वॉक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यगण राजीव गांधी के नाम स्टेडियम का पुनः नामकरण किए जाने तथा कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध कतिपय टिप्पणियों के विरुद्ध विरोध के रूप में सदन से वॉक आऊट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने बहुत सारे प्रश्न उठाये हैं और उनका उत्तर देना है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने देश को यही बताया है कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेहरू-गांधी परिवार ने लड़ी है। यही कारण है कि आज ये लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि दूसरे लोगों ने भी आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है। 1885 में कांग्रेस

[श्री अनिल विज]

पार्टी का जन्म हुआ था और एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया था। ये लोग वास्तव में अंग्रेजों की ओलाव हैं। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी में बनाई थी। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का जन्म 1885 में हुआ और आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। उस समय कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। इस तरह से कांग्रेस का जन्म होने से पहले ही 1857 में वीरों ने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया था। जिन वीरों ने अम्बाला कैंट से शुरू हुई 1857 की आजादी की लड़ाई लड़ी उन वीरों की याद में अम्बाला कैंट में स्मारक बनाने के लिए मैं पिछले पांच साल तक लड़ता रहा। *On the floor of the House* तीन बार आश्वासन देने के बावजूद भी और जगह तय करने के बावजूद भी पिछली सरकार ने वहां पर वह स्मारक नहीं बनाया क्योंकि इनके मन में डर था कि अगर ये ऐसा कर देंगे तो लोगों को यह पता चल जायेगा कि कांग्रेस से पहले भी कुछ लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जन्म से पहले आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी इनकी जुबान पर उन लोगों का नाम तक नहीं आता। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि 1857 की आजादी की लड़ाई अम्बाला से शुरू हुई थी इस बात का इतिहास भी गवाह है। इसलिए इनको इससे तकलीफ होती है। पूरे देश में आज 25-26 ऐसी योजनायें हैं जो इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर चल रही हैं। मैं पिछली सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या दूसरे लोगों ने बलिदान नहीं दिये और क्या दूसरे लोग फ्रांसी के फंदे पर नहीं लटके? स्पीकर सर, इस विषय को ज्यादा लम्बा न खींचते हुए मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वे कृपया यह बतायें कि इन खेल परिसरों का क्या नाम रखा जाये? उनके नाम लिखकर भुझे भेरे ऑफिस में जरूर भेज दें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कानून इजाज़त देते होंगे तो वे इन खेल परिसरों का नाम जरूर बदल देंगे। (विज) स्पीकर सर, अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ। श्री श्याम सिंह राणा जी ने यह तो माना है कि वहां पर स्टेडियम है लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने इस स्टेडियम को मॉडर्न बनाने की भी बात की है। अध्यक्ष महोदय, हम खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं, **we are committed to it**. इसलिए ये हमें प्रस्ताव भेज दें। जो भी सुविधायें हम प्रदान कर सकेंगे, वे हम जरूर प्रदान करेंगे।

श्री श्याम सिंह राणा : स्पीकर सर, मेरी रिकॉर्ड है कि चूंकि हमारा प्लड का एरिया है इसलिए इस खेल स्टेडियम में हमारे बच्चों को तैराकी की ओर गतिशील बनाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाये ताकि ज़रूरत के समय उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। स्पीकर सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वर्ष 1923 में लाहौर के साथ ही रावीर की म्युनिसिपल कमेटी बनी थी और पुराने जमाने में यमुनानगर में चार रिथासलें होती थी लेकिन आज के समय में यह जिला पिछड़ा हुआ है और हमें एक मॉडर्न स्टेडियम के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं फिर से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे इस स्टेडियम को जल्दी से जल्दी सभी आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न किया जाये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने श्री श्याम सिंह राणा जी को पहले ही उत्तर दे दिया है कि ये हमें लिखकर दे दें और अगर वहां पर स्वीमिंग पूल बन सकता है तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे।

Electricity Purchased

***513 Shri Krishan Lal Pawar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the name of the States from where the electricity has been purchased by the Haryana Bijli Nigam during the period from the year 2005 to September, 2014 togetherwith the quantum of MW of electricity purchased during the aforesaid period; and
- (b) the rate on which the electricity has been purchased from other States togetherwith the period for which MOU has been signed in this regard ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान,

(क) वर्ष 2005 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान हरियाणा द्वारा अन्य राज्यों से कोई बिजली नहीं खरीदी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में गर्मी के मौसम में बिजली की बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जहां पर हाईडल पॉवर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और बिजली भी सस्ती है वहां से बिजली लेने की कोई परपोजल बना रही है?

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, बैंकिंग के जरिये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों से हम गर्मी के सीजन में बिजली लेते हैं और सर्दी के दौरान इन राज्यों को बिजली देते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारे यहां पर बिजली की खपत कम होती है और इन पहाड़ी प्रदेशों में नदियों में बर्फ जम जाने के कारण बिजली का उत्पादन कम हो जाने के साथ-साथ वहां पर बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है इसलिए हम 120 लाख यूनिट से 288 लाख यूनिट तक प्रतिदिन बिजली अपनी ज़रूरत के समय लेते हैं और उनकी ज़रूरत के समय उनको बिजली देते हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिन थर्मल पॉवर प्लांट्स का पी.एल.एफ. कम रहता है और इस प्रकार से जो बिजली महंगी पड़ती है क्या इस प्रकार के पॉवर प्लांट्स के स्थान पर नये पॉवर प्लांट्स लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

राव नरबीर सिंह : हों स्पीकर सर, पानीपत में जो हमारा थर्मल पॉवर प्लांट है हम उसकी 4 यूनिटों को बंद करके उनकी जगह पर 800 मेगावाट की एक नई यूनिट लगा रहे हैं क्योंकि इन यूनिटों की बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है जो कि महंगी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम-45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर

New Roads Constructed

*525 Shri Tej Pal Singh : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the district wise details of the number of new roads constructed during the last 10 years?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी, पिछले 10 वर्षों के दौरान 340 नई सड़कों का निर्माण किया गया। जिला अनुसार विवरण सदन के पटल पर है।

पिछले 10 वर्षों में निर्मित सड़कों की संख्या का विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	पिछले 10 वर्षों में निर्मित सड़कों की संख्या	लम्बाई(कि०मी०)
1	अम्बाला	41	60.395
2	कुरुक्षेत्र	11	25.19
3	भिवानी	12	38.52
4	महेन्द्रगढ़	12	33.00
5	गुड़गांव	3	8.095
6	फरीदाबाद	0	0
7	पलवल	7	24.36
8	कैथल	56	132.00
9	जीन्द	15	56.29
10	करनाल	3	9.03
11	पानीपत	3	6.65
12	रोहतक	34	98.288
13	सोनीपत	27	113.34
14	हिसार	19	80.32
15	फतेहाबाद	26	79.87
16	सिरसा	7	30.22
17	यमुनानगर	6	9.89
18	पंचकुला	11	21.28
19	झज्जर	22	77.549
20	रिवाड़ी	23	56.10
21	मेवात	2	3.467
	कुल	340	963.854

Share of Water in Agra Canal

*5. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Irrigation Minister be pleased to State :-

- (a) whether the Agra Canal passes through the State of Haryana; if so, the name of distributaries emanating from Agra Canal together with the capacity of irrigation water of each distributary in district Palwal alongwith share of water of Haryana in Agra Canal;
- (b) whether the Government of Haryana intends to request the Government of India to appoint a commission/tribunal to decide the actual share of Haryana in the Agra Canal; and
- (c) whether the Government of Haryana will claim ownership rights from UP Government over all the distributaries of Agra Canal which are passing through the District of Palwal/Mewat

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओम प्रकाश घनखड़) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

जिला पलवल में आगरा नहर से निकलने वाले रजवाहों की सूची इस प्रकार है

क्रमांक	रजवाहे का नाम	व्यूसिक में क्षमता
1	पह्लादपुर रजवाहा	25
2	जनीली रजवाहा	28
3	अलावलपुर रजवाहा	8
4	पलवल रजवाहा	51
5	हसनपुर रजवाहा	200
6	हथीम रजवाहा	329
7	होडल रजवाहा	200
8	भंगुरी रजवाहा	57
9	हस्तंगाबाद रजवाहा	7

आगरा नहर का प्रशासनिक व संचालित नियन्त्रण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है हरियाणा प्रदेश के लिये आगरा नहर से अलग हिस्सा नहीं है और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इन नहरों को पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है जो आगरा नहर की कमाण्ड में आते हैं। क्योंकि इन नहरों का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है, इन नहरों द्वारा सिंचाई के लिये दिये गये पानी का आबियाना भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इकट्टा करता है। हालांकि, हरियाणा के किसान पिछले कई वर्षों से आबियाना नहीं दे रहे हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की इन नहरों में पानी छोड़ने में कोई रुची नहीं है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

(ग) हा, श्रीमान जी।

Construction of Bye-Pass

***31. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether the survey of western bye pass from Panipat Road to Rohtak Road connecting Jind Road, Julana Road and Meham Road has been conducted by the department if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

नहीं, श्रीमान् जी।

यद्यपि, इसके निर्माण की संभावना पर विचार किया था परन्तु इसके निर्माण की उच्च लागत के कारण तथा दो ऊपरगामी पुलों के निर्माण की जरूरत के कारण व्यावहारिक नहीं समझा गया।

Desilting of Hansi Branch Canal

***43. Shri Hari Chand Middha :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Hansi Branch Canal ;
- the date on which the desilting work of Hansi Branch Canal was done earlier; and
- the total cusecs of water released to Jind and Hansi during the period from the year 2000 to 2005 ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

- नहीं, श्रीमान् जी। वर्तमान में हांसी ब्रांच नहर से गाद निकालने की कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।
- श्रीमान् जी, हांसी ब्रांच की बुर्जी संख्या 0 से 238326 में से बुर्जी संख्या 0 से 106000 तक गाद निकालने का कार्य मई से जून, 2013 में किया गया था।
- श्रीमान् जी, वर्ष 2000 से 2005 के दौरान जींद निर्वाचन क्षेत्र में कुल 205833 क्यूसिक दिन और हांसी निर्वाचन क्षेत्र में 697172 क्यूसिक दिन पानी छोड़ा गया।

Sewerage System

***61. Shri Lalit Nagar :** Will the Chief Minister be pleased to state —

- whether it is a fact that the sewerage system from village Basantpur to village Imadpur of Tigaon Assembly Constituency is completely Choked; and
- if so, the steps taken by the Government to improve the sewerage system as referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं, श्री मान जी।

(ख) (क) के दृष्टिगत मान्य नहीं है।

Advocates Engaged

*550. Santosh Yadav : Will the Irrigation Minister be pleased to state the name of advocates who have been engaged by the State Government in the various cases till date for solving the water dispute cases with the neighbouring States like SYL togetherwith the details of payment made to them till date alongwith fate thereof ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अंतर्राज्जीय मामलों में लगाये गये वकीलों के 2001 से 28.2.2015 के भुगतान की सूची निम्न है :-

क्रम संख्या	राजकीय केसों का नाम	वकील का नाम	दिया गया व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	रावी-ब्यास न्यायाधिकरण	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोबडे अशोक एच. देशाई के.के. वैभुगोपाल राजेश बिंदल कुल	809622/- 1028956/- 1985802/- 118750/- 209000/- 195453 4347583/-	रावी ब्यास पानी न्यायाधिकरण की फोई भी कार्यवाही राष्ट्रपति पद के संदर्भ संख्या 1 सन 2004 के तहत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है
2	सिविल रिट याचिका संख्या 537/1992-कमांडर एस. जी. सिन्हा व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोबडे राजू रामचन्द्रन अशोक एच. देशाई शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	3219480/- 3904869/- 5838518 1601375/- 660000/- 1842250/- 15408492/-	यह जनहित याचिका ; कमांडर एस.जी. सिन्हा द्वारा दायर की गई थी हरियाणा द्वारा दायर आई.ए. अपील संख्या 23 व याचिकाकर्ता द्वारा दायर आई.ए. अपील संख्या 33, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है
3	सूट संख्या 2/1996 हिमाचल प्रदेश राज्य व भारतीय संघ व अन्य	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोबडे शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	3737086/- 4380823/- 7466518/- 9757500/- 25341927/-	यह मामला हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा भारतीय संघ व अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को देने वाली शक्या भुगतान राशि दायर कर ली है। हरियाणा

[श्री औष प्रकाश धनश्वर]

1	2	3	4	5
				और पंजाब ने भी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने दावे दायर किये हैं। यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।
4	राष्ट्रपति संवर्ग 1/2004	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबड़े रान्ती भूषण अशोक एच. देसाई अभीषेक मनु सिंघवी शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	1541521/- 1766393/- 2036500/- 644177/- 192500/- 508000/- 737000/- 7424091/-	इस मामले में भारत की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई लम्बित है। यह भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में 5.8.2014 पर अग्रिम सूची में दिखाया गया था, परन्तु सूची से हटा दिया गया था। आगे कोई शिफि आज तक माननीय न्यायालय द्वारा शय नहीं की गई है।
5	सिविल रिट शांति संख्या 3928/2004 पंजाब राज्य बनाम भारतीय संघ व अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय)	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबड़े कुल	437855/- 285332/- 567930/- 1290917/-	यह मामला पंजाब सरकार द्वारा जल न्यायाधिकरण व अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है।
6 व 8	मूल सूट संख्या 1/2007 (सूट नं० 3/2007 के साथ सम्मिलित)	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबड़े राजू रामाचन्द्ररम शान्ति भूषण अशोक एच. देसाई अभीषेक मनु सिंघवी रविन्दर बाभा कुमारी प्रियंका अग्रवाल के.टी.एस. तुलसी भुक्कल रक्तोगी आर.एफ. नरीमन अलताफ अहमद गोपाल सुब्रमनियम शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	40800081/- 60544308/- 12083300/- 24090000/- 981750/- 2216500/- 4433000/- 253000/- 30000/- 110000/- 583000/- 440000/- 1023000/- 429000/- 8321500/- 138518439/-	यह मामला हरियाणा राज्य व अन्य के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर किया गया था। सभी गवाहों की साक्ष्य परीक्षा के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया सभी शक्यों के पूरा होने को ध्यान में रखते हुए एल.डी. रजिस्ट्रार ने इसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहस के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश किया है।
7 व 10	मूल सूट संख्या 2/2007 (सूट नं० 1/2008 के साथ सम्मिलित)	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबड़े रविन्दर बाभा शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	4180806/- 3650038/- 5617700/- 308000/- 3550250/- 17306794/-	यह मामला भारतीय संघ व दूसरों के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर किया गया था यह सूट, सूट संख्या 1/2008 (डीड थर्स सूट) के साथ इकट्ठा कर दिया गया

1	2	3	4	5
				हे। गधाहों की सूची को सबूत की रिकार्डिंग के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। यह बात विशुद्ध रूप से कामूनी होने के कारण हरियाणा राज्य ने किसी भी गवाह का शपथ पत्र नहीं भरा है।
9	आर.के.गर्ग बनाम डी.डी. गौतम (अर्धमानना याचिका) (सी) 335/2009/दिल्ली उच्च न्यायालय	अरुणभ चौधरी राजीव नैयर कुल	85100/- 125000/- 210100/-	खत्म कर दिया
11	मूल सूट संख्या 3/2009 हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबडे अरुणभ चौधरी राजीव नैयर अमीषेक मनु सिंघवी शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	3726773/- 4176003/- 5008304/- 42100/- 12500/- 445500/- 346500/ 13757680/-	हरियाणा के भवाह की जिरह प्रगति पर है। जिरह के लिए अगली तारीख 17.3.2015 तय की गई है।
12	अज्ञापन (सी) संख्या 4559/2006- आर.के.गर्ग बनाम भारत सरकार व अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय	अरुणभ चौधरी राजीव नैयर कुल	300950/- 480000/- 780950/-	खत्म कर दिया
13	सिविल अपील संख्या 3365/2005 पंजाब राज्य बनाम डी.एम. सिंघवी व अन्य	एजाज मकबूल के.के.लहरी वी.ए.बोबडे शान्ती भूषण अशोक एच. देसाई अमीषेक मनु सिंघवी गोपाल सुब्रमनियम शिवेन्द्र द्विवेदी वी.ए.बोबडे कुल	313500/- 1150900/- 532500/- 99000/- 385000/- 445500/- 110000/- 71500/- 532500/- 3640400/-	खत्म कर दिया
14	एस.एल.पी. (सी) संख्या 9484/2008. 9503.	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोबडे शान्ती भूषण	2095210/- 1150900/- 532500/- 99000/-	यह मामला पंजाब राज्य द्वारा, हरियाणा राज्य व अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। यह मामला

[श्री ओम प्रकाश धनखड़ा]

1	2	3	4	5
	9507/2008, 14330/07, 14354/07, 14360/07, 10609/6, 9484,9503 9507, 9511 9522-पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य	अशोक एच. देसाई अमीषेक भनु सिंघवी गोपाल सुब्रमनियम शिबेन्दर द्विवेदी कुल	385000/- 445500/- 110000/- 71500/- 4889610/-	01-5-2014 को सुना गया था। पंजाब राज्य के दक्कील ने एल.डी. रजिस्ट्रार को 2008 की एस.एल.पी. नं० 9484 के कारण शीर्षक में संशोधन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। आगे कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।
15	मूल सूट संख्या 6/1996- हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोबडे राजू रामाचन्द्रन शान्ती भूषण के.जी. रंगा राजू राजेश बिन्दल कुल	263926/- 409857/- 1531628/- 604676/- 966625/- 20878/- 5219/- 3802809/-	यह मामला हरियाणा सरकार द्वारा, पंजाब राज्य व अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। यह मामला भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2002 एवम् आदेश दिनांक 04 जून, 2004 को तय किया गया है।
16	मूल सूट संख्या 1/2003 पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोबडे शान्ती भूषण कुल	77609/- 200478/- 345770/- 1790250/- 2414107/-	खत्म कर दिया
17	आज्ञापत्र (सी) संख्या 30/2004 पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबडे शान्ती भूषण कुल	52969/- 65039/- 83600/- 510062/- 711670/-	खत्म कर दिया
18	आज्ञापत्र (सी) संख्या डी 4173/2002	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबडे कुल	25400/- 27419/- 83600/- 136419/-	खत्म कर दिया
19	अधमानना याचिका संख्या/ 2004, आई.ए. संख्या 4/2004 में ओ.एस. संख्या 6/1996	वी.ए.बोबडे	10000/-	खत्म कर दिया
20	विशेष नई याचिका संख्या (सी) संख्या	एजाज मकबूल	11210/-	खत्म कर दिया

1	2	3	4	5
	11192/2005 पंजाब राज्य व डी,एच,सिधवी			
21	सिविल रिट याचिका संख्या 1048/2007 वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाम प्रिंसीपल सेक्टरी- पर्यावरण व वन, हरियाणा सरकार व अन्य	एजाज मकबूल के.के.लहरी वी.ए.बोसडे कुल	196875/- 418210/- 275000/- 888885/-	खत्म कर दिया
22	सिविल रिट याचिका संख्या 13675/05 13404/05 16212/05 17031/05 18741/05 18820/06 20178/05 20357/05 8352/06 10690/06 13202/06 1429/06 9297/06 11095/06 13691/06 16828/06 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, शाहीगढ़ के समक्ष	के.के. लहरी राजीव आत्माराम कुल	3655540/- 618000/- 4273540/-	खत्म कर दिया
23	सिविल रिट याचिका संख्या 337/1996 डब्ल्यू.डब्ल्यू एच बनाम युनियन ऑफ इंडिया (वन्द्यजीय अभ्यारण्य)	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए.बोसडे कुल	188025/- 212740/- 360500/- 731265/-	खत्म कर दिया

[श्री औम प्रकाश धनखड़]

1	2	3	4	5
24	मूल सूट संख्या 1/2011	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबडे शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	821838/- 568700/- 297000/- 229500/- 1917036/-	यह सूट हरियाणा राज्य के खिलाफ राजस्थान के राज्य द्वारा दायर किया गया है। इस मामले की सुनवाई 10-3-2015 को हुई और राजस्थान राज्य के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को अपने संशोधित आवेदन दायर करने के बारे में सूचित किया। अगली तारीख 21-4-2015 को तथ्य की गई है।
25	मूल सूट संख्या 2/2011	एजाज मकबूल के.के. लहरी वी.ए. बोबडे कुल	288500/- 274750/- 231000/- 794250/-	यह सूट राजस्थान राज्य द्वारा पंजाब एवम् अन्य के खिलाफ दायर किया गया है। यह सूट, सूट नं० 1/2008 के समान है, जो कि हरियाणा राज्य द्वारा दायर किया है जिसके सहित तीन हेड वक्तों यानी रोपड़, फिरोजपुर एवम् हरिके को वी.बी.एम.बी. को स्थानांतरण हेतु है।
26	सी.एच.डी. वाटर सूट	एजाज मकबूल के.के. लहरी कुल	298375/- 90750/- 389125/-	खत्म कर दिया
27	सूट संख्या 242/2010	शिवेन्द्र द्विवेदी	572000/-	यह मामला महावीर एनक्लेव काकोली दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ दायर किया गया था। बाद में हरियाणा राज्य भी इस मामले में पार्टी बनाया गया था। दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी बारी के अनुसार नियमित रूप से मामलों की श्रेणी में सूचीबद्ध होने के लिए मामले का आदेश दिया है।
28	काजौली हैडवर्क्स	एजाज मकबूल के.के. लहरी कुल	16500/- 60500/- 77000/-	यह मामला हरियाणा राज्य ने पंजाब राज्य व अन्य के खिलाफ दायर कर रहा है जो कि काकोली जल योजना से संबंधित है अथवा इसके तहत

1	2	3	4	5
29	सूट संख्या 1/2014	एजाज भकदूल के.के. लहरी शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	49500/- 369580/- 170500/- 589580/-	80MGO पार्सप लाईन बिफाकर अजोली हैड वर्क्स से पानी खींचकर मोहाली उपनगर को दिया जाना है। यह मामला राजस्थान राज्य में पंजाब एवम अन्य के खिलाफ दायर किया था। जिसके तहत हरियाणा राज्य को सूट नं० 3 सन 2009 के तहत दी गई शहत के समान शहत की मांग करने हेतु है। यह मामला 05/02/2015 को राजस्टर कोर्ट (माननीय सर्वोच्च न्यायालय) में सुना गया था। इस मामले में अगली तारीख 15/04/2015 तक की गई है।
30	आज्ञापन (सी) संख्या 4531/2013 एस.बी. त्रिपाठी बनाम पी.एन. सी.टी. दिल्ली अथ	एजाज भकदूल के.के. लहरी वी.ए. बोबड़े अस्ताफ अहमद शिवेन्द्र द्विवेदी कुल	599350/- 1040400/- 462000/- 363000/- 348500/- 2811250/-	यह मामला श्री एस.बी. त्रिपाठी द्वारा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। हरियाणा में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 19-12-2014 के आदेश के अनुसार दिल्ली को पानी की आपूर्ति की मात्रा स्पष्ट करने के लिए आवेदन दायर किया जोकि दिनांक 13-3-2015 को सुनवाई किया गया। सुनवाई की अगली तारीख 27-3-2015 की गई है।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

हरियाणा राज्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवम उच्च न्यायालय दिल्ली में विभिन्न अंतर्राज्यीय मामलों की पैरवी हेतु वर्ष 2001 से दिनांक 28-2-2015 तक वकीलों को दी गई कुल भुगतान राशि का वितरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	वकीलों के नाम	खर्चा (रुपये में)
1	एजाज मकबूल	63731609/-
2	के.के. लहरी	88281585/-
3	वी.ए. बोबडे	44807170/-
4	राजू रामाचन्द्रन	4010375/-
5	शास्त्री भूषण	4991864/-
6	अरुणम चौधरी	428150/-
7	राजीव नैथर	730000/-
8	अशोक एच. देसाई	3572750/-
9	के.जी. रंगा राजू	20878/-
10	अभीषेक मनु सिंघवी	5830000/-
11	रविन्दर बाना	561000/-
12	कुमारी प्रियंका अग्रवाल	30000/-
13	के.टी.एस. तुलसी	110000/-
14	के.के. वेनुगोपाल	209000/-
15	राजेश बिन्दल	200672/-
16	मुकुल रोहतगी	583000/-
17	आर.एफ. नरीमन	440000/-
18	राजीव आत्मा राम	618000/-
19	अल्ताफ अहमद	1386000
20	गोपाल सुब्रह्मन्नीयम	4400000/-
21	श्रीदेवन्दर द्विवेदी	14529500/-
22	ए.के. सिंह	9757523/-
कुल		249229076/- (रुपये 24.92 करोड़)

To Increase the Capacity of Gurgaon Canal

*92 Shri Kehar Singh : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Gurgaon Canal from Okhla Barrage; if so, the time by which the capacity is likely to be increased ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :
नहीं, श्रीमान जी।

Permits to Private Bus Operators

*73. **Smt. Kiran Choudhary** : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to grant permits to private bus operators; if so, the time by which the permits are likely to be granted ?

परिवहन मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : हौं श्रीमान, राज्य के कुछ अन्तर-राज्य मार्गों पर निजी बस संचालकों को मंजिली परिवहन परमिट प्रदान करने के लिए एक नई मंजिली परिवहन स्कीम बनाने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इस स्टेज पर इस बारे में कोई समय सीमा अंकित नहीं की जा सकती है।

Desilting of Hansi Branch Canal

*97. **Shri Parminder Singh Dhull** : Will the Irrigation Minister be pleased to state the time when Hansi Branch Canal was desilted last ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, हांसी ब्रांच की बुर्जी 0 से 238326 में से बुर्जी 0 से 106000 तक गाद निकालने का कार्य वर्ष 2013 में किया गया था।

Shortage of Doctors in Fatehabad, Bhuna and Bhattu Hospital

*108. **Shri Balwan Singh** : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the posts of doctors are lying vacant in the Civil Hospital of Fatehabad, Bhuna and Bhattu; if so, the time by which the vacant posts are likely to be filled up ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी, सामान्य अस्पताल, फतेहाबाद में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत सभी 3 पद भरे हुए हैं तथा चिकित्सा अधिकारियों के 42 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 35 पद भरे हुये है; जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भूना में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का स्वीकृत 1 पद भरा हुआ है तथा चिकित्सा अधिकारियों के 7 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 3 भरे हुये हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भट्टू में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 1 स्वीकृत पद के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 4 पद भरे हुये हैं।

नई भर्ती द्वारा जब भी चिकित्सक उपलब्ध होंगे तो चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास कर लिये जायेंगे, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

Issue of fake B.P.L. Cards

*540. **Shri Gian Chand Gupta** : Will the Food & Supplies Minister be pleased to state :—

- whether it is fact that approximately 3.25 lacs BPL cards issued to ineligible persons during the years 2009-14 were cancelled after investigation ;
- If so, the loss caused to state exchequer due to the issuance of fake ration cards to the above said ineligible persons; and

- (c) the number of officials and officers against whom the action has been taken for issuing the fake ration cards ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

- (क) श्रीमान जी, बी.पी.एल. कार्ड 2,06,696 लाख अपात्र व्यक्तियों को जारी किए गए जिन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फिर से सत्यापन करने के बाद रद्द कर दिया गया।
- (ख) यह अनुमान है कि रुपये 2883.54 लाख मौद्रिक व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गैर मौद्रिक लाभ गेहूँ/बाजरा/दलहन/चीनी जैसी बस्तुएं 31.27 लाख किंटल और केरोसिन तैल 194.99 लाख लीटर केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं से अपात्र बी.पी.एल. परिवारों को वितरित किया गया।
- (ग) 2780 दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों, जो प्रथम दृष्टया अपात्र परिवारों को बी.पी.एल. स्थिति जारी करने के पर्यवेक्षण में लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं, के विरुद्ध कार्यवाही विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही है।

Four-laning of NH-10

*116. Smt. Naina Singh Chautala : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the four laning work of NH-10 from Hisar to Dabwali has been sanctioned; if so, the time by which the work is likely to be started thereon together with time the four laning work is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

हां श्रीमान जी। परियोजना (हिसार से फतेहाबाद व फतेहाबाद से सिरसा) को पूर्ण करने का समय अनुबंध तिथि से 30 महीने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दोनों कार्यों के लिए ठेकेदारों के साथ अभी अनुबंध हस्ताक्षर किये जा रहे हैं, इसलिए परियोजना को पूर्ण करने की समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती।

To Repair the Building of Narwana Bus Stand

*155. Shri. Pirthi Singh : Will the Transport Minister be pleased to state :—

- (a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the dilapidated building of Narwana Bus Stand; and
- (b) If so, the time by which it is likely to be repaired.

परिवहन मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, नरवाना का बस अड्डा अच्छी संचालन स्थिति में है, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार बस स्टैंड की मरम्मत का कार्य किया जाता है।

Road from Nagina to Tizara

*137. **Shri Naseem Ahmed** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the road from Nagina to Tizara (Rajasthan) is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरवीर सिंह) :

श्रीमान जी, वर्तमान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

ESI Hospital in Faridabad

*523. **Smt. Seema Trikha** : Will the Health Minister be pleased to state the time by which the ESI Hospital is likely to be opened in Badkhal Assembly constituency of Faridabad; if so, the time by which the said Hospital is likely to be opened ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

बड़खल विधान सभा क्षेत्र फरीदाबाद में पहले से एक 200 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल, एन.एच.-3, फरीदाबाद में चल रहा है। यह हस्पताल पहले हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में चल रहा था लेकिन दिनांक 28.9.2013 को इसको ई.एस.आई. कारपोरेशन, नई दिल्ली को सौंप दिया गया था क्योंकि कारपोरेशन ने फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज व हस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस परिसर में ई.एस.आई. कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा नया मेडिकल कॉलेज तथा हस्पताल के भवन का निर्माण करवाया जा रहा था और यह कार्य पूर्ण होने वाला है। केन्द्र में ई.एस.आई. कारपोरेशन नीति में बदलाव के कारण अब ई.एस.आई. कारपोरेशन, नई दिल्ली ने पुनः इस मेडिकल कॉलेज व हस्पताल को राज्य सरकार को वापिस सौंपने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 06.02.2015 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा सरकार ने ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज व हस्पताल को सैद्धान्तिक तौर पर अपने अधीन लेने की सहमति प्रदान कर दी है और मामला प्रक्रिया अधीन है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Total Amount Released to the Municipal Council

49 **Dr. Hari Chand Middha** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) the total amount released to the Municipal Council Jind by the State Government during the financial year 2014-15; and
- (b) the names of the development works on which the amount has been spent by the abovesaid Municipal Council ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

- (क) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद, जीन्द् को मुबलिक 1242.08 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिसका विवरण अनुबन्ध ए पर है। उक्त राशि में से मुबलिक 541.44 लाख रुपये विकास कार्यों पर खर्च किये गए हैं तथा 462.31 लाख रुपये नगर परिषद, जीन्द् के कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किये गए हैं।
- (ख) नगर परिषद, जीन्द् द्वारा जिन विकास कार्यों पर राशि खर्च की गई है, उनके नाम अनुबन्ध बी पर उल्लेखित हैं।

विवरण**अनुबन्ध ए**

(राशि लाखों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राशि	खर्चा	टिप्पणी	
1	शहरी ठोस कूड़ा प्रबन्धन	सामान्य अनुसूचित जाति उप-योजना	32.00 18.00	5.18 0.85	कूड़ेदान की खरीद। बल शौचालय की खरीद।
2	अनुसूचित जाति की बस्तियों का विकास	66.47	63.42	विकास कार्यों पर खर्च।
3	राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित	सामान्य अनुसूचित जाति उप-योजना	136.28 66.47	136.69 61.76	विकास कार्यों पर खर्च। विकास कार्यों पर खर्च।
4	वैट पर सरचार्ज का हिस्सा राजीव गान्धी, शहरी विकास मिशन, हरियाणा	सामान्य अनुसूचित जाति उप-योजना	194.07 203.31	79.08 130.50	विकास कार्यों पर खर्च। विकास कार्यों पर खर्च।
5	13वां केन्द्रीय वित्त आयोग	63.17	63.24	विकास कार्यों पर खर्च।
6	आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आबकारी शुल्क का हिस्सा	150.08	150.08	परिषद के कर्मचारियों के वेतन की अदायगी।
7	उपायुक्त, जीन्द् द्वारा नगर परिषद, जीन्द् को वितरित की गई स्टेम्प ड्यूटी की राशि	312.23	312.23	परिषद के कर्मचारियों के वेतन की अदायगी।
कुल			1242.08	1003.75	

अनुबन्ध बी

1	क्रम	अनुदान मद	खर्चा (रुपयों में) संख्या
	1	2	3
	छोस कूड़ा प्रबन्धन (सामान्य)		
	1	कूड़ादान खरीद	517547.00
	2	चलती फिरती शौचालय खरीद	84844.00
2	अनुसूचित जाति की बस्तियां (सामान्य योजना)		
	3	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य सेसु सरदार के मकान से सुरेश मलिक के मकान तक वार्ड नं0 1 जोगीन्द्र नगर	188699.00
	4	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य चतर सिंह देशवाल से भेहर सिंह अहलावत के मकान तक, ईम्पलाईज कॉलोनी वार्ड नं0 23	242589.00
	5	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण राम दया हरीजन से ह्यशीयार धानक से धर्मपाल के मकान तक, राम बक्श कॉलोनी वार्ड नं0 27.	299754.00
	6	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण जयन्ती स्कूल से पण्डित सेवा राम के मकान तक वार्ड नं0 30.	475000.00
	7	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण इयाम से रामबीर भगत सिंह कालोनी के मकान तक वार्ड नं0 24.	496584.00
	8	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण जयन्ती स्कूल से पण्डित सेवा राम वाली गली	114564.00
	9	राजनगर व प्रेम नगर की विभिन्न गलियों में 1st टाईप नालियों का निर्माण कार्य वार्ड नं0 4.	252207.00
	10	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण श्री राम से लीला राम मकान तक रतन कालोनी वार्ड नं0 1	94650.00
	11	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण राजबीर से जसबीर शिशान रेडु के मकान तक, विकास नगर वार्ड नं0 30.	320000.00
	12	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण बग्गा सैनी से रघुबीर सिंह मोर के मकान तक वार्ड नं0 30.	321000.00
	13	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण बलवान से धर्मपाल से जोगती लोहार के मकान तक वार्ड नं0 31.	350000.00

1	2	3
14	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण रमेश पण्डित से फते सिंह सेनी से नरेश के मकान तक बुछा बाबा बस्ती वार्ड नं० 30.	768540.00
15	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण जयपाल से टेकराम के मकान तक, गुरुद्वारा कॉलोनी वार्ड नं० 29 (दुसरा फाईनल बिल)	400000.00
16	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण रामबिलास से हवा सिंह के मकान तक वार्ड नं० 28.	119000.00
17	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण रेन्कु सेनी से धर्मपाल फौजी के मकान तक, जोगीन्द्र नगर वार्ड नं० 4.	613230.00
18	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण नन्द लाल पंजाबी से सतपाल वाल्मीकि के मकान तक, जोगीन्द्र नगर वार्ड नं० 1	581019.00
19	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण सतबीर के मकान से नरवाना रोड तक, वार्ड नं० 2	219922.00
20	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कोडी कॉलोनी वार्ड नं० 10	484822.00
3	राज्य वितीय आयोग की सिफारिश (सामान्य योजना) एस.एफ.सी.	
21	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण सीलक से विजय धानक से दिलबाग के मकान तक वार्ड नं० 24.	628361.00
22	सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कानवर आर्य से राम और गोपाल से राजोरीया के मकान तक वार्ड नं० 29.	700000.00
23	पटवार भवन से हर्बल पार्क तक सिमेन्ट कंकरीट की गली, नाली व पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	801605.00
24	डी.सी. कॉलोनी हर्बल पार्क में पार्किंग गेट लगाने का कार्य	341187.00
25	डी.सी. कॉलोनी हर्बल पार्क में पार्किंग गेट लगाने का कार्य	484859.00
26	वार्ड नं० 11 सेनी मोहल्ला में चांद बहादुर के मकान से पिन्की व जनक मिस्त्री बलवान के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	400000.00
27	वार्ड नं० 26 भगवान नगर में रघुबीर नेन के मकान से मोहन पावर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	496043.00
28	वार्ड नं० 28 शर्मा नगर में कर्ण फौजी के मकान से रमेशवर नाई के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का कार्य।	913959.00
29	वार्ड नं० 10 अमरेडी रोड से निरकारी भवन से योगेश गुप्ता और राजेश के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	94925.00

1	2	3
30	वार्ड नं0 8 में सरदा स्कूल से बलवान के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	581532.00
31	वार्ड नं0 27 में जिले सिंह गोसाई चौधरी गुलाब से ओम प्रकाश बहकलाना के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	262000.00
32	वार्ड नं0 29 में राजू करियाणा स्टोर से हरपाल पोल्टरी फार्म तक ईन्टर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य।	507000.00
33	वार्ड नं0 28 भिवानी रोड रेलवे फाटक से अलिखान से दिलजीत के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	118119.00
34	वार्ड नं0 28 गुप्ता कॉलोनी में गोपी राम के मकान से राज कुमार शरान, प्रवीण के मकान से राज कुमार के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	294064.00
35	वार्ड नं0 18 में सतबीर के मकान से पाले राम के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	674961.00
36	वार्ड नं0 7 श्याम नगर में दर्शन से राज कुमार और राज कुमार के मकान से गुलशन के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	363156.00
37	वार्ड नं0 7 में नरेश मोर के मकान से हंस राज के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	288679.00
38	वार्ड नं0 7 में लाल चन्द के मकान से हंस राज के मकान से सोरगर धर्मशाला तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	346877.00
39	वार्ड नं0 22 पुलिस कॉलोनी में ईटो का कार्य व मिटटी भरत का कार्य।	126660.00
40	वार्ड नं0 4 प्रेम नगर में मुख्य कैथल रोड से डा0 शमशेर के मकान तक और कृष्ण लाल के मकान रमेश नाई के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	613837.00
41	वार्ड नं0 4 प्रेम नगर में चरण सिंह के मकान से शमशेर सिंह के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	353430.00
42	वार्ड नं0 4 प्रेम नगर में सुशील कुमार के मकान से सुरेश के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	249688.00
43	वार्ड नं0 4 शिव पूरी कॉलोनी में सतबीर फौजी के मकान से जय नारायण के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	400000.00

1	2	3
44	वार्ड नं० 30 में मनी राम ए.एस.आई. वाली गली में सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	600000.00
45	वार्ड नं० 4,11 और 27 में हैंड पम्प लगाना।	63722.00
46	वार्ड नं० 12 में जरेन्द्र गर्ग के मकान से हवा सिंह सेनी के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	1000000.00
47	वार्ड नं० 12 में मन्जु होटल के पिछे हनुमान मन्दिर से पूनम करियाणा स्टोर तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	439205.00
48	वार्ड नं० 16 आसरी रोड से गांधी गली तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण।	350000.00
49	वार्ड नं० 28 शर्मा नगर में खंडा वाली गली में सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	489656.00
50	गुरुद्वारा कॉलोनी रोहतक रोड पर सतबीर के मकान से सुभाष और धर्मपाल के मकान से रामपाल, आशीश वर्मा के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	705798.00
राज्य वितीय आयोग की सिफारिश (एस.सी./एस.पी.)		
51	वार्ड नं० 25 भगवान नगर में रघुबीर नैन के मकान से मोहन्र पावर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	490034.00
52	वार्ड नं० 08 राज नगर में मेन कैथल रोड से हरी चन्द फौजी के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	433382.00
53	वार्ड नं० 28 में गोपी राम के मकान से राज कुमार शर्मा, प्रवीण के मकान से राज कुमार के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	242393.00
54	वार्ड नं० 28 में राज पाल के मकान से राज और रमेश के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	369300.00
55	वार्ड नं० 10 अमरेडी रोड से निरकारी भवन से योगेश गुप्ता और राजेन्द्र के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	94925.00
56	वार्ड नं० 10 में शारी निकेतन, अमरेडी रोड के पास सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	133650.00
57	वार्ड नं० 16 में पंजाब नेशनल बैंक से जनता बाजार तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	55607.00
58	वार्ड नं० 28 में स्वरोजात धर्मशाला से बजीर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	650898.00

1	2	3
59	नगरपरिषद जीन्द कार्यालय में पेवर ब्लाक लगाना व साईकल स्टैण्ड का निर्माण कार्य।	412150.00
60	वार्ड नं० 30 में धर्मपाल नाई के मकान से गली की अदायगी बारे।	97090.00
61	वार्ड नं० 29 में हरपाल पोल्टरी फार्म वाली गली में सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	993146.00
62	वार्ड नं० 27 में बाल्मीकि नौ० में सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	163714.00
63	वार्ड नं० 24 में न्यू कृष्णा कालोनी में धर्मबीर के मकान से महेन्द्र फौजी के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली का निर्माण कार्य।	1000000.00
64	वार्ड नं० 14 में मन्त के मकान से पथन वाली गली तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	400000.00
65	वार्ड नं० 01 जोगेन्द्र नगर में मनफुल के मकान से बारू मलिक के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	640000.00
4	वैट सरचार्ज का हिस्सा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.) (सामान्य)	
66	वार्ड नं० 24 भारत नगर में गली नं० 2 में सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	400000.00
67	भये बिजली लाईट सैट व मरम्मत के लिये बिजली का सामान खरीद करना।	1000000.00
68	वार्ड नं० 17 में राजस्थान मार्बल से लीला भंगल राम के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	320573.00
69	वार्ड नं० 28 में स्थरोजात धर्मशाला से वजीर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	349102.00
70	वार्ड नं० 31 में लोचश फीड भील से रतन सिंह फौजी के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	621140.00
71	वार्ड नं० 21 में एच.बी.सी. कॉलोनी में मकान नं० 1045 से 1039 तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	398142.00
72	वार्ड नं० 31 में साबुन की फैक्टरी से जोहड़ भिवानी रोड तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	500000.00
73	वार्ड नं० 18 में सतपाल यादव से हरी चन्द के मकान तक व राजेन्द्र केमकान से सतपाल लाडर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	243847.00
74	वार्ड नं० 18 में जोगा बांगड़ वाली गली व नाली का निर्माण कार्य।	32240.00
75	वार्ड नं० 17 में मस्तराभ वाली गली व नाली का निर्माण कार्य।	360000.00
76	वार्ड नं० 17 में सरोज प्रटवारी से ईश्वर सेनी के मकान तक व हुकम सेनी के मकान से राज कुमार के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	116195.00

1	2	3
77	वार्ड नं० 4 शिव पूरी कॉलोनी में कृष्ण के मकान से बालकृष्ण के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	500000.00
78	वार्ड नं० 5 में यशपाल के मकान से रामेश्वर भाई के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	300000.00
79	वार्ड नं० 13 में बदल सिंह बांगड के मकान से राजकीय प्राथमिक पाठशाला तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	200000.00
80	वार्ड नं० 17 में अनिल पण्डित के मकान के पास गली व नाली का निर्माण।	250000.00
81	वार्ड नं० 7 आनन्द पर्वत कॉलोनी में दयानन्द के मकान से ढाण्डा के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	156225.00
82	वार्ड नं० 4 शिवपुरी कॉलोनी में काला मिस्त्री के मकान से नरबाबा रोड तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	206036.00
83	वार्ड नं० 18 में जोगा बांगड वाली गली व नाली का निर्माण कार्य।	163773.00
84	वार्ड नं० 29 में राज करियाणा स्टोर हरपाल पोल्स्टरी फार्म तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	299595.00
85	वार्ड नं० 12 में तांगा चौक में शौचालय का निर्माण।	316496.00
86	घर-घर कुड़ा (पूजा कन्सूलेशन) इक्कठा करने की अदायगी।	1246887.00
	बैट सरचार्ज का हिस्सा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.)(एस.सी/एस.पी.)	
87	वार्ड नं० 4 में सत्यवान सेनी के मकान से लखभी के मकान तक ईन्टर लॉकिंग पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	621397.00
88	वार्ड नं० 4 में रामकुमार के मकान से बजरग के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	385314.00
89	वार्ड नं० 4 में रमेश खुराना के मकान से राजकुमार मोर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	300000.00
90	वार्ड नं० 7 सन्त नगर में सरिता पी.ए. वाली गली व नाली का निर्माण कार्य।	413876.00
91	वार्ड नं० 4 में राजपाल हरीजन के मकान से सारता स्कूल तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	344946.00
92	वार्ड नं० 18 में सुरेश के मकान से सत्यबाभ से सत्यवान के मकान से भगवाना के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	289965.00
93	वार्ड नं० 4 में सारता स्कूल के पास ईन्टर पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	490300.00
94	वार्ड नं० 4 में सारता स्कूल के पास ईन्टर पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	553195.00

1	2	3
95	नगरपरिषद जीन्द कार्यालय की सफाई शाखा के लिए 2 नये आईसर टैक्टर खरीदना।	916336.00
96	वार्ड नं० 18 में एकता नगर सतबीर रेडू वाली गली व नाली का निर्माण।	359189.00
97	वार्ड नं० 4 में जगबीर के मकान से सतबीर के मकान तक ईन्टर पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	400000.00
98	वार्ड नं० 18 में जाने राम के मकान से पवन के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	506282.00
99	वार्ड नं० 23 में रामफल हरिजन के मकान से विकास के मकान तक और जसवन्त गिल के मकान से शमशेर मलिक के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	747524.00
100	वार्ड नं० 23 में मन्जू होटल के पिछे पंजाबी धर्मशाला से रामजी कुल्फी वाले तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	421025.00
101	वार्ड नं० 18 में रणबीर श्योकन्द के मकान से सन्तरी के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	603166.00
102	घर-घर कुड़ा (पूजा कन्सुलेशन कम्पनी सोनीपत माह 05/2014) इक्कठा करने की अदायगी।	1037200.00
103	घर-घर कुड़ा (पूजा कन्सुलेशन कम्पनी सोनीपत माह 06/2014) इक्कठा करने की अदायगी।	1234096.00
104	घर-घर कुड़ा(पूजा कन्सुलेशन कम्पनी सोनीपत माह 07/2014) इक्कठा करने की अदायगी।	1126700.00
105	घर-घर कुड़ा (पूजा कन्सुलेशन कम्पनी सोनीपत माह 08/2014) इक्कठा करने की अदायगी।	1135260.00
106	घर-घर कुड़ा (पूजा कन्सुलेशन कम्पनी सोनीपत माह 09/2014) इक्कठा करने की अदायगी।	1164171.00
5	13वां केन्द्रीय वित्त आयोग	
107	वार्ड नं० 4 में धीरबल ए.एस.आई वाली गली व नाली का निर्माण कार्य।	288446.00
108	वार्ड नं० 3 और 4 शितलपुरी कॉलोनी से मेन नरवाना रोड से दादा खेड़ा तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	303257.00
109	वार्ड नं० 1 जोगेन्द्र नगर में गोपी राम के मकान से मुख्य गली तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	231234.00
110	बलख चौक के पास महाराजा सुरसेन चौक पार्क का सौंदर्यकरण।	487031.00

1	2	3
111	स्कीम नं0 5, 6 पार्क का सौंदर्यकरण।	496341.00
112	बतरख चौक जीन्स पार्क में पौधा रोपण व रंग रोगन करवाना	309298.00
113	वार्ड नं0 09 में राकेश चुक पार्श्व वाली गली तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	232716.00
114	वार्ड नं0 6 में मुने लाल के मकान से बलवान जोगी और जवाहर लालस्कूल से मन्गत कश्मीरी के मकान से सोनू के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	221668.00
115	वार्ड नं0 25 विकास स्कूल से पम्पी चक्की से शान्ति नर्सरी होम वाली गली तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	442267.00
116	वार्ड नं0 29 में धनपत के मकान से टेक राम के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	550000.00
117	वार्ड नं0 31 में जगमाल के मकान से जगदीश के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	95284.00
118	वार्ड नं0 10 अमरेडी रोड से मानक के मकान से नारी निकेतन तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	234443.00
119	वार्ड नं0 10 अमरेडी रोड में नारी निकेतन भवन से राजेन्द्र के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	274313.00
120	वार्ड नं0 25 बलबीर के मकान से मोहेन्द्र के मकान से मामु राम सरपंच मुन्शी सैनी के मकान से कास्ता सुमेर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	340808.00
121	वार्ड नं0 4 शिवपुरी कॉलोनी में ग्लोबल के मकान से जनता शोरूम तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	250000.00
122	वार्ड नं0 25 में चन्द्रभान के मकान से रामधन के मकान से जगदीश के मकान से गोपाल के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	319750.00
123	वार्ड नं0 में मेन नरवाना रोड में सत्यनारायण ड्राईवर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	423631.00
124	वार्ड नं0 24 भारत नगर में गली नं0 2 में सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	130226.00
125	वार्ड नं0 5 हकीकत नगर में भीमू के मकान से महाबीर के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	478000.00
126	वार्ड नं0 25 भटनागर कॉलोनी में रामफल के मकान से राम कुमार के मकान तक सिमेन्ट कंकरीट की गली व नाली का निर्माण कार्य।	214862.00
	कुल	54144000.00

Amti Pond in Hansi

76. **Smt. Renuka Bishnoi** : Will the Chief Minister be pleased to state –

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to revive the dilapidated Amti Pond in Hansi and to construct the road around it; and
- (b) if so, the steps taken by the Government to revive the Amti Pond in Hansi ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नगर परिषद, हांसी द्वारा अमटी तालाब के आस-पास पार्क की सुविधा तथा अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 09-12-2013 की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तालाब के आस-पास सीमेंट कंकरीट सड़क का निर्माण और पार्क विकसित करने का प्रारम्भिक अनुमान निदेशालय, शाहरी स्थानीय निकाय में 16 मार्च 2015 को प्राप्त हुआ था तथा इस अनुमान की 32.64 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 17 मार्च, 2015 को प्रदान कर दी गई है। सितम्बर, 2015 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

Repair of Road

77. **Smt. Renuka Bishnoi** : Will the PW (B & R) Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government is aware of the dilapidated condition of the road from Jind Chowk to Grain Market in Hansi; and
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the above said road and to construct the drains on its both sides for draining out the dirty water ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरवीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी। जीन्द चौक से अनाज मण्डी तक सड़क का भाग पानी आपूर्ति की पाईप लाईन के रिसाव के कारण एक तरफ की सड़क आमतौर पर क्षतिग्रस्त हो जाती है। सड़क को गद्दे भरकर यातायात योग्य रखा जा रहा है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। वर्तमान में, सड़क तथा नालों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Shortage of Doctors and Para Medical Staff

78. **Smt. Ranuka Bishnoi** : Will the Health Minister be pleased to state :-

- whether the Government is aware of the fact that there is a shortage of Medical facilities, doctors and paramedical staff in the Civil Hospital of Hansi;
- if so, the number of posts of doctor and paramedical staff lying vacant in the Civil Hospital of Hansi at present; and
- the steps taken by the Government for providing adequate medical facilities and to appoint the sufficient number of doctors and Medical staff in the Civil Hospital of Hansi ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) :

- श्रीमान जी, सामान्य अस्पताल, हांसी में चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है।
- सामान्य अस्पताल, हांसी में चिकित्सकों के 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 3 पद रिक्त हैं तथा पैरा मेडिकल तथा अन्य स्टाफ के कुल 48 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 16 पद रिक्त हैं।
- सामान्य अस्पताल, हांसी में 24X7 आपातकालीन सेवाएँ जिनमें मेडिको लीगल रिपोर्ट तथा अन्य सुविधाएँ जैसे कि पोस्ट मार्टम, एक्स-रे, दंतक देखभाल, ई.सी.जी., प्रयोगशाला तथा सर्जरी सुविधाएँ शामिल हैं, उपलब्ध हैं। इसमें बहिरंग तथा अंतरंग की सुविधाएँ शामिल हैं। वर्ष 2014 के दौरान 4485 अंतरंग रोगियों, 81209 बहिरंग रोगियों का उपचार किया गया तथा 726 प्रसूतियाँ करवाई गईं। नई भर्ती द्वारा जब भी चिकित्सक तथा पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध होंगे तो उनके रिक्त पदों को भरने के प्रयास कर लिये जायेंगे, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

To open Technical Institutes

79. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Technical Education Minister be pleased to state :-

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Technical Institutes in the State;
- (b) if so, the details thereof togetherwith the names of the places; and
- (c) the steps taken by the Government to open a new Technological Institute in village Jamawari of Hansi constituency ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, उपरोक्त के संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार से है :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) वर्तमान में राज्य में 25 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हैं जिनमें से 23 अपने परिसर में कार्यरत हैं तथा शेष दो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नामतः राजकीय बहुतकनीकी, शेरगढ़, जिला कैथल तथा राजकीय बहुतकनीकी, उमरी, जिला कुरुक्षेत्र जिनकी अतिथि कक्षाएँ क्रमशः राजकीय बहुतकनीकी, चीका (कैथल) व राजकीय बहुतकनीकी, अम्बाला शहर के प्रागण में चल रही हैं भी शामिल हैं। जबकि 12 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन हैं (जिनमें उपरोक्त दो अतिथि कक्षाओं वाले बहुतकनीकी संस्थान भी शामिल हैं)। इन राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की सूची अनुबंध-1 पर संलग्न है।

एक राजकीय इंजीनियरिंग संस्थान, धन्नीवाला मोटा (सिरसा) में कार्यरत है तथा दो अन्य राजकीय इंजीनियरिंग संस्थान, सिलानी केशो (झज्जर) व जैनाबाद (रिवाड़ी) में निर्माणाधीन है।

इसके अतिरिक्त राज्य में चार तकनीकी विश्वविद्यालय, गुरुजम्भेश्वर साईंस एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार, दीनबन्धु छोट्टाराम साईंस एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरझल (सोनीपत), वाई.एम.सी.ए. साईंस एवं तकनीकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद तथा स्टेट यूनीवर्सिटी ऑफ प्रफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, रोहतक में है।

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा गांव जमावड़ी, हांसी विधान सभा क्षेत्र में कोई नया तकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

सूची

अनुबन्ध-I

नये सरकारी बहुतकनीकी संस्थान (निर्माणाधीन)

क्र०	राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के नाम/स्थान	टिप्पणी
1	राजकीय बहुतकनीकी, शेरगढ़, जिला कैथल	अतिथि कक्षाएँ राजकीय बहुतकनीकी, घीका (कैथल) में चल रही हैं।
2	राजकीय बहुतकनीकी, उमरी, जिला कुरुक्षेत्र	अतिथि कक्षाएँ राजकीय बहुतकनीकी, अम्बाला शहर में चल रही हैं।
3	राजकीय बहुतकनीकी, इंड्री, जिला मेवात	-
4	राजकीय बहुतकनीकी, मालन, जिला मेवात	-
5	राजकीय बहुतकनीकी, मण्डकोला, जिला पलवल	-
6	राजकीय बहुतकनीकी, नीमका, जिला फरीदाबाद	-
7	राजकीय बहुतकनीकी, जमालपुर शेखां, ब्लाक टोहाना, जिला फतेहाबाद	-
8	राजकीय बहुतकनीकी, हथनीकुण्ड, जिला यमुनानगर	-
9	राजकीय बहुतकनीकी, जाटल, जिला पानीपत	-
10	राजकीय बहुतकनीकी, धौंगड़, जिला फतेहाबाद	-
11	राजकीय बहुतकनीकी, मानकपुरा, जिला पंचकुला	-
12	राजकीय बहुतकनीकी, छप्पार, जिला भिवानी	-

गैर सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : अब श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक अपना गैर-सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ

"किं यह सदन राज्य सरकार से देश में शिक्षा तथा महिला उत्थान के लिए जन-आन्दोलन के रूप में हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किये जाने की सिफारिश करता है"

अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की बेटियों के प्रति चिन्ता तथा बेटियों के प्रति उनके लगाव के कारण ही मैं आज यह गैर सरकारी प्रस्ताव सदन के सामने लेकर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 2015 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पानीपत में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। वे पानीपत में स्वयं पधारें थे और उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी कि आज देश में बेटियों का लिंगानुपात कम होता जा रहा है। आज देश में बेटियों की संख्या घटती जा रही है। 1961 में बाल लिंगानुपात जो 6 साल की उम्र तक का होता है वह 1000 पर 1001 था यानि बराबर था तथा 1991 में सी.एस.आर. की दर 1000 पर 945 हो गई। इसी प्रकार से 2001 में यह बाल लिंगानुपात की दर 1000 के मुकाबले 927 पर आ गई और वर्ष 2011 में 1000 के मुकाबले 918 हो गई। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब हमारे देश में बेटियों की संख्या, महिलाओं की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। हरियाणा में तो और भी ज्यादा चिन्ता का विषय है। देश में 100 जिलों में से हरियाणा में 12 जिले ऐसे हैं जहाँ महिलाओं का लिंगानुपात बहुत कम है। जहाँ देश में महिलाओं की लिंगानुपात की दर 1000 के मुकाबले 915 है वही पर हरियाणा में यह दर 1000 के मुकाबले 879 है। इसलिए हरियाणा में यह बहुत ज्यादा चिन्ता का विषय है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 835 है यानि 1000 बेटों के मुकाबले 835 बेटियाँ हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए इस अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से की है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश से आश्चयन किया है कि आज हमें इस घटते लिंगानुपात को रोकना होगा। घटते लिंगानुपात की वजह क्या है? मैं बताना चाँहूँगा कि वह वजह है भ्रूण हत्या। आज जिस प्रकार से बेटियों की कोख में छी हत्या कर दी जाती है, उसको आज रोकने की आवश्यकता है। आदरणीय मोदी जी ने 22 जनवरी को एक उद्घोषणा की थी तथा हाथ जोड़कर भीख भी माँगी थी कि बेटे की आस में बेटे की बलि मत चढ़ाईये। बेटा तो चाहिए लेकिन आज बेटे भी किसी स्तर पर कम नहीं है। आज जो देश में खुशहाली है तथा देश में जो तरक्की हुई है वह बेटियों की वजह से है। यह देश की बेटियों की गरिमापूर्ण उपलब्धि है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार चौर पर पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, समाज के अन्दर पुत्र का भौह बहुत अधिक होता है। लेकिन जिस प्रकार से समाज के अन्दर बेटियों ने हर क्षेत्र में चाहे वह वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे आर्मी अथवा नौवी या शिक्षा का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से बेटियों ने काम किया है मैं समझता हूँ कि आज बेटे बेटे से किसी भी तरह से कम नहीं है। "बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान" बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने और उसमें वृद्धि करने की एक पहल है। यह

[श्री ज्ञान चन्द गुप्ता]

अभियान महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए और सभी अवसरों में उनकी मांगीदारी दिलाने के लिए बहुत कारगर है। बाल लिंगानुपात में गिरावट को हम कैसे रोक सकते हैं ? इसके लिए हमें अपने आप को आगे लाना होगा। हमें समाज को जागरूक करना होगा। आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पानीपत में वहां जो लोग उपस्थित थे उनको शपथ दिलाई थी तथा देशवासियों को कहा था कि मैं प्रधानमंत्री देश की बेटियों की जिन्दगी की भीख मांग रहा हूँ। उन्होंने देश के लोगों से एक मार्मिक अपील की थी कि आज बेटियों को बचाने की आवश्यकता है तथा "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की शपथ दिलाई थी। उस कार्यक्रम में कई गणमान्य नेता उपस्थित हुए थे जिनमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी भी उपस्थित थे वहां पर उन्होंने भी संकल्प लिया था कि हमारी सरकार महिला लिंगानुपात की दर को बढ़ाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। आज उसी अभियान के तहत प्रदेश के अन्दर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये तथा बहुत सारी योजनाएँ बनाई गईं। आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस दिन 72 रथ चलाए थे जो उन जिलों के अन्दर जाएंगे और गांव-गांव व गली-गली के अन्दर जाकर प्रचार करेंगे जहां आज बेटी को बचाने की तथा बेटी को पढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आज बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। इस प्रकार का संदेश देने के लिए उन्होंने विभिन्न जिलों में 72 रथ भेजे। हर गांव के अन्दर वे रथ गये। इस संबंध में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर जिले के अन्दर कार्यक्रम किए। इस बारे में बहुत सारी यात्राएँ भी शुरू हुईं। स्कूलों के अंदर भी विशेष अभियान चलाये गये। स्कूलों के बच्चों से लेकर गाँव की पढ़ी लिखी महिलाओं को इकट्ठा करके कार्यक्रम किए गए ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की महत्ता बताई जा सके। आदरणीय श्री मोदी जी ने जिस दिन पानीपत जिले में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान की शुरुआत की थी उसी दिन प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी भी वहाँ पर आई थी। उनको हरियाणा प्रदेश के "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया था ताकि महिलाओं के अंदर इस बात का प्रचार हो सके कि बेटी की आज समाज में कितनी आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज हम कहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी बहू घर में चाहिए लेकिन अगर बेटियों को पढ़ायेंगे नहीं तो पढ़ी लिखी बहू कहाँ से आयेगी? सभापति महोदय, बहू तो पढ़ी लिखी ही चाहिए लेकिन बेटी को हम पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। सभापति महोदय, इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आदरणीय श्री मोदी जी ने कहा था कि हम बेटियों को परिवार का गौरव मानें और राष्ट्र में उनको सम्मान मिले, इसके लिए कुछ इनीशिएटिव लेने की जरूरत है तथा काम करने की जरूरत है और देश में यह संदेश देने की भी जरूरत है कि हम बेटियों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? सभापति महोदय, बेटियों को बढ़ावा देने के लिए उनको एजुकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। जैसे बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है मैं समझता हूँ कि उसी तरह से बेटी का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, अपने घर के अंदर जिस दिन बेटी पैदा होती है क्या उस दिन हम लड्डू नहीं बाँट सकते हैं? जिस दिन बेटा पैदा होता है उस दिन बहुत सारी बर्फी और लड्डू वगैरह बाँटे जाते हैं लेकिन इसके विपरीत जब लड्डूकी पैदा होती है तो कई घरों के अंदर मायूसी छा जाती है। यह कहते हुए मुझे खुशी है कि आज वो दिन चले गये हैं। आज बेटियाँ किसी से भी कम नहीं हैं। बेटियाँ बेटों से ज्यादा वफादार होती हैं। सभापति महोदय, जब बेटियाँ अपने मायके से चली जाती हैं तब भी अपने माँ-बाप का ख्याल रखती हैं।

इसलिए मैं समझता हूँ कि एक नई परम्परा की हम अपने आप से शुरुआत करें। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि जिस दिन किसी घर में बेटा पैदा होती है तो परिवार के सदस्य जश्न मनायें। आमतौर पर बेटियों को पराया धन कहकर संबोधित किया जाता है, इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। बेटियाँ हमारी गौरव हैं, हमें बेटियों पर गर्व करना चाहिए। जो लोग बेटियों को पराया धन कहते हैं उन्हें इस मानसिकता का भी त्याग करना चाहिए और लड़के और लड़की के बीच समानता को बढ़ावा देना चाहिए। सभापति महोदय, लड़के जितने महत्वपूर्ण होते हैं उससे ज्यादा लड़कियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार माता पिता बाहर जाते हैं तो लड़के को साथ ले जाते हैं और लड़की को घर में ही छोड़ कर चले जाते हैं। लड़की किसी से कम नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि समाज में लड़कियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा भी समाज में एक कुरीति है। जिसको हमें रोकना होगा। सभापति महोदय, जब लड़की पैदा होती है तभी से उसके बारे में घर में चर्चा शुरू हो जाती है तथा उसके माँ-बाप उसी दिन से ही उसकी शादी को लेकर चिन्ता शुरू कर देते हैं। सभापति महोदय, जब बेटा पैदा लिखी होगी और समाज में उसका अलग से स्थान होगा तो उस बेटे को हजारों माँ-बाप अपने बेटों की शादी के लिए अपने आप ही मांगने आ जायेंगे। इसलिए यह जो मानसिकता है कि बेटे की शादी में दहेज देना पड़ेगा, इस मानसिकता को छोड़ते हुए हमें इसका चोर विरोध करना चाहिए। सभापति महोदय, हमें बेटे को पढ़ाने-लिखाने का इंतजाम करना चाहिए। घर के अन्दर इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हमें अपनी बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. बनाना है जबकि इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि 18-20 साल के बाद इसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा और वह दहेज कहां से आयेगा? सभापति महोदय, अगर इस प्रकार की चर्चा अपने घरों में करेंगे तो निश्चित रूप से घर का माहौल बदलेगा और हमारी बेटियों को भी लगेगा कि हमारे परिवार वालों को हमारे भविष्य की चिन्ता है न कि उनको हमारी शादियों की चिन्ता है। सभापति महोदय, जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या करता अथवा करवाता है, कहीं भी कोई लिंग जाँच की कोई घटना होती है तथा कहीं पर भी भ्रूण टेस्ट करने की मशीन लगी हुई मिलती है तो ऐसे लोगों व घटनाओं की जानकारी संबंधित ॲथोरिटी को देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। सभापति महोदय, जहां-जहां इस प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं, जब तक ये दुकानें बंद नहीं होगी तब तक यह भ्रूण हत्या होती रहेगी, इसलिए इस कुकृत्य के ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो लोग इसकी सूचना देते हैं उनको कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। सभापति महोदय, अक्सर हमें आस पड़ोस में या राह चलते जब कई बार सड़क के ऊपर यह देखने को मिलता है कि किसी बेटे के साथ या किसी बहन के साथ कहीं पर कोई अमर्ल व्यवहार हो रहा हो, उसके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही हो या उसको तंग किया जा रहा हो तो देश का जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बहन बेटे की सुरक्षा के लिये आये आये। हमें कई बार लगता है कि लड़की अपने आप निपट लेगी, पता नहीं क्या बात है, हमें इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। हमारी जो पीड़ित महिला और बहन है उसकी सुरक्षा के लिये हमें आगे आना ही पड़ेगा। सभापति महोदय, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया है। आमतौर पर, प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर मन में यह चिन्ता सदैव बनी रहती है कि यदि बेटा पैदा हो गई तो उसे भी प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर देना पड़ेगा।

[श्री ज्ञान चन्द गुप्ता]

इस प्रकार की मांगसिकता को भी हमें बदलना होगा। सभापति महोदय, आज सरकार की ओर से जो बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'बेटी बचाओ जननी सुरक्षा', 'बेटी बचाओ प्रोत्साहन योजना', 'आपकी बेटी हमारी बेटी', 'हरियाणा कन्या कोष योजना', 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' आदि जनकल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। सभापति महोदय एक अद्भुत स्कीम सरकार ने शुरू की है यह है कि जो आशा वर्कर गांव के अन्दर काम करती हैं वे गांव की महिलाओं को समझाएंगी कि बेटी क्यों आवश्यक है? वे हमारी माताओं और बहनों को भ्रूण हत्या रोकने के लिये प्रोत्साहित करेंगी जिसके लिए सरकार ने उनको पुरस्कार देने की घोषणा की है। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टपरीवास जातियों और बी.पी.एल. परिवारों की विधवाओं की बेटीयों की शादी पर 41 हजार रुपये देने की योजना शुरू की है। सभापति महोदय, जो गरीब परिवार अपनी बेटीयों की शादी के लिये चिन्तित रहते हैं, उनके लिए सरकार ने यह तय किया है कि विधवा महिलाओं की बेटी की शादी में 41 हजार रुपये शगुन के तौर पर दिये जायेंगे मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। सभापति महोदय, आज से 2-3 दिन बाद नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों में लोग कन्या पूजन करते हैं। बेटी जो कन्या है वह शक्ति का स्वरूप होती है। नवरात्रों में जब कन्या पूजन के लिये अपने मोहल्लों में कन्याओं को ढूँढते हैं तो हमें कन्याएं ही नहीं मिलती हैं। जब हम नवरात्रों के अन्दर उनके पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो हमारी बहनों बेटीयों की सुरक्षा के लिये हमें सदैव चिन्तित रहना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं तथा स्कूलों के माध्यम से छोटी-छोटी रैलियाँ निकालकर लड़कियों को जागरूक करके आगे बढ़ाने के लिये बल दिया है। मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गांवों के अन्दर जो कन्या विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनको भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हमारी बहनों व बेटीयों पढ़ने के लिये बसों में जाती हैं तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक-एक बस के अन्दर लगभग 100-100 लड़के/लड़कियाँ इकट्ठे चढ़ते हैं तो हमारी बहनों व बेटीयों न तो ठीक ढंग से बसों में चढ़ पातीं और ना ही ठीक ढंग से बसों के अन्दर बैठ ही सकती हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सी अवांछनीय घटनाएँ घट जाती हैं। सभापति महोदय, इन अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए जहाँ-जहाँ सम्भव हो सके अगर कन्याओं के लिये अलग से बसें चलाई जायें तो मैं समझता हूँ कि बेटीयों को आगे पढ़ने व बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। गांवों में जो बुजुर्ग हैं वे यह सोचते हैं कि यदि वे अपनी बेटीयों को पढ़ने के लिये दूरदराज के क्षेत्रों में भेजेंगे तो उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। सभापति महोदय, कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण हमारी बहनों-बेटीयों को पढ़ने के लिये लगभग 10-10 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ता है, इसलिए सरकार यदि उनके आने जाने के लिये अलग से कोई व्यवस्था कर दे तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहनों-बेटीयों को पढ़ने में सहायता मिलेगी। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करते हुए कहना चाहूँगा कि यह मेरे अकेले का विषय नहीं है और न ही किसी अकेली पार्टी का ही विषय है। यह पूरे देश तथा प्रदेश का विषय है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लिंगानुपात में ज्यादा विषमता है, जिसको दूर करने के लिये हम सबको अपने-अपने राजनैतिक

एजेंडे से ऊपर उठकर बेटियों की रक्षा के लिये, बेटियों को बचाने के लिये और बेटियों को आगे पढ़ाने व बढ़ाने के लिये अलग-अलग तरीकों से ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। तथा माननीय सदस्यों से आशा करता हूँ कि वे सभी मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।


श्री सभापति : अब मैं श्रीमती सन्तोष यादव से आग्रह करूँगा कि वे श्री ज्ञानचन्द गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव को सैक्रेण्ड करें।

श्रीमती सन्तोष यादव : आदरणीय सभापति महोदय और माननीय सभी सभासदो, माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने सदन में जो प्रस्ताव रखा है, मैं भी इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, आज महिला की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। यह न केवल देश के लिए एक समस्या है बल्कि एक चुनौती भी है। स्वामी विवेकानन्द जी ने इस बारे में कहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। "It is impossible to think about the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is impossible for a bird to fly only on one wing." आज बेटी के लिए देश में इतनी चिन्ताजनक स्थिति हो गई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेटी की भीख मांगने के लिए तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन कल्याणकारी योजना को पदार्पित करने के लिए दिनांक 22.1.2015 को पानीपत पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने बेटी के जन्म की भीख मांगी। मेरे माननीय साथी ने इस बारे में बताया और उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए कि हरियाणा में यह स्थिति और भी चिन्ताजनक है। इस स्थिति को ध्यान रखते हुए न केवल सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी तीन डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर देश के 100 जिलों में इस जन कल्याणकारी योजना को लागू करने का काम किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : सभापति महोदय, कृपया मुझे माफ करना, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सभापति महोदय, आज प्राइवेट मेंबर डे है और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये हैं क्या उन माननीय सदस्यों का इस विषय के बारे में कोई इन्टरस्ट नहीं है ? क्या वे माननीय 'बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने' में कोई विश्वास नहीं रखते ?

श्री सभापति : विज साहब, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बाकआउट करके सदन से बाहर चले गये हैं।

श्री अनिल विज : सभापति जी, हम मानते हैं कि सदन में प्रोटेस्ट करने का वॉक आऊट ही एक तरीका है। कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। जिस दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट तथा प्राइवेट मेंबर डे के बारे में प्रस्ताव सदन के फ्लोर पर रखा जा रहा था, उस दिन भी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य खड़े हो होकर बोल रहे थे। आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सदन में चर्चा हो रही है। इसलिए इस बारे में सारे सदन को बुलाबीमसली कोई शय बनानी चाहिए। हमारे माथे के ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि ये उस प्रदेश के लोग हैं जहाँ कोख में ही बच्चियाँ मार दी जाती हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जिसकी लीडर भी एक महिला है फिर भी उनका इस प्रस्ताव में कोई



श्री अनिल विज]

इन्ट्रस्ट नहीं है। क्या यह सिर्फ एक ब्लॉग ही है ? प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर सदन में विचार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक भी माननीय सदस्य सदन में नहीं है यह देखकर मुझे बहुत दुःख होता है तथा मैं अपने आपको रोक नहीं पाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इनको ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्राइवेट मैम्बर्ज डे होना चाहिए जिसके लिए ये सदन में लड़ते भी हैं। आज प्राइवेट मैम्बर्ज डे पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पर इस सदन में चर्चा हो रही है। आज जो दाग समाज में लगा हुआ है उसको हम हरियाणा प्रदेश के माथे से मिटाना चाहते हैं जिसके लिए हम कड़े से कड़े कदम उठाना चाहते हैं। इसके लिए हम दिन-रात बैठकें कर रहे हैं। अभी हम ने इस विषय में पुलिस अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग इस गलत कार्य में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब सदन में चर्चा हो रही है तो मुझे यह बताते हुए अफसोस है कि पूरे का पूरा एक दल सदन से नदारद है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? यह कहने के लिए ही मैंने आदरणीय बहन जी को इंट्रस्ट किया था।

श्रीमती संतोष यादव : सभापति महोदय, मैं आदरणीय विज साहब की इस बात से सहमत हूँ जो उन्होंने अभी सदन में कही हैं। आज 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के इस मुद्दे पर पूरा देश एक है तथा इस योजना को लागू करने में सभी के अंदर एक जुनून है। कई बार देश व प्रदेश में ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं जब सारे देश को एक होना पड़ता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले भी ऐसे कई अवसर देश में आये हैं। जब हम रियासतों के एकीकरण की बात करते हैं तो हमें माननीय सरदार पटेल जी का चेहरा याद आता है। नॉन-कोंग्रेसन मूवमेंट के समय महात्मा गांधी जी के पीछे सारा देश लग गया था। इसी प्रकार से वनों व पेड़ों की सुरक्षा करने संबंधी चिपको आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने अमृता बेन का चेहरा सामने आता है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी ने भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ज्वलंत मुद्दे का बीड़ा उठाया है। चूंकि यह अभियान भाई नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू किया है इसलिए इस अभियान के साथ भाई नरेन्द्र मोदी जी का नाम जुड़ गया है। हरियाणा सरकार ने इस अभियान को एक जुनून के रूप में लागू करने का कार्य किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस के लिए कई राष्ट्रीय सेमिनार भी करवाये हैं तथा सारे विभागों को कड़ी चेलावनी दी है कि बेटी को हर हालत में बचाना है। सभापति महोदय, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर वेदों की रचना हुई। वेदों और पुराणों में हम पढ़ते हैं कि यत्र पूज्यते नारीत्व, तत्र रमन्ते देवताः अर्थात् महिलाओं के बारे में अच्छी-अच्छी टिप्पणियाँ की गई हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं को कई विपरीत परिस्थितियों से होकर भी गुजरना पड़ा है। एक श्लोक में किसी लेखक ने यह भी कहा था कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि समाज के अन्दर नारी को किन-किन परिस्थितियों और समस्याओं से गुजरना पड़ा है। लेकिन अब 21वीं सदी की तस्वीर कुछ और ही है। इस समय महिला संघर्षरत है और अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है फिर भी वे अपना यथोचित सम्मान पाने में पूरी तरह से अभी तक सफल नहीं हुई हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल-15 में साफ तौर से लिखा हुआ है कि पुरुष और महिला को समान अधिकार प्राप्त हैं।

वे दोनों ही बराबर हैं। इसके अलावा मैं यह भी बलाना चाहूंगी जो आश्चर्यचकित भी है लेकिन सत्य है कि अमरीका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश अपने आपको विकसित समझते हैं उन देशों में भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही मिला था। जापान में 1945 में तथा फ्रांस में 1946 में महिलाओं को यह मताधिकार दिया गया तथा स्वतंत्रता की अधिक गुहार लगाने वाले राष्ट्र स्विटजरलैंड में भी महिलाओं को यह अधिकार 1971 में दिया गया लेकिन हमारे देश में यह अधिकार देश की आजादी के प्रथम दिन से ही प्राप्त हो गया था लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि महिलाओं को आज भी दोयम केंटेगरी का कैंडीडेट समझा जाता है, उसको हेय तुच्छ समझा जाता है और नाकाश नजरों से देखा जाता है। मैं एक सर्वे की रिपोर्ट बताती हूँ। वह सर्वे की रिपोर्ट औरतों के हक में थी। इस सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है "Even the most societies prescribed violence against woman. The reality is that she is tortured physically, psychologically, sexually and economically. The right to equality, security, dignity and self worth are denied to woman" सभापति महोदय, आजादी के 67 सालों के बाद भी बेटियों को दीन और हीन समझा जाता है। देश में आज भी क्यों निर्भया जैसे कांड होते हैं ? आज भी दो दो महीने की बच्ची के साथ 72 साल के बूढ़ों द्वारा बलात्कार किया जा रहा है। क्यों कोख में ही बच्ची को मार दिया जाता है ? क्यों वे माताएं जो अपनी बच्ची को लाडली समझती हैं, अपने सीने पर पत्थर रखकर भ्रूण हत्या करवाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यह बहुत दर्दनाक विषय है। ये सारी बातें उस महिला के साथ हो रही हैं जो वात्सल्य मयी माँ है, प्रिय पत्नी है और जगत की जननी है। यह बेहद चिंता का विषय है। सभापति महोदय, अंत में मैं पूछना चाहूंगी कि किस क्षेत्र में महिला किशोरी से कम है ? वास्तविकता यह है कि वह हर क्षेत्र में आगे है। चाहे डाक्टरों के क्षेत्र की बात हो, चाहे टीचिंग के क्षेत्र की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात हो या खेलों के क्षेत्र की बात हो, उसकी विद्वता की भूँज हर क्षेत्र में हर स्तर पर सुनाई देती है। आज भी महिलाएं इतनी विद्वान हैं कि वे इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद भी कन्याओं को कोख में मारा जा रहा है, इससे बड़ा अपराध इस सभ्य सोसायटी में नहीं हो सकता। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे माननीय साथी ने बताया कि लिंगानुपात प्रतिदिन घटता जा रहा है। आज देश में महिलाओं का अनुपात 1000 के पीछे 919 है और हरियाणा में तो यह अनुपात और भी कम है। हरियाणा में 1000 के पीछे 834 महिलाएं हैं। अगर हम 6 वर्ष की आयु का अनुपात लें तो यह अनुपात और कम हो जाता है। हरियाणा में तो यह अनुपात 873 है। यदि मैं अपने जिले की बात करूँ तो स्थिति दर्दनाक है क्योंकि वहाँ 1000 के पीछे यह अनुपात 746 रह गया है। सभापति महोदय, तीन दिन पहले अखबारों में रिवाड़ी से यह खबर लगी थी कि राव इन्द्रजीत सिंह जी बोलनी गांव में गए थे। उन्होंने यह गांव गौद ले रखा है, वहाँ 1000 पर 544 लड़कियाँ हैं। मैंने खबर में पढ़ा है कि कई कई गांवों में तो लड़कियाँ हैं ही नहीं। सभापति महोदय, यदि ऐसी सिचुएशन होगी तो किस प्रकार यह देश चलेगा ? यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसी बात को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने यह क्रान्तिकारी और जनकल्याणकारी कदम उठाया है। सभापति महोदय, मेरे पास 13 मार्च का न्यूज पेपर है जिस में कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ने लिखा है कि मेरी देश की सरकारों से और खासकर हरियाणा की राज्य सरकार से अपील है कि वे अब तो यू.पी., बिहार और झारखंड से दुल्हनों की खरीद फरोख्त का धंधा बंद कराएं। सभापति महोदय, यह कैलाश सत्यार्थी का वचन है। इन्हीं खरीदी

[श्रीमती संतोष यादव]

गई दुल्हनों की ही कोख से बेटियां जन्म लेने वाली हैं जिनको बचाने और पढ़ाने का भार सरकार लगा रही है इसलिए शादी के नाम पर खरीद कर लाई जा रही बेटियों की सामाजिक स्थिति की ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। समापति महोदय, बड़ा ही दर्दनाक विषय है अगर यही स्थिति चलती रही तो इस देश में क्या माहौल होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें इसके कारणों में जाना होगा। इसका सबसे मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और अनपढ़ता है। आज टोटल लीट्रेसी रेट 70 प्रतिशत है और महिलाओं का लीट्रेसी रेट 57 प्रतिशत है। यह भी तब संभव हुआ है जब हम खूब प्रयास कर रहे हैं। दहेज प्रथा भी इसका एक मूल कारण है। जैसा माननीय साथी बता रहे थे कि लड़की के जन्म लेते ही माता-पिता को लड़की की शादी व दहेज की चिन्ता हो जाती है। आर्थिक तंगी भी इसका एक कारण है। हमारे समाज में एक सोच है कि बेटा पैदा होगा तो धन कमायेगा और बेटी पराया धन हो जायेगी। इसी तरह से बेटी की सुरक्षा कौन करेगा, यह भी बड़ा कारण है। आज ऐसा माहौल हो गया है कि यदि किसी की बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो माता-पिता टक-टकी लगाये रखते हैं कि बेटी सुरक्षित घर आयेगी अथवा नहीं। यह भी एक अन्य बड़ा कारण है। आज हर परिवार को बेटा पैदा करने की लालसा रहती है। क्योंकि धार्मिक रुढ़िवादिता और दकियानूसी विचार धारा समाज में बहुत गहराई से फैली हुई है। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय बेटा मुखारिण देगा और बेटा पिंडदान करेगा। इस तरह के दकियानूसी विचार हमारे समाज में पनपे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि यदि बेटी हुई तो खानदान का वंश मिट जायेगा और बेटा पैदा होगा तो आगे वंश को बढ़ाने की परम्परा जारी रहेगी। इस तरह की सोच अनपढ़ता की देन है। सम्पति में अधिकार भी इसका एक कारण है। समापति महोदय, साइंस की खोज अल्ट्रासाउंड का हमने गलत इस्तेमाल किया है। यह भी भ्रूण हत्या का एक मैन कारण है। जिस समय अल्ट्रासाउंड नहीं था उस समय लिंग की जांच नहीं होती थी। यदि इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तथा लिंगानुपात को सही नहीं किया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे। वैसे तो आज भी स्थिति गंभीर है जिससे समाज गुजर रहा है। समापति महोदय, महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, यौन-उत्पीड़न, व्यंगबाण, अपहरण, मारपीट, एसिड-अटैक, बलात्कार जैसी घटनाओं से बेटियों को गुजरना पड़ रहा है। आज लिंगानुपात ठीक न होने के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं और ज्यादा दोहन कर लेते हैं तो बरसात ज्यादा हो जाती है व ज्यादा आंधियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या करना भी प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ करना है और परिणामतः संतुलन बिगड़ जाता है। यही वजह है कि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। लड़कियों से शादी करने के झगड़े बढ़ रहे हैं, हमारी परस्पर शर्म खत्म हो रही है, रिश्ते-नाते टूट रहे हैं, आर्थिक अपराध भी बढ़ रहे हैं तथा प्रोपर्टी के झगड़े बढ़ रहे हैं। इन सब दकियानूसी विचारों से समाज को चेताने की जरूरत है। यह एक विकट समस्या देश के सामने है। मैं इस भ्रष्टाचार के माध्यम से समाज को आह्वान करती हूँ कि समाज इन दकियानूसी विचारों से बाहर निकले और इनका त्याग करे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस घर में बेटी नहीं होती वह परिवार पूरी तरह से सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि-

"परिवार की शान है बेटी, भारत का अभिमान है बेटी,

ईश्वर का वरदान है बेटी, देवी रूप समान है बेटी।"

हरियाणा पूरे देश में बेटी को बचाने के मामले में सबसे अग्रणी राज्य बने क्योंकि यहां पर यह समस्या बहुत ही आजुक है इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके लिए जुनून के रूप में

पूरा प्रदेश लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय सेमिनार भी करवाया है कि हम इस बारे में क्या-क्या नये तरीके अपनाकर प्रदेश को अग्रणी बना सकते हैं। इसलिए बजट में भी और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इन सभी बातों को रखा गया है। 'सुकन्या समृद्धि योजना' और 'बेटी बचाओ जननी सुरक्षा योजना' पर हमारे सहयोगियों ने विस्तार से चर्चा की है और विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ भी की हैं। 'बेटी बचाओ आशा प्रोत्साहन योजना' 'आपकी बेटी हमारी बेटी' 'हरियाणा कन्या कोष' माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस तरह की नई नई स्कीमें प्रदेश में लागू की हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि मात्र ये स्कीमें लागू करने से ही बात नहीं बनेगी। इसके लिए पूरे समाज को एक चेतना के रूप में आगे आना पड़ेगा और जिसके लिए मैं एक सुझाव अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि इस समस्या को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले शिक्षा का सामाजिकरण करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अगर बेटा पढ़ता है तो वह अपने परिवार का सहारा बनता है लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो वह दो-दो परिवारों को संवारती है इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमें बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलानी पड़ेगी। इसके लिए हमें और कालेज खोलने पड़ेंगे और ज्यादा आई.टी.आई. खोलनी पड़ेंगी और बेटियों के स्कूल से ड्राप-आउट्स को बिलकुल कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बेटियों के स्कूल, कालेज, आई.टी.आई. और दूसरे संस्थानों में जाने के लिए परिवहन की समुचित और सुरक्षित व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वे सुरक्षित अपने संस्थानों में जा सके और एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सकें। मैं यह बात विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। बेटों को स्वयं भी और बेटों के पैरेंट्स को भी सशक्त होना पड़ेगा। निराशावादी विचारों को त्यागना पड़ेगा और इसके साथ ही मैं अपनी बहनों से इस सदन के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वे निराशावादी विचार छोड़कर आगे बढ़ें और मन में यह विचार कर लें कि इस समस्या का समाधान करना है तथा सशक्त होना है। मैं नारी शक्ति का आह्वान करते हुए कहना चाहूँगी कि "खड़ग धाम दोनों हाथों में रण चण्डी बनना होगा, बेटों के अत्याचारों का शीश कलम करना होगा।" इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगी कि नारी को स्वयं सशक्त होना पड़ेगा। अभी हमारे समाज में इस बारे में सुधार हुए हैं और कन्याओं का पूजन होने लगा है। लड़कियों का जन्म होने पर कुछ सुधार होने लगा है, कुछ महिला बहनें एम.पी बनी हैं, एम.एल.ए. बनी हैं इसके अलावा वे और भी अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं लेकिन इतना सब होने पर भी हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। उनके लिए यहाँ मैं रॉबर्ट फ्रास्ट की पोयम का एक स्टैंजा पढ़ना चाहूँगी :-

"The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि आज का युग प्रचार-प्रसार और विज्ञापन का युग है। हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और सोये हुए समाज को जगाने और चेताने के लिए प्रचार और प्रसार पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना पड़ेगा। रेडियो, दूरदर्शन, भाषण प्रतियोगिताओं, नारों आदि के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए समाज में जागृति लाई जा सकती है तथा हमारी सरकार ने ये सारे कार्यक्रम करने का संकल्प भी किया है। बेटी भी पिता की उत्तराधिकारी

[श्रीमती संतोष यादव]

हो सकती है तथा परिवार और वंश को आगे बढ़ा सकती है। वह पिता का अंतिम संस्कार भी कर सकती है अर्थात् उनको मुखग्नि भी दे सकती है। मैं तो यह कहना चाहूंगी की बेटा लौ केवल एक परिवार से संबंध रखता है और बेटा दो परिवारों को जोड़ती है। इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान करना पड़ेगा तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय में कार्यवाही भी की है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीछे एक सेमिनार में कहा था कि सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि जिले में जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं उनको चेक किया जाये और भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य करने वाले किसी को नहीं छोड़ा जाये। मेरी यह भी प्रार्थना है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य करता है तो उसको कारावास की सजा होनी चाहिए तथा उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। हमारे जैसे राजनीतिक लोग अगर घोट के लिए उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो अब ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होगा अर्थात् राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं होगा क्योंकि हमारी सरकार ने देश में "बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने" का मन बनाया है इसलिए इस अभियान को आगे लेकर जाना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। सभापति महोदय, कहते हैं कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, इसलिए इस घृणित कुप्रचलन को रोकने हेतु कठोर दंड का प्रावधान होना भी नितांत आवश्यक है। मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आमूल-मूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडीकल कॉलेज वहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा आई.टी.आई. में संस्कार युक्त पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा। प्रदेश में योग और व्यायामशालाओं का प्रबन्ध भी किया गया है ताकि बच्चियों को संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके और वे आगे बढ़ सकें तभी इस कुप्रचलन पर कुछ लगाम लग सकती है। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ बेटियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना भी नितांत आवश्यक है। मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की बात की लाईद करती हूँ कि बेटियों को आर्थिक रूप से सम्पन्न व आत्मनिर्भर बना दिया जाये क्योंकि इकोनोमी भी महिलाओं के शोषण का एक काँज है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस काम के लिए एन.जी.ओ. को भी आगे आना पड़ेगा। इतना ही नहीं हमें अप्रशिक्षित दाईयों पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हमें उन बेटियों को भी आदर्श बनाना पड़ेगा जिन्होंने अच्छे कार्य किये हैं। इनमें विश्व प्रसिद्ध धावक पी.टी. ऊषा, मुक्केबाज मेरी कॉम, पर्वतारोही संतोष यादव, खगोल शास्त्री कल्पना चावला, सुनिता विलियम और अभी-अभी 13 जनवरी, 2015 को भारत की बेटी भगती शर्मा ने अन्टार्कटिका महासागर में 1 डिग्री सेलसियस तापमान में 1.5 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, शामिल हैं। हमें इन बेटियों को आदर्श बनाना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि हमारी बेटियाँ लड़कों से किसी प्रकार भी ना शारीरिक रूप से कम हैं और न ही मानसिक रूप से कम हैं। इसके अतिरिक्त हमें ग्राम स्तर पर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' समितियाँ बनानी पड़ेंगी जिनमें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर, गांव का सरपंच और स्कूल का मुखिया तथा दो-चार और मुख्य आदमी हों ताकि वह समितियाँ इस अभियान पर नजर रख सकें। इसी तरह से महिला सुरक्षा समितियाँ भी बनानी पड़ेंगी। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि एक राष्ट्रीय सेमिनार में मध्यप्रदेश से महिलाएं आई थी, वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके प्रदेश में गुलाबी गैंग नाम से एक

समिति बनी हुई है जो कि एक महिला सुरक्षा दस्ता के रूप में कार्य करती है। अगर इस तरह की समिति हरियाणा में भी बना दी जाये तो उससे हमें काफी सहायता मिल सकती है।

श्री समापति : बहन जी, कृपया आप कनकल्यूड करें।

श्रीमती सन्तोष यादव : आदरणीय समापति महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात कनकल्यूड कर लूंगी। मेरे माननीय साथी ने बताया है कि हमें देश में सभी बेटियों को सुशिक्षित करना है तथा देशवासियों को यह स्मरण कराना है कि हमारी संस्कृति में भगवानों ने भी भगवति माता को अपने नाम से पहले संबोधित किया है। जैसे सीया-राम, सीता-राम, गौरी-शंकर, राधा-कृष्ण आदि। इससे मालूम होता है कि पहले माताओं-बहनों को कितनी इज्जत देते थे। ठीक उसी तरह से आज नारी को इज्जत देने की जरूरत है। हम नवरात्रों में दुर्गा माता, कन्याओं की पूजा करते हैं। यह बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक तरफ तो हम कन्याओं की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम कन्या को कोख में ही मारने का काम करते हैं। यह बड़ा ही चिन्ता का विषय है। समापति जी, अंत में मैं स्वामी विवेकानन्द जी का यह कथन कहना चाहूंगी - *That country and that nation that do not respect women, have never become great, nor ever been in future.*

श्री जाकिर हुसैन : माननीय समापति महोदय, इस सदन में जो रेजोल्यूशन माननीय श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी लेकर आए हैं तथा जिस पर बहन सन्तोष यादव जी ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं, मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। भ्रूण हत्या पूरे देश के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है जिससे पूरे देश में लिंगानुपात में बहुत भारी गिरावट आ रही है। इस विषय पर बहुत चिन्ता और उचित कार्यवाही करने की जरूरत है। (इस समय श्री अध्यक्ष चैयूर पर पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री श्री विज साहब कह रहे थे कि पूरे प्रदेश पर यह एक बदनूमा दाग है जिसको विशेष तौर पर देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा से की है। इस अभियान को सफल बनाने हेतु आज हरियाणा राज्य कोशिश कर रहा है। इसलिए इस सदन में यह प्रस्ताव आया है कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय किए जाएं। वास्तव में ही यह एक बहुत सराहनीय कदम है। स्पीकर सर, जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई है कि प्रदेश में मेवात जिले ने इस दाग को धोने का काम किया है। मेवात जिला जबकि पिछड़ा व अनपढ़ इलाका माना जाता है, फिर भी उसने इस दाग को धोने का सराहनीय कदम उठाया है। माननीय मंत्री श्री विज साहब भी कह रहे थे कि मेवात जिले ने इस दाग को धोने का काम किया है। लेकिन यह दाग पूर्णतया तभी मिट सकता है जब पूरा प्रदेश इस सर्ज पर चले कि वह समाज, परिवार व जीवन में बेटियों को बेटों के बराबर अहमियत देगा। अनपढ़ लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको अपनी आपबीती बात सुनाता हूँ। मेरा एक बड़ा बेटा है और उसके बाद मेरी एक बेटी है। मेरी तीसरी बेटी का जन्म चण्डीगढ़ के सैक्टर-22 के एक हॉस्पिटल में वर्ष 1995 में दौपहर को हुआ। हॉस्पिटल के डॉक्टर और वहाँ का स्टाफ इस बात से हैरान थे कि हम लोग बेटी के जन्म पर खुश थे। कहीं मिठाईयाँ बंट रही थी तो कहीं बधाइयाँ दी जा रही थी। मेरी माता जी जो गुड़गाँव में रहती थीं वे भी 4 घण्टे के अन्दर गुड़गाँव से चण्डीगढ़ पहुँच गईं। मेरे पिता जी राजस्थान में एम.एल.ए. थे वे भी स्पेशल फ्लाईट से शाम तक चण्डीगढ़ पहुँच गये। सारा परिवार मेरी बेटी के जन्म का उल्लास जोश से मना रहे थे जिसको

[श्री जाकिर हुसैन]

देखकर होस्पिटल के डॉक्टरों व स्टाफ ने हमारे स्टाफ से पूछा कि यह परिवार बावला है क्या ? इस पर उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ? तब डॉक्टरों ने कहा कि वे तो लड़की का जन्म बताने में संकोच कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खुश होकर मिठाईयाँ बांट रहे हैं। फिर हमारे स्टाफ ने कहा कि इनके परिवार में बेटियों को हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे रखा जाता है। यह मेरे जीवन की आप बीती कहानी है। अध्यक्ष महोदय, इस भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सख्त कानून बनाने के साथ-साथ नर्सिंग होमों पर भी सख्ती बरतनी पड़ेगी तथा अपनी विचारधारा व मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आदरणीय बहन संतोष यादव जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। इस चाखू सदन में गौ-संदर्भन और गौ-रक्षा बिल के ऊपर सख्त कानून बने हैं। ऐसे सख्त कानून पूरे देश में बनने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अपील करता हूँ कि आई.पी.सी. की धारा 302 में जो हत्या करने पर जुर्म है उस धारा में भी अमेंडमेंट करनी चाहिए ताकि इस जघन्य अपराध को रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लड़कियों के लिंगानुपात को देखते हुए अभी मेवात जिले में दिल्ली की तर्ज पर विशेष तौर पर लड़कियों को सुविधा देने के लिए निःशुल्क स्पेशल बसें चलाने का जो प्रावधान किया है, वह एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले के पिछड़ेपन की वजह से शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हुआ है इसके साथ-साथ मेवात जिले में नॉर्मल पूरे नहीं होने की वजह से छोटे और बड़े स्तर के स्कूल नहीं खुल पाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नये स्कूल खोलने के लिए नॉर्मल में ढील दी जाये ताकि नये स्कूल खोले जा सकें और पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में बहुत काम करने की जरूरत है। इस संबंध में मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा सुझाव है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लड़कियों के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थान और रेजीडेंशियल स्कूल खोले जायें जिससे लड़कियों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके। यह लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लड़के तो बाहर जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माँ-बाप लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं इसलिए उनके लिए हरियाणा प्रदेश में ही अच्छे रेजीडेंशियल स्कूल खोले जायें। मेवात जिले में लिंगानुपात की दर हरियाणा प्रदेश के दूसरे जिलों से अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, आज लिंगानुपात की दर को समान करने की बहुत जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवात से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। चाहे रेवाड़ी जिले की ही बात कर लें और इस जिले के आसपास भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इसी वर्ष वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, खासकर मेवात जिले में यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है, जिससे वहाँ की लड़कियों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके तथा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान शुरू किया है वह अभियान भी सफल हो सके। अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले में जो मैडीकल कॉलेज खुला है, उसकी हालत काफी दयनीय है। उसके बारे में सदन में कल भी चर्चा की गई थी। मैं उसके बारे में फिलहाल चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं अत्यावश्यक मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। यह रिकॉर्ड की बात है कि मेवात जिले के स्कूलों में साईंस विषय की क्लासिज ही नहीं है। 12वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब तक बच्चे-बच्चियों को 10वीं और 12वीं कक्षाओं में साईंस नहीं पढ़ाई जायेगी तब तक उनको आगे मैडीकल कॉलेज आदि में

दाखिला कैसे मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मेवात जिले के स्कूलों में 12वीं कक्षा तक साईंस विषय की क्लासिज खोली जायें। ए.एन.एम और लैब टेक्निशियन के कोर्सिज में तुरन्त नौकरी मिल जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में तथा खासकर मेवात जिले में मेडीकल कॉलेज के साथ-साथ पैरा मेडीकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजिज़ वगैरह भी खोले जायें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जे.बी.टी. ट्रेनिंग के नये कॉलेज खोलने पर बैन लगा हुआ है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि प्रदेश में खासकर लड़कियों के लिए जे.बी.टी. कॉलेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार से परमीशन ली जाये। अध्यक्ष महोदय, आप और हम जिस क्षेत्र से आते हैं उनमें बहुत समानता है। आपका और मेरा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में यह बात लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जे.बी.टी. ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने का प्रयास करें ताकि हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में सरख्त से सरख्त कानून बनाये जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज मेवात जिले में सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। मेवात जिले में पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि यह एक गरीब इलाका है। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खासकर गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय में विटामिन की दवाइयाँ पोषण के रूप में दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में लेडीज डॉक्टरों की कमी है। आज गुडगांव में एक्सपोर्ट हाऊसिज और एप्रैल हाऊसिज बहुत हैं। वहाँ पर गारमेंट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि केवल मेवात के ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गुडगांव के साथ लगते रिवाड़ी, गुडगांव और फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलरिंग के सेंटर खुलवाए जाएं। इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं वर्ष 1995 में हरियाणा एक्सपोर्ट कारपोरेशन का चेयरमैन था तब हमने एक स्कीम लागू करके अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड लोगों के लिए आई.टी.आई. के पैटर्न पर सेंटर खुलवाए थे। जिनमें किसी भी उम्र का व्यक्ति या महिला चाहे वह पढ़ा-लिखा भी न हो, वह भी वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है। इनसे जो उत्पादन हो उसे सरकार खरीदे या चाहे मेवात डिवेलपमेंट एजेंसी खरीदे ताकि उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट हाऊसिज को इस बात के लिए परस्युएट किया जाए कि वे मेवात क्षेत्र में अपने सेंटर खोलें जिससे वहाँ की बहु-बेटियाँ अपने घर में रहकर टेलरिंग आदि का काम कर सकें और उन्हें कुछ कमाई का साधन मिल सके। मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। सदन से इस तरह के जॉब ऑरिएन्टेड कोर्सिज मेवात क्षेत्र में खुलवाने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं इस महान सदन से दूरखास्त करता हूँ कि एक प्रस्ताव पास करके मेवात में युनिवर्सिटी खुलवाई जाए। अध्यक्ष जी, खासतौर से मेरा और आपका क्षेत्र तो एक जैसा ही है। हम तो आपको मेवात का ही एक नुमाइन्दा समझते हैं क्योंकि मेव और गुर्जर का पहले जमाने में एक जैसा ही व्यवसाय रहा है। हमारी और आपकी पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप भी है। (विष्णु) सभी एम्प्लॉयज चाहे वे नौकरी कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं वे सभी सरकारी सिस्टम को चलाने का एक अंग हैं। उनको कैशलेस सुविधा प्रदान करने संबंधी जो प्रस्ताव मैंने दिया है उसे टेकअप किया जाए और कैशलेस सुविधा प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी, अगर उन को यह सुविधा नहीं मिली और कोई कर्मचारी बिना इलाज के ही मर गया तो फिर उसके परिवार को बाय में कुछ भी मिलता रहे उससे कोई लाभ नहीं होगा आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को लागू करने की सिफारिश करती हूँ। अगर हम सभी इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर लें और यह कल्पना करें कि यदि इस सृष्टि में महिलाएं न हों तो कैसा होगा ? महिलाओं के बगैर सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया यह मानना है कि यदि ईश्वर की कोई सबसे अनुपम रचना है तो इस धरती के ऊपर वह महिला ही है। एक लड़की महिला तो बाद में बनती है लेकिन पहले वह एक बेटी के रूप में जन्म लेती है। परिवार में जब एक लड़की जन्म लेती है और बड़ी होने पर जब उसकी शादी की जाती है तो सभी उसे भीगी पलकों के साथ विदा करते हैं। उसकी शादी में उसके निर्वाह हेतु हम रस्मो-रिवाज के साथ सभी संसाधनों का बंदोबस्त करते हैं। परंतु जिस वक्त हम भ्रूण-हत्या करते हैं तो उस वक्त हमारी आंखें मीली क्यों नहीं होती ? उस वक्त हमारी हमारी ऐसी मानसिकता क्यों बन जाती है कि सिर से बोज उतरा। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि कहीं न कहीं इसमें समाज का बदलता स्वरूप जिम्मेदार है। इसमें कई ऐसी चीजें जिम्मेदार हैं जिन्होंने आम जनता को और समाज को ऐसी दरार के बीच लाकर खड़ा कर दिया है जिनके लिए एक शब्द है 'हैव एण्ड हैव नॉट' अर्थात् किसी के पास बहुत है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। शायद उसी की बदौलत बेटियां बलि चढ़नी शुरू हो गई हैं। यह ठीक है कि यह सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी है कि वह समाज में फैलती हुई कुरीतियों और बुराईयों पर अंकुश लगाए तथा ऐसी योजनाएं लेकर आए जिसमें समाज भी अपनी भागीदारी समझे। जब बेटी का जन्म होता है और समाज में कोई कुरीति बनती है तो उसके लिए परिवार को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानती हूँ। हम लोग बहुत, खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म ऐसे समाज में हुआ है जिसमें संस्कारों की मिट्टी से ओत-प्रोत परिवार रहते हैं। हमारे समाज में एक माँ अपने संस्कारों को अपने बच्चों तक और बच्चे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हमारे समाज में महिलाओं ने बहुत सम्मानजनक पद प्राप्त किये हैं जैसे हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी भी बेटी के रूप में जन्मी। इस सदन में उपस्थित चाहे पक्ष अथवा विपक्ष में माननीय सदस्य हों या अधिकारिक वर्ग से संबंध रखती हों या ऑडियंस में बेटी महिलाएं हों वे सभी किसी न किसी घर की बेटियां ही हैं। कहा जाता है कि आमतौर पर बेटियां सांझी होती हैं। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता भी आखिर किसी घर की बेटी ही है। अगर समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर प्रयास करें तो समाज में जागृति क्यों पैदा नहीं होगी ? हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें बेटियों को बोज न समझकर उनको परिवार की धरोहर और समाज की चेतना के रूप में रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास के लिए प्रशंसा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उसने चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटों के लिए आरक्षण दिया है। हमें बेटियों के लिए कुछ ऐसी सुरक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। मैं भारत के प्रधानमंत्री और महान शक्तिशाली श्री नरेन्द्र मोदी के उस संदेश को भी याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि "संस्कारों में जियो, बेटियों को पढ़ाओ और बेटों को भी समाज में रहने की तहजीब सीखाओ!" इस सदन में पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग-अलग दलों से 90 विधायक चुनकर आए हैं। हम सब पर समाज की जिम्मेदारी है और हम पर समाज विश्वास करता है। अगर हम इस समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आएगा। आज हमारे पास समाज में बदलाव लाने का एक मौका है और हमें इसका

सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने हर जिले में बेटियों को खेल-कूद के लिए प्रमोट करना चाहिए। हमें बेटियों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे शिक्षा में आगे बढ़ सकें और इकॉनॉमिक रूप से सैल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। बेटी समाज की एक सांस है जो एक नहीं दो-दो परिवारों अर्थात् मायके व ससुराल दोनों को एक-साथ लेकर चलती है। किसी संवेदनशील बात पर शायद सबसे पहले महिला की ही आंख गीली होती है। सबसे ज्यादा दया-भाव महिलाओं में होता है। अगर हम महिलाओं को धरती से खत्म कर देंगे तो आप यह समझें कि समाज में ऐसी दुर्लभ क्वालिटीज का भी हम सफाया कर देंगे। तथा इस प्रकार से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर देंगे जिसकी गरीमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं पुरजोर अपील भी करती हूँ तथा अपने वक्तव्य में आर्थिक व राजनीतिक सुरक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ कि जितनी महिलाएं और हमारी बहनें समाज में आगे आवेंगी उतनी ही कानून व व्यवस्था उनके अनुरूप बदलती और बनती चली जायेगी। मैं देशवासियों का आह्वान करती हूँ कि पारिवारिक और सामाजिक सुरक्षा की तरफ हम सभी मिल जुलकर आगे बढ़ें ताकि अपने हरियाणा प्रदेश की शकल और सूरत को बदल सकें और इस प्रदेश पर लगे कलंक को समाप्त कर सकें। धन्यवाद।

श्री नायब सिंह सैनी (नारायणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभासदगण, आदरणीय श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का जो प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा है, मैं उस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। हमारे देश के विकास पुरुष आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 22.01.2015 को पानीपत में एक राष्ट्रीय अभियान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का शुभारम्भ किया था जिसकी अध्यक्षता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने की थी। अध्यक्ष जी, यह योजना देश के 100 और हरियाणा के 12 जिलों में इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि हम सब के लिए बड़ा चिन्ता का विषय था कि हरियाणा प्रदेश में लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 834 लड़कियों का रह गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ताओं ने भी सदन में कहा है कि बेटियों को बचाने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाएं ताकि बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सबसे पहले उनके लिए शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इकट्ठे चार-पांच गाँवों के लिए एक कन्या विद्यालय खोला जाए ताकि हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े और उन्हें अच्छी शिक्षा अपने घर के पास ही मिल सके। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बेटियों को बचाने के लिए पानीपत में प्रदेश के लोगों से एक भावनात्मक अपील की है। वहाँ पर उन्होंने एक 'शुकन्या समृद्धि योजना' का शुभारम्भ किया जिसके तहत प्रत्येक परिवार दस साल से कम उम्र की लड़की के बैंक खाते में एक हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक की राशि जमा करवा सकता है। जिस पर आयकर में छूट होगी। 21 वर्ष के उपरान्त जब वह बेटी अपनी शिक्षा पूरी करेगी और विवाह करने लायक होगी तो वह पूरी की पूरी ब्याज सहित राशि उसे मिल जायेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं एक दोहा कहना चाहूंगा :-

जीवन में खिला कमल है बेटी,

कभी चन्दा शीलल है बेटी,

शिक्षा, गुण, संस्कार रोप दो,

[श्री नायब सिंह सेनी]

फिर बेटों सी सबल है बेटी,
प्रकृति के सद्गुण सींचो,
तो प्रकृति सी निश्चल है बेटी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बेटियों को बचाने, पढ़ाने, सिखाने तथा उनको रोजगार दिलाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है। तथा सरकार द्वारा इस अभियान के माध्यम से समाज में जागृति लाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। घटना लिंगानुपात आज एक गंभीर चुनौती है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को सफल बनाने और सन्तुलित समाज का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर पर जोस प्रयास करने होंगे। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि बेटी अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। बेटी सृष्टि का मूलाधार है। बेटी संस्कृति की संवाहक है, बेटी सम्यता की पालनहार है, बेटी ईश्वर की अनुकम्पा है, बेटी एक अनमोल धरोहर है तथा बेटी देश की शान है। इसलिए बेटी को बचाने और पढ़ाने का हम सब का कर्तव्य बनता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी और जन्त का पता नहीं है लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि माँ के कदमों में जन्त होती है! आदरणीय श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी सदन में जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का प्रस्ताव लेकर आये हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस विषय में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा।

औस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ।

रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो घरों को संवारती हैं बेटियाँ।।

हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जो किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी व हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में एक संकल्प लिया था कि हम देश में बेटियों को बचायेंगे और पढ़ायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर मेरे साथ बहुत संख्या में महिलायें गई हुई थी। वहां पर उन्होंने डाक्टरों के प्रति भी अपने कुछ भाव रखे थे। उस समय माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि जो महिलायें रोटियाँ सजाकर थाली में परोसती हैं, वे भी किसी की बेटियाँ ही हैं। जब वे ऐसे शब्द कह रहे थे उस समय पूरा देश उनको देख व सुन रहा था। अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आये थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जब कोई आदमी किसी का कत्ल कर देता था और यदि किसी की बेटी ऐसे मामले में इंटरवीन करने के लिए खुद चलकर सामने आ जाती थी तो कत्ल तक के अपराध को भी माफ कर दिया जाता था। उस समय इतना मान व सम्मान बेटियों को दिया जाता था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के थानेसर की लड़कियों की समस्या के बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ स्कूलों में सुबह भी और शाम को भी क्लासिज़ लगाई जाती हैं। सर्दियों में वह दृश्य देखने वाला होता है जब धुंध पड़ी हुई होती है और घना काला अंधेरा छाया होता है। उस समय उन लड़कियों को अपने घर वापिस जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं, इस की हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इस गंभीर समस्या को देखते हुए मैं सरकार से मांग करना

चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय बनाये जाने चाहिए ताकि लड़कियों को किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गाँव से जब हमारी बेटियाँ शहरों के लिए बसों में जाती हैं तो उनको बसों में लटककर जाना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि लड़कियों के लिए स्पेशल बसें चलाई जायें। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मेरा कुरुक्षेत्र हल्का है। जिस भूमि से मैं आता हूँ वह भूमि पूरे विश्व में सम्मान से देखी जाती है। पूरे विश्व से वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि कुरुक्षेत्र शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाकर इसको सिक््योरिटी प्रूफ बनाया जाना चाहिए ताकि टूरिस्टों के साथ भी और हमारी बहन-बेटियों के साथ भी कोई क्राईम की घटना न घट सके। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी बेटियों ने शिक्षित समाज को नया रास्ता दिखाया है। ये हमारी बेटियाँ समाज को नई दिशा देने की योग्यता रखती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी माननीय सदस्यगण मिलकर इस 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को कामयाब करेंगे। अंत में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा :-

मनहूस हवाओं से बचाती हैं बेटियाँ, घर की मोहब्बतों से सजाती हैं बेटियाँ।
बेटों की मजबूरियाँ ही रहती हैं अक्सर, माँ-बाप संग हमेशा साथ निभाती हैं बेटियाँ।।

प्रो० रविन्द्र बलियाला(रतिया) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का जो प्रस्ताव आज इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं तहेदिल से इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि अध्यात्मिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचारों का सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं में पुरुषों के बराबर का सामर्थ्य दिखाने की प्रवृत्ति भी मिलती है। वह भी हम इतिहास में देख सकते हैं। मैं ज्यादा लम्बे चौड़े इतिहास में न जाकर आजादी से थोड़ा पहले के इतिहास की बात करना चाहूंगा। उस समय महिला को उसके पति की मृत्यु होने पर उसके पति के साथ जला दिया जाता था, यानि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों तथा अच्छे समाज सुधारकों ने सती प्रथा को दूर करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हमारे देश में बहुत से कवि हुए जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझने की कोशिश की। आजादी के उस संघर्ष के दौरान या उसके बाद महिलाओं के वर्चस्व और व्यक्तित्व को पहचानने और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश की गई। एक कवि ने कहा भी है -

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आँखों में है पानी।

इतनी मर्म और हृदयस्पर्शी बात हमारे कवियों ने कही। कवियों ने इसके साथ यह भी कहा है कि-

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में,
पीयूष स्त्रोत सी बहा करा, जीवन के सुंदर समतल में।

इस विषय में ये सारे अध्याय उस समय से चर्चा में रहे हैं लेकिन फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बेटियों को हम नहीं बचा पाए और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि बेटियों को मारा गया है। इसलिए इस सदन में यह प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी। हम सब के लिए यह

[प्रो० रविन्द्र बलियाला]

सोचनीय विषय है। माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विषय सदन में लेकर आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जिस विषय पर जो शुरुआत की है, वह एक सराहनीय कदम है। मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस विषय के दो पहलू हैं बेटों बचाओ और बेटों पढ़ाओ। बेटों बचाने की बात सबसे पहले आती है। मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चर्चा की है और उन्होंने अपने विचार अच्छे तरीके से सदन में रखे हैं कि किस प्रकार से समाज में बेटियों के प्रति सोच बन चुकी है। बेटियों को इतना बोझ समझा जाता है कि जब बेटों अपने घर में होती हैं तो मां-बाप अक्सर कहते हैं कि यह तो पराया धन है। इसी प्रकार से बेटों जब संसुराल में होती हैं तो यह कहा जाता है कि यह परायी बेटों हैं। इस तरीके की सोच आज समाज में बनी हुई है जिसकी वजह से ही समाज में भ्रूण हत्या जैसी बुराई पनप रही है। जब घर में बेटों होती हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका पालन पोषण कैसे करेंगे और इसकी शादी कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल शादियों में दहेज का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। लोग जब अपनी पुत्रवधुओं को तंग करने लगे और दहेज की मांग करने लगे तो समाज में लड़कियाँ बहुत बड़ा बोझ मानी जाने लगीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। यदि उन पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, समाज में ऐसे हालात बन गए हैं जिनके कारण "बेटों बचाओ, बेटों पढ़ाओ" अभियान चलाना पड़ा। इस अभियान के तहत बहुत से कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो लिंगानुपात सम्बन्धित कानून है, उस कानून में हम पूर्णतया लागू नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज एक जन आंदोलन की जरूरत पड़ी है। प्रशासनिक और कानूनी तौर पर जो कानून बनाए गए हैं उन पर अमल तो साथ-साथ होगा ही तथा जिन पर मेरे माननीय साथी चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरीके से बच्चियों को विशेष प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए लेकिन अभी जो विषय सामने है वह जन आन्दोलन का है कि इस अभियान को जन आन्दोलन कैसे बनाया जाए? मैं कहना चाहूंगा कि इसमें केवल मात्र सरकार के प्रयास काफी नहीं होंगे। ठीक है सरकार ने बच्चियों के लिए स्कूल भी खोल दिए, उनकी फीस भी माफ कर दी और उनको टैक्निकल एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था भी कर दी। लेकिन यदि हमें इस अभियान को जन आन्दोलन बनाना है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई न कोई प्रावधान करना पड़ेगा। आम जनता कौन है? सबसे पहले तो आम जनता में लड़कियों के माता-पिता आते हैं, जो लड़की से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। उसके बाद लड़की जिस गली-मौहल्ले में जाती है, वे लोग आते हैं। उसके बाद लड़की जिस गांव या शहर में रहती है, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए या वर्क प्लेस पर काम करने के लिए जाती है, वे लोग आते हैं। अंततः जब लड़की की शादी होती है और वह संसुराल जाती है, वे लोग आते हैं। इस तरह से जितने भी लोग बच्ची के जीवन से जुड़े हुए हैं यदि उन सब को भी जन आंदोलन का हिस्सा बनायेंगे तभी यह आंदोलन कामयाब हो सकेगा। इस समस्या के निदान पर बहुत से सुझाव दिए जा सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस घर में बच्ची ने जन्म लिया है, उस माता-पिता की सोच बनाई जाये कि बच्ची उन पर कोई बोझ नहीं है। उनको महिलाओं के वर्चस्व का आभास की जानकारी देने के लिए प्रेरणाप्रद लीडर उपलब्ध करवाकर, सेमिनार करवाकर तथा इस विषय से संबंधित फिल्में दिखाकर ज्ञान देना चाहिए और इन कार्यक्रमों को जन आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि बच्ची पैदा होने पर माता-पिता यह न सोचें कि बच्ची उन पर बोझ है। मेरी यह भी मांग है कि सरकार की तरफ से भी बच्ची के माता-पिता को एक पैकेज दिया जाये ताकि वे बच्ची को बोझ न समझें। इस जन आंदोलन के माध्यम से बच्ची के माता-पिता को यह समझाने की आवश्यकता है कि वे बच्ची को पराया धन न समझ कर

अपना धन समझें। इसके अलावा हमें ऐसा वातावरण भी तैयार करना होगा कि बच्ची जब स्कूल जाये तो उसके माता-पिता को यह न लगे कि उनकी बच्ची कैसे घर वापिस आयेगी ? इसी तरह से जो बच्ची के आस पास रहने वाले लोग हैं उनके मध्य भी जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है कि वे दूसरे लोगों की बच्चियों को भी अपनी ही बच्चियाँ समझें। इसी तरह से जहाँ पर बच्ची पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जाती है वहाँ के लोग यदि उस बच्ची को दूसरे लोगों की बच्ची न समझकर अपनी ही बच्ची समझेंगे तभी हम इस तरह के जन आंदोलन को कामयाब कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के नेता के सामने कुछ और सुझाव भी रखना चाहूँगा। एक तो मेरा सुझाव यह है कि लड़कियों को टैक्निकल एजुकेशन देने के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाये। इस तरह से दूसरा मेरा सुझाव यह है कि हमारी वकिंग महिलाओं के मन में यह डर बना रहता है कि उनकी ट्रांसफर कहीं दूरस्थ स्थान पर न हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि महिलाओं के लिए इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए कि उनकी ट्रांसफर घर से ज्यादा दूरी पर न हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और अंत में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन के दूसरे सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे भी इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री हरिचंद मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में घरती माता, गऊ माता, जन्म देने वाली माता और गंगा माता ये चार माताएँ हैं और हम इन सभी माताओं को मानते भी हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अच्छे संस्कार भी इन्हीं से मिलते हैं। हमारे देश में जब एक बेटा पैदा होती है तो सभी कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है। जब लड़की शादी के बाद दूसरे घर में जाती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। बहनों को छोड़कर मेरे भाईयो मुझे क्षमा करना कि जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो किसी व्यक्ति ने यह कहते हुए सुना है कि नारायण पैदा हुआ है। (हंसी) लोग यही कहते हैं कि बेटा पैदा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि शादी के बाद लड़की जब दूसरे घर में प्रवेश करती है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। लेकिन जब कभी लड़का शादी के बाद ससुराल जाता है तो क्या किसी ने यह कहते हुए सुना है कि घर में नारायण आया है। आम तौर पर यही कहा जाता है कि जमाई आया है। और यदि कोई शराब पीकर गड़बड़ी करे तो यही कहते हैं कि दूत आ गया है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, जिस घर में लक्ष्मी होती है उस घर में प्यार होता है। आखिरकार लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। परिवार का कोई भी आदमी यदि लक्ष्मी के पैरों को हाथ लगाकर घर से बाहर जाये तो मौज हीं भोज होती है। लक्ष्मी के लिए बहुत कुछ कहने योग्य है। जो कुछ भी आज मैंने इस प्रस्ताव पर सुना है वह एक-एक शब्द हीरे मोती जैसा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब हम बेटा को लक्ष्मी मानते हैं तो फिर लक्ष्मी की बेकद्री क्यों हो रही है ? हमारे समाज में दो चीजों की बेकद्री हो रही है एक तो गऊ की और दूसरी कन्या की। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर देश में, समाज में, स्टेट में, शहर में, गांव में और गली में गऊ और कन्या की पूरी कद्र हो जाये तो किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं रह सकती। अध्यक्ष जी, इस प्रकार से मैं दो शब्दों में अपनी बात कहकर आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अगर मेरे इन दो शब्दों में कहीं पर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश यादव : स्पीकर सर, श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी द्वारा देश में शिक्षा तथा महिला उत्थान के मामले में देश में हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने के लिए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना को लागू किये जाने की सिफारिश के तौर पर जो प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में चर्चा हो रही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले पानीपत में आकर राष्ट्रीय स्तर पर "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम का आह्वान किया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी इस कार्यक्रम को एक आंदोलन का रूप देते हुए इसको सफल बनाने में जुट जायें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम अपनी नानसिकता में यह बात नहीं डालेंगे कि बेटी का स्वरूप क्या है, तब तक इस विषय में कोई भी योजना शत-प्रतिशत सिरे नहीं चढ़ पायेगी। अभी हमारे माननीय बुजुर्ग साथी श्री हरी चंद मिद्दहा जी बता रहे थे कि बेटी साक्षात-लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए जब तक हम इस सत्य को अपने मन में पक्का नहीं करेंगे और अपनी आत्मा में इसको स्थान नहीं देंगे तब तक यह प्रोग्राम एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकेगा। जब तक हम यह नहीं सोचेंगे कि बेटी हमारे परिवार की शान है, बेटी इस समाज की इज्जत है तब तक इस दिशा में कुछ सकारात्मक विशेष कार्य होने वाला नहीं है। अगर यह असंतुलन हमारे समाज में इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो यह एक तरह से प्रकृति के विरुद्ध ही है और प्रकृति से जब भी किसी ने छेड़-छाड़ की है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह संस्कृति हो या चाहे वह कोई भी देश हो, प्रकृति ने उसे कभी भी नहीं बख्शा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जैसे कि आज हम यह देख रहे हैं कि हमारे समाज में लिंगानुपात का जो असंतुलन बढ़ रहा है, वह प्रकृति के विरुद्ध है और प्रकृति से बड़ा कोई भी आदमी नहीं होता है। इसलिए हमें निश्चित तौर पर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर यह असंतुलन इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो समाज में सभी प्रकार की बुराईयाँ जैसे भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, सामाजिक अपराध और पारिवारिक अपराध आदि विकराल रूप धारण कर लेंगी और यौन उत्पीड़न व बलात्कार जैसी घटनाओं से हमें शर्मसार होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इंसान एक खुदगर्ज किस्म का जीव है। हमें माँ चाहिए, बहू चाहिए और बेटी भी चाहिए। क्या कोई विचार कर सकता है कि बेटी नहीं होगी तो कल बहू कहाँ से आयेंगी, माँ नहीं होगी तो कल बेटियाँ कहाँ से आयेंगी। इसलिए "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के सिर्फ इस बारे से ही बात नहीं बनेगी। जब तक हम अपने अन्तर्मन में इस बात को धारण न करेंगे कि बेटी हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है और इस समाज की संरचना का मूल आधार है। जब तक हम इस अभियान में सफल नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि किसी स्कूल में तो इस बारे में भाषण दे कर इस बात के बारे में बलाया जा सकता है। लेकिन यह सदन है और यहाँ पर कानून बनाये जाते हैं। इस सदन में सख्त से सख्त कानून बना कर बड़ी से बड़ी बुराई को खत्म करने का संदेश दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, खाली भाषण दे कर और सुनकर काम होने वाला नहीं। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि इस बारे में हमें कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। जो लोग समाज सेवा में लगे हुये हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे समाज के जनहित के कार्यों में सतत लगे रहें साथ ही साथ मेरा आग्रह है कि हाउस यह सुनिश्चित करे कि हम किस प्रकार से भ्रूण हत्या को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, हम किस प्रकार से लोगों को इस कुकृत्य को रोकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तथा किस

प्रकार से लोगों को कानून के जरिये दंडित कर सकते हैं ताकि भविष्य में भ्रूण हत्या न हो सके। अगर हम भ्रूण हत्या को रोक देंगे तो हम समाज में बढ़ रहे इस लिंगानुपात रूपी असंतुलन को रोक सकते हैं। जहाँ तक इस बारे में कानून बनाने का सवाल है, जैसा कि आज आपने मुझे भी इस बारे में बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जायें, क्योंकि खाली भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि इस कुप्रचलन के पीछे दूसरा कारण दहेज प्रथा भी है। अतः हमें दहेज प्रथा को रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाने चाहिए। इस क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन पहले से ही काम कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे भी अपना काम जारी रखें तथा सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए जो नीतियाँ बनाई हैं उनके माध्यम से हमारे सरकारी विभाग भी कार्य करते रहें लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम दहेज प्रथा को रोकने के लिए सख्त कानून बना देंगे तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की इस बात के लिए चिन्ता मिट जायेगी कि कल को लड़की की शादी के लिए पैसा कहाँ से आयेगा। अगर यह चिन्ता मिट जायेगी तो हमारी सारी समस्या का हल हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह काम तो हमको समय रहते करना पड़ेगा। अगर यह कार्य समय पर नहीं किया गया और समाज में यह लिंगानुपात बढ़ता ही रहा तो बहुत जल्दी हमारे समाज का ताना-बाना बिगड़ जायेगा। निःसंदेह सामाजिक संगठन इस क्षेत्र में आज से नहीं बहुत लम्बे समय से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लिंगानुपात बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने इस विषय में बहुत सी नीतियाँ बनाई हैं जिनके तहत बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरी पुनरावृत्ति मांग है कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से "आपकी बेटे-हमारी बेटे" नामक योजना के तहत बेटे के जन्म पर सरकार कुछ राशि जमा करवाती है तथा उसकी 18 साल की उम्र होने पर उसे जो राशि मिलती है वह भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मां-बाप की चिन्ता दूर हो सके। इसके लिए आप आर्थिक स्थिति की एक रेखा को आधार बना सकते हैं जिसके अनुसार यह निश्चित किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति की आय उस रेखा से ऊपर है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और जिस व्यक्ति की आय उस रेखा से नीचे है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा लेकिन जब तक हम दहेज प्रथा को बन्द नहीं करेंगे अर्थात् बेटे की शादी के लिए आम व्यक्ति को निश्चिन्त नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ तब तक इस समस्या का निदान बड़ा कठिन है। हमारे देश में पहले यह धारणा थी कि 'यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'।। लेकिन आज हमें इस महान सदन में यह विचार करना पड़ रहा है कि हम नारी की शक्ति को कैसे बचा सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाए। सामाजिक संगठनों ने तो इस संबंध में काफी प्रोग्राम चला रखे हैं। किसी भी व्यक्ति को इस चिन्ता से मुक्त करना कि बेटी की शादी सरकार करवाएगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार दहेज प्रथा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये और हर वर्ग की लड़की जो आर्थिक तौर से कमजोर परिवार से संबंध रखती है, उसके लिए 4, 5, या 7 लाख रुपये का एक पैमाना तय करें कि शादी में इस राशि से ज्यादा खर्च नहीं करना है। सरकार जब तक ये जिम्मेवारी नहीं लेगी अथवा इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी मेरा ऐसा मानना है तब तक हम इस प्रोग्राम में सफल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा फंड भी खोला जा सकता है। कन्या के जन्म के बाद समय-समय पर उसके खाते में कुछ पैसे जमा कराए जाएं और बाद में यह राशि

[श्री ओम प्रकाश यादव]

कुछ सम्मानजनक राशि बन जाए। बेटी की शादी के समय पर काम आ सके जिससे हर मां-बाप की चिन्ता मिटे सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं यह भी उम्मीद करूँगा कि हाऊस इस बात पर विचार करे कि दहेज-प्रथा को रोकने के कानून में संशोधन किया जाए और कन्या की शादी में बाजिब धन राशि खर्च करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आर्थिक तौर पर परिवार की पहचान कर के शादी में खर्च करने की एक सीमा तय की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम के लिए हरियाणा को ही क्यों चुना ? उसका कारण यह था कि जब सर्वेक्षण किया गया तो हरियाणा के 12 गांव ऐसे मिले जिनमें लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अंतर था। एक तरफ तो हमें यह खुशी थी कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा के पानीपत शहर को चुना। इसके साथ-साथ हमें यह दुःख भी हुआ कि वे हरियाणा में सिर्फ इस बात के लिए आए थे कि हरियाणा राज्य में लड़कियों की बहुत कमी है। आज श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने इस सदन में एक प्रस्ताव रखा है कि "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का हरियाणा राज्य में जन आन्दोलन के रूप में प्रचार किया जाए। मैं अपने आप से ही बात को शुरू करती हूँ। हम तीन बहनें हैं तथा पिलानी में पढ़ी हुई हैं। मेरे दो भाई हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे खुद यह भी पता नहीं था कि लड़के और लड़की में क्या फर्क है ? जब मेरी शादी हुई उसके बाद हमारा पहला बच्चा होने वाला था तो मेरी सास को बड़ी चिन्ता रहती थी कि पता नहीं लड़का पैदा होगा अथवा लड़की ? मैं यह सोचती थी कि ये बार-बार इस बात को क्यों कह रही है कि पता नहीं क्या होगा ? उस टाइम तो कोई भरीनें दगोरह भी नहीं होती थी। मैं अपने आप सोच विचार कर के चुप रह जाती थी। जब रोहतक मैडिकल कॉलेज में मुझे लड़का पैदा हुआ तो नर्स ने मुझसे आकर कहा कि माता जी मिठाई खिलाओ। मैंने उस नर्स से कहा कि पहले मैं बच्चे को देखूंगी, उसके बाद मिठाई खिलाऊँगी। अध्यक्ष महोदय, यह एक तरह का भाव होता है। उसके बाद मैंने उससे कहा कि लड़का हो या लड़की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है ? मैंने इस को कभी महसूस नहीं किया। नर्स ने मुझे कहा कि आपको मेरे दुःख का पता नहीं है। वह कहने लगी कि मेरे पिता जी को कोई लड़का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम गरीबों के मसीहा ने 100 साल पहले ही इस बात को प्रमाणित कर दिया था कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, उनकी दो लड़कियाँ थी। उनमें से एक अंधी थी और दूसरी खुद मेरी सासू माँ थी। अध्यक्ष महोदय, उस टाइम भी बहुत से लोगों ने दीनबंधु सर छोटू राम से कहा था कि समाज में आपका कद बहुत बड़ा है लेकिन आपके एक भी पुत्र नहीं हैं, इसलिए आप दूसरी शादी करवा लो ताकि आपके पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करवाने से साफ मना कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तो लड़की ही लड़के के समान है। वे किसानों के हमदर्द थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जिसके हाथ में हल की मूठ है वही मेरा बेटा है। मेरा यह बात कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने इस बात को पहले ही साबित कर दिया था कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया है कि जब तक हम स्वयं इस तथ्य को स्वीकार

नहीं कर लेते तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है चाहे हम कितनी भी भाषणबाजी करते रहें। अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि हर रोज यह विषय कहीं ने कहीं चर्चा में आता है कि हरियाणा प्रदेश में आए दिन भ्रूण हत्याएं हो रही हैं तथा इस बारे में टी.वी. और समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें देखने और सुनने को भी मिलती हैं कि आज फलां जगह पर कन्या भ्रूण हत्या हुई है। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी गाँव में कूडे-ककट के ढेर के ऊपर भ्रूण को कुत्ते नोच-नोच कर खा रहे थे। जब गाँव के लोगों ने यह दृश्य देखा तो संबंधित पुलिस थाने में फोन कर दिया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर जब कुत्तों से भ्रूण को छुड़वाया तो पता लगा कि वह एक कन्या का भ्रूण था। यह बात अभी 15-20 दिन पहले की है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब तक मानसिक संकीर्णता को नहीं बदलेंगे तब तक कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह भी मानती हूँ कि भ्रूण हत्या के मामले में केवल महिला का दोष नहीं होता है। इसमें सास को भी दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसको अपेक्षा रहती है कि घर में लड़का पैदा होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं इस बुराई के लिए महिला के ससुर और उसके पति को भी जिम्मेदार मानती हूँ। उनके दिमाग में भी यही चिंता रहती है कि लड़के से ही खानदान चलता है। अक्सर लड़का खुद अपनी पत्नी से कहता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा गर्भस्थ शिशु की लिंग जाँच करा ली जाए। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस अपराध को करने में महिला का मन नहीं होता है कि वह अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लिंग जाँच करवाए। उसके बाद जब लड़का अल्ट्रासाउंड की टेस्ट रिपोर्ट घर लेकर आता है तथा अपनी माँ को कहता है कि उसकी पत्नी के पेट में तो लड़की है तब माँ और बेटा ही आपस में सलाह करते हैं कि गर्भस्थ कन्या का गर्भपात करवा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब आप ही बताएँ कि इसमें बहू धेचारी क्या कर सकती है ? चाहे वह 10वीं कक्षा तक पढ़ी हो या 12वीं कक्षा तक पढ़ी हो इस बात का कोई महत्व नहीं है लेकिन हमारे समाज में अभी तक बहू को वह दर्जा नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए था। उसके बाद गर्भस्थ कन्या का गर्भपात करवा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि पंजाब प्रदेश में तो ऐसी मशीनें आने लग गई हैं कि अब अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत ही नहीं रही है। वे नई मशीनें छोटे-छोटे मोबाईल की तरह होती हैं। जिस व्यक्ति के घर में बच्चे ने जन्म लेना होता है लिंग जाँच करने वाले लोग खुद उसके घर पहुँच जाते हैं और उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का जायजा लेकर उससे 10 हजार रुपये, 50 हजार रुपये या 1 लाख रुपये तक लेकर उसके गर्भस्थ बच्चे की लिंग जाँच कर देते हैं और साथ ही साथ बता भी देते हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की। अध्यक्ष महोदय, उन समाज विरोधी लोगों को ऐसे कुकृत्य करने से हम ही रोक सकते हैं तथा उनको यह कह सकते हैं कि आप जाओ हमें इस प्रकार के लिंग जाँच की जरूरत नहीं है। उसके बाद वे अपने आप ही वहाँ से वापिस चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपनी बेटी के पास अमेरिका गई थी। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि माँ आज भेरा अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होना है। मैंने उससे पूछा कि यह अल्ट्रासाउंड टेस्ट किसलिए करवाना है तो मेरी बेटी ने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि बच्चे के शरीर स्वास्थ्य में कोई कमी दगैरह तो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं होता है कि माँ के गर्भ में लड़का है या लड़की है। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड इसलिए होता है कि जो बच्चा समाज में जन्म लेने जा रहा है कहीं उसके अंग खराब तो नहीं हैं। अगर टेस्ट में अंग खराब पाए जाते हैं तो माँ और बाप को सलाह दी जाती है कि वे बच्चे का गर्भपात

[श्रीमती प्रेमलता]

करवा लें। अध्यक्ष महोदय, विदेशों में लोग यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा लंगड़ा, लूला, अंधा या काणा पैदा हो। इसी वजह से वहाँ पर अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड टेस्ट का दूसरा और कोई कारण नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे प्रदेश में सिर्फ लड़का-लड़की का भ्रूण चेक करने के लिए ही अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक हम लड़का और लड़की के भेद को समाप्त नहीं कर देते तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि गर्भ में लिंग की जाँच नहीं करवानी है तो अपने आप ही लिंगानुपात ठीक हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं रूस और पीटरबर्ग आदि देशों में गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि बाजार में, एयरपोर्ट पर या किसी अन्य स्थान पर औरतें ही काम करती हैं। उन देशों में एयरपोर्ट पर महिलाएँ कर्मचारी ही होती हैं जबकि हमारे देश में अधिकतर पुरुष कर्मचारी होते हैं। अध्यक्ष महोदय, रूस में चूँकि सब जगह औरतें ही काम करती हैं इसलिए वहाँ पर महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पुरुष सिर्फ फोज में ही नौकरी करते हैं। इसके अलावा जितने भी समाज के काम हैं चाहे वह दुकान हो, चाहे एयरपोर्ट हो या चाहे अन्य कोई भी स्थान हो, सभी स्थानों पर महिलाएँ ही काम करती हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी बताया कि उनके यहाँ एक परिवार में यदि ज्यादा लड़कियाँ पैदा होती हैं तो उस परिवार को ईनाम भी दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि अगर इस तरीके की बात हमारे समाज में अनपढ़ महिलाओं को बताई जायें तो उनको भी लगेगा कि लड़कियाँ पैदा होने में कोई नुकसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब वह अपनी सासू माँ के पैर छूती है तो सासू माँ आशीर्वाद देते हुए बहू को कहती है कि "दूधो नहाओ, पूतो फलो"। पूतो का मतलब लड़के से है अर्थात् यह कोई नहीं कहता है कि लड़की पैदा हो। हमारे समाज में माँ और बहन के प्रति अपशब्द कहे जाते हैं। माँ, बहन और लड़की की इज्जत करना हमारा परम कर्तव्य है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज उन्नति नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, गांवों में तो अधिकतर माँ और बहन के प्रति अपशब्द कहे जाते हैं, शहरों में भी कदाचित् ऐसे अपशब्द कहे जाते होंगे, तो मुझे इस बारे में मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैडम, शहरों में भी माँ और बहन के प्रति अपशब्द कहे जाते हैं।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, शहरों में अपशब्द कहने का तरीका तो कोई और होगा लेकिन जो अपशब्द माँ और बहन के प्रति गांवों में कहे जाते हैं, उनका बखान में इस सदन में नहीं कर सकती। भिवानी से भारतीय किसान यूनियन के नेता श्री ओम प्रकाश मान जी का मेरे पास फोन आया कि आपको मेरी लड़की की शादी में जरूर आना है। अध्यक्ष महोदय, उनके घर में 7 लड़कों के बाद जो लड़की पैदा हुई थी, उसी की शादी होने वाली थी। मैंने चौधरी बिरेन्द्र सिंह से कहा कि उस दिन उचाना कला में बहुत सी शादियाँ हैं, इसलिए मैं भिवानी में शादी में नहीं जा सकती। इस पर चौधरी साहब मुझसे कहने लगे कि आपको लड़की की शादी में जरूर जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उचाना कला की शादियों को मैं अपने आप संभाल लूँगा। जब मैं उनकी लड़की की शादी में गई तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ लड़कियों की कमी है तथा कहा कि उनके यहाँ लड़की की चाहत में लगातार 7 लड़के पैदा हुए। उसके बाद आखिरी में उनको

लड़की पैदा हुई। उनके परिवार के लिये यह बहुत ही खुशी की बात थी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लोग समाज में लड़कियों के द्वारे में बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। इसी प्रकार माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी ने बताया कि उनके यहाँ जब बेटी पैदा हुई तो खुशी-खुशी उनके माता-पिता उससे मिलने राजस्थान से खण्डीगढ़ आये।

श्री अध्यक्ष : मैडम, वही लड़की आज डॉक्टर बनी हुई है।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लोग ही समाज में एक अलग मिसाल पेश करते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अभी कमल गुप्ता जी ने बताया है कि हमारे देश में चार तरह की माताएँ होती हैं लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में दो माताओं का जिक्र नहीं किया। मैं बताना चाहूँगी कि हम अपने देश को भी भारत-माता कहते हैं और इस धरती को भी धरती-माता कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैष्णो माता, दुर्गा माता इस तरह हमारी बहुत सी माताएँ हैं, जो महिलाओं के ही नाम हैं। हम इन सब माताओं का सम्मान करते हैं। जब अपनी इच्छानुसार कोई वर आदि मांगने की बात आती है तो हम वैष्णो देवी या किसी और देवी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर यदि संतान के लिए कोई वर मांगते हैं तो हम अपने लिये बेटा ही माँगते हैं, वह वर भी तो माता से ही मांगा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी नहीं कहती हूँ कि लड़का पैदा ही न हो। मुझे यह पता चला है कि हरियाणा राज्य के अन्दर लिंगानुपात में अंतर बढ़ने के कारण कुछ लोग बिहार या मध्य प्रदेश के राज्यों से लड़कियाँ तो ले आते हैं लेकिन उनको बहू का दर्जा अथवा जो सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। यदि हम अपने प्रदेश में लिंगानुपात के रेशो को ठीक कर दें तो हमें दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं के कल्याण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन जी के मार्गदर्शन में सरकार ने 'आपकी बेटी, हमारी बेटी' नामक एक योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अन्तर्गत पहली लड़की पैदा होने पर 21 हजार रुपये मिलेंगे और लड़की शादी के लायक हो तथा साथ में ग्रेज्यूट हो तो 41 हजार रुपये मिलेंगे यदि पोस्ट ग्रेज्यूट हैं तो उसको 51 हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करने का मतलब यह है कि सरकार लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार माँ-बाप को बताना चाहती है कि लड़के व लड़की में कोई फर्क नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खेलों में हमारे प्रदेश की लड़कियाँ जैसे साईना नेहवाल, फोगाट बहनें, कृष्णा पूनिया आदि ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। कल्पना चावला जो हमारे प्रदेश का गौरव थीं उनके नाम से करनाल में एक मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। आज महिलाएँ डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, राजनीतिज्ञ, सरपंच आदि के रूप में तथा सोशल सेक्टर में भी अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले केरल गई हुई थीं, वहाँ पर मैंने सरपंचों को बुलाया जिनमें से कुछ महिलाएँ बोली कि वे सभी गांवों की सरपंच हैं। उन सरपंच महिलाओं से ही बातचीत के दौरान मुझे मालूम हुआ कि सरकार से विकास के लिये जितना पैसा आता है, वह सारा पैसा वे स्वयं खर्च करती हैं। दूसरी तरफ हमारे हरियाणा राज्य में जब सरपंच के रूप में पूनम, कमला आदि महिलाओं का नाम लेकर बुलाते हैं तो उनके स्थान पर उनका पति अधिकारपूर्वक आगे आकर खड़ा हो जाता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में महिला व पुरुष में यह फर्क आज भी देखने को मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चुनावों में जब वोट मांगने गांवों में जाती थी तो महिलाएँ पीछे की तरफ मुझे फेरकर खड़ी हो जाती थीं।

[श्रीमती प्रेमलता]

पूछने पर पता चलता था कि वो शर्माती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यदि एक महिला दूसरी महिला से ही शर्म करेगी तो कैसे काम चलेगा? इस प्रकार की हीन भावना भी परिवार से ही पैदा होती है क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है और दुनिया में पुरुषों को ही ज्यादा सम्मान मिलता है।

13-00 बजे श्री अध्यक्ष : मैडम, हरियाणा बहुत जल्दी ही महिला प्रधान प्रदेश बनने वाला है। अब तो सब जगह 70 प्रतिशत लड़कियां ही टॉप कर रही हैं।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष जी, मैं लिंगानुपात के संतुलन की बात करना चाह रही हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैडम, मैं लिंगानुपात के संतुलन के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अब लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात की ड्यूटी नहीं दी जाती है। आमतौर पर यह धारणा है कि महिलाएं चाहे पुलिस की ड्रेस पहन ले तब भी कुछ नहीं कर सकेंगी। अगर रात को इन्हें ड्यूटी पर भेजेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यह बात अलग है कि भगवान ने औरत को जिस्मानी तौर पर थोड़ा कमजोर ही बनाया है। ये भी धारणा है कि वे चाहे जुड़ों सीख लें या मुक्का मारना सीख लें लेकिन पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। कुछ दिन पूर्व कहा गया था कि औरतें अपने नाखून बढ़ा लें ताकि छेड़छाड़ करने वालों को नाखूनों से नॉच लें। यह कुदरत का नियम है कि औरतें पुरुषों के बराबर मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है, भगवान ने जिस्मानी तौर पर ही औरत को कमजोर बनाया है, लेकिन अगर पुरुषों का औरतों के प्रति खराब माइंड-सेट होगा फिर चाहे वह 2 साल, 20 साल, 40 साल या 72 साल की महिला हो उसके प्रति हिंसा रोकना मुश्किल ही होगा। अभी हमारी बहन श्रीमती संतोष यादव जी ने यह उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक पुरुष यह सोचकर नहीं चलेंगे कि यह लड़की हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है जब तक हमारे मन का भाव नहीं बदलेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अभी निर्भया कांड के आरोपी को बी.बी.सी. ने कवर किया और पूरी दुनिया ने उसका इंटरव्यू देखा। एक कहावत है Justice delayed, Justice denied. इसलिए कानून में बदलाव की भी जरूरत है। निर्भया के चार बलात्कारियों में से एक बलात्कारी ने तो आत्महत्या भी कर ली है और बाकी तीन जेल में हैं। इंटरव्यू में उस लड़के को यह कहते हुए दिखाया गया कि अगर ये विरोध नहीं करती तो उसका क्या बिगड़ जाता ? अगर वह लड़की विरोध नहीं करती तो हम उसको नहीं मारते तथा जो लड़का उसके साथ आया था हम उसे भी छोड़ देते। डॉक्टर ने उस लड़की को मारने के तरीके को देखकर यह कहा कि उन्होंने मृत्यु का इतना जघन्य रूप अपनी डॉक्टरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। समाज की मानसिकता कितनी खराब है यह उस लड़के के बयान से पता चल जाता है वह कहता है कि वह लड़की कुछ नहीं कहती तो वे उसे छोड़ देते। हमारे समाज के लड़कियों के प्रति विचार ही दूषित हैं। जिनको हमें बदलना होगा। ये विचार किसी के कहने से नहीं बदले जा सकते। जब तक देश के हर व्यक्ति के मन में यह बात न आ जाए कि इस प्रकार से जो कर रहा है वह सही नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से रिकवेस्ट करना चाहूंगा और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि जब सारा सदन सहमत है तो इस प्रस्ताव को पास कर दिया

जाए। मेरा प्रस्ताव भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। जिस पर सारे सदन को चिन्ता भी है। कुछ समय पहले जो बहनजी कह रही थी कि विधानसभा में भी महिलाओं की रिजर्वेशन कर देनी चाहिए। मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ तथा अगुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इस प्रस्ताव से सहमत है। इसके अतिरिक्त समाज से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकारी कर्मचारियों को केशलैस ईलाज की सुविधा दी जानी चाहिए। हमारी बहन जी भी कर्मचारी हैं। मेरा यह प्रस्ताव भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है। समय भी बहुत कम रह गया है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकारी कर्मचारियों को केशलैस इलाज सुविधा देने के बारे में मैंने जो प्रस्ताव दिया हुआ है उस पर दुरुस्त चर्चा की जाए। प्रस्ताव का पास होना या ना होना तो सरकार पर निर्भर करता है। अगर सरकार चाहेगी तो यह प्रस्ताव पास भी हो जाएगा। लेकिन अगर उस प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हुई तो यह प्रस्ताव की हत्या होगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए क्योंकि हरियाणा में बहुत सी महिलाएं भी सरकारी कर्मचारी हैं। मैंने सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान व रिटायर होने के उपरांत भी केशलैस इलाज सुविधा सम्बन्धी प्रस्ताव दिया हुआ है। यदि इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाई गई तो इस प्रस्ताव की हत्या सरकार के जिम्मे होगी। हम उस इलाज की सुविधा की मांग कर रहे हैं जिसका क्लास आई० ए० एस०, आई०आर०एस० अफसरों को भी होने वाला है। इस इलाज की सुविधा क्लास ३ और क्लास ४ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। आज प्राइवेट मैम्बर्ज के लिए यह बड़ा अच्छा दिन है और मेरा यह प्रस्ताव भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर अवश्य चर्चा होगी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा न करवाकर सरकार यह हत्या अपने जिम्मे न लें।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, कृपया आप बैठिये।

श्रीमती रोहिता रेवड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रस्ताव माननीय श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता जी ने इस सदन के पटल पर रखा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आज जिस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है उस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बेटे बच्चों, बेटे पढ़ाओ कल्याणकारी योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 22.1.2015 को पानीपत की धरती से की है। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराईयों से आभार प्रकट करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने राजनीति से ऊपर उठकर समाज की पिछड़ी सोच को बदलने का बहुत ही नेक कार्य किया है। मैं समझती हूँ कि इस योजना का सफल बनाने के लिए हम सबको इस धुंज में अपनी आहूति जरूर डालनी चाहिए। हमें अपने निजी और धरत समय में से कुछ समय निकाल कर लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करना चाहिए। आज हमारे देश में गरीब हर क्षेत्र में आगे हैं। वह हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। मैं यह समझती हूँ कि आज महिलाएं केवल घर-गृहस्थी तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि समाज की गलाई के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। हमारी सरकार समाज की पिछड़ी सोच को बदलने के लिए चिन्तित है। इसलिए सरकार ने लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपकी बेटे हमारी बेटे योजना के तहत पहली कन्या के जन्म पर उसके नाम 21 हजार रुपये जमा करवाने का प्रावधान किया है। जब लड़की की आयु 18 वर्ष होगी तब तक यह राशि बढ़कर एक लाख रुपये तक हो जायेगी। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। हमारी सरकार ने

[श्रीमती रोहिता रेवड़ी]

मुख्यमंत्री विवाह शुगुन योजना के तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों, टपरीवास जातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी पर 41000/- हजार रुपये तक दिये जाने का इस बजट में प्रावधान किया है। इसी प्रकार से अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रत्येक दम्पति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। हमारी ये सभी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं जिनके माध्यम से लड़के और लड़की में फर्क को खत्म करने की हमारी पूरी कोशिश है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से यह प्रार्थना करती हूँ कि सरकार द्वारा आयोजित इन सामाजिक कार्यों के लिए हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का साथ देना चाहिए। अन्त में मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी कि-

हीरा होता है बेटा तो मोती होती हैं बेटियां,

माँ-बाप का मान होता है बेटा तो अभिमान होती हैं बेटियां।

एक कुल का दीपक होता है बेटा तो दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

डा० कमल गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी व सभी सभासद बहनों और भाइयों, **खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुन्देले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी।** जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी इस ने सदन में रखे हैं उसके लिए मैं दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। आज का विषय है **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।** इसके बारे में मैं यह कहता हूँ कि हम सभी लोग अपने समाज और घरों में बहुओं को उचित स्थान देंगे तो बेटी बचेगी। बेटी बच भी जाती है और बेटी को पढ़ा भी दिया जाता है लेकिन ससुराल में जो उस बेटी का आशा के विपरीत जो हाल होता है उसको देखकर समाज में एक विचार उत्पन्न होता है कि बेटी घर में पैदा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह बेटी जब एक दिन बहू बनेगी तो अपनी ससुराल में दुःख पायेगी। बेटी को क्यों पसंद नहीं किया जाता है ? हमें इसके कारणों को भी खोजना पड़ेगा। जब बहू को ससुराल वाले दुःख देते हैं तो माँ-बाप बेटी को अपने घर वापिस लाकर उसकी संभाल करते हैं। बेटियों को पसंद नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है-ससुराल में बहु की दुर्दशा। इस बारे में सभी माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीनों पर लिंग चेक करने वाले डाक्टरों दोषी हैं। आज पूरे समाज का ध्यान डाक्टरों पर केन्द्रित हो रहा है और देश में कानून बन रहा है कि डाक्टरों को फांसी दी जानी चाहिए। यह ठीक है कि डाक्टरों भी दोषी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वे भ्रूण हत्या के अनुपात को बढ़ाने का केवल एक अंग ही हैं। यह एक सामाजिक समस्या है जिसके और भी कई पहलू हैं। टी.वी. पर अमिताभ बच्चन एक एडवर्टाईजमेंट में बोरो प्लस को फैकले हुए कहते हैं कि **पुत्रवती भवः।** यह क्या है ? समाज में पुत्र को पाने की लालसा नहीं तो और क्या है ? हमारे घरों में भी जब बहुएं हमारे पैर छूती हैं तो सामान्यतः हम भी कह देते हैं कि **पुत्र व पती भवः, सौभाग्यवती भवः।** हमारी माताएं व सासू-माताएं भी उनके पाँव छूने पर कह देती हैं कि **दूधो नहाओ, पूतो फलो।**

तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़भागिन हो,
भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो।

रावण ने छल करते हुए सीता माता के प्रति भी दूधो नहा और पूतो फल की बात की थी। जब पुत्र पैदा होता है तो किन्हीं समाज के लोग भी बधाई देने के लिए आते हैं लेकिन पुत्री पैदा होने के अवसर पर वे नहीं आते हैं। इस प्रकार से समाज के अंदर ऐसी कई प्रथाएं प्रचलित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी बहनें अपने पतियों की दीर्घायु के लिए "करवा चौथ" का व्रत रखती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं भी अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखता हूँ। (हंसी) यह भावनाओं का सवाल है। मैं पूछना चाहूंगा कि केवल पत्नियाँ ही अपने पतियों के लिए व्रत क्यों रखें ? मैं चाहता हूँ कि यह व्रत पतियों को भी रखना चाहिए। मैं तो आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि कई ऐसे पति भी होते हैं जो घर में किचन में अपनी पत्नियों के साथ काम करके उनका सहयोग करते हैं। जब हम मन से बराबरी की बात करते हैं तो उस बात पर अमल भी होना चाहिए। जैसे कि बहन प्रेमलता जी ने बताया, हमारी बेटा भी अमरीका में है। उसका जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट आई कि उसके पेट में लड़की है और वह स्वस्थ है। इसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी के समय भी जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब भी बताया गया कि मेरी बेटा के पेट में लड़की है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह तो मानसिकता की बात है। मेरी बेटा की भी दो बेटियाँ हैं और उसकी जेटानी की भी दो बेटियाँ हैं। उस घर में आज 4 पोटियाँ हो गई हैं लेकिन मेरे समझी और समझन के मस्तक पर मैंने एक प्रतिशत भी कोई ऐसा निराशाजनक भाव नहीं देखा कि उनके घर में 4-4 बेटियाँ हो गई हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समाज के अंदर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यदि सोच नहीं बदलेंगे तो भले ही कितने भी कानून क्यों न बना लें हम अपने प्रयोजन में आगे नहीं बढ़ पायेंगे क्योंकि सारी चीजें कानून के डर से लागू करना संभव नहीं हैं। "बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ" के जिस विषय पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है, उसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। जहां तक इस बारे में एक्ट बनाने की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि पहले ही एम.टी.पी. एक्ट बना हुआ है। हम तो कहते हैं कि अध्यात्मवाद में हम विदेशों से आगे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम कहां आगे हैं ? अमरीका, दुबई और अन्य देशों में किसी भी प्रकार के टेस्ट पर बैन नहीं हैं। वहां तो टेस्ट भी होते हैं और डॉक्टर खुलेआम लिखकर अपनी रिपोर्ट भी देते हैं उसके बावजूद वहां पर एक भी भ्रूण हत्या नहीं होती है। (विघ्न) मैं संबंधित विषय पर ही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई पश्चिमी सभ्यता या समाज किसी क्षेत्र में हमसे आगे है तो उनका वह सद्गुण हमें भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उनसे सीख लेनी चाहिए। इस सदन में भगवानों की बात भी चली। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां नवरात्रे आते हैं, 3-3 देवियाँ हैं, दुर्गा माता हैं सरस्वती माता विद्या की देवी है। जैसे आमतौर पर जब कोई अच्छी वाणी मुख से निकलती है तो हम कह देते हैं कि सरस्वती माता उसके मुख पर बैठ गई। इसके साथ ही लक्ष्मी माता की बात तो हम यहां पर कर ही रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का कहां वर्णन नहीं होता है ? शिवाजी महाराज को बचपन में उनकी माताजी ने ही शिक्षा दी थी। हर घर में माता होती है। भगवान ने सोचा मुझे हर घर में उपस्थित होना चाहिए तो कैसे संभव हो **so he created mothers to show his presence in every house.** मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि हम

[डा० कमल गुप्ता]

बेटी ही नहीं रखेंगे तो माता कहां से आयेगी ? इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले ताकि हमें इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता ही न पड़े। हमारी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। हम अपनी मानसिकता कठोर कानूनों के डर से बदलेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है।

पंजाब विधान सभा के एम.एल.एज़ का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पंजाब विधानसभा के तीन सदस्य राणा गुरजीत सिंह, सरदार रमनजीत सिंह और सरदार सुखविन्द सिंह रंधावा जी सदन की वीई.आई.पी.गैलरी में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है, निःसंदेह उसके विरोध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है तो मैं समझता हूँ कि वह इंसानियत के खिलाफ है। (विष्णु) कांग्रेस के हमारे साथी वाक आउट कर गए। हरियाणा प्रदेश की जनता समझती है कि वे किस विषय पर गम्भीर हैं, यह उनका मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आज प्रदेश के अंदर भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। जो गर्ल चाइल्ड रेफर्यो है आज वह बहुत गंभीर विषय बन गया है। आज प्रदेश में 1000 के पीछे 879 लड़कियां ही बची हैं जोकि एक गंभीर विषय है। इस विषय के ऊपर जिस तरीके से सदन में चर्चा हो रही है, यह तरीके काबिल हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि भविष्य में लड़कियों को किस तरीके से बचाना चाहिए। इस चीज का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरियाणा में मेवात जिला है जहां 1000 के पीछे 907 लड़कियां हैं जो हरियाणा में सबसे ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी लड़कियों को ऐसा माहौल नहीं देंगे जिसमें वे अपनी भावनाओं और अपनी बात को रखने के लिए आजाद न हो तब तक हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारी लड़कियां जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं तो उन्हें अच्छे स्कूलज़, अच्छे कालेजिज़ और रास्ते में आने जाने के लिए अच्छी ट्रान्सपोर्टेशन व्यवस्था मिलनी चाहिए क्योंकि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो मां बाप को अक्सर चिंता हो जाती है कि उनकी बच्ची जो स्कूल कालेज गई है, वह ठीक-ठाक वापिस आएगी या नहीं या पता नहीं रास्ते में उसको किस तरह के माहौल से गुजरना होगा। सरकार को सोचना होगा कि जब लड़कियां स्कूल, कालेज या नौकरी के लिए घर से निकलें तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए ताकि आने जाने में वे चबराहट महसूस न करे। अध्यक्ष महोदय, हमारे कुरान शरीफ में एक आयत है जिसमें अल्ला ताला ने फरमाया है कि जब अल्ला खुश होते हैं तो बरसात होती है लेकिन जब अल्ला-ताला बहुत खुश होते हैं तो लड़कियां पैदा होती हैं। यह इस्लाम की धारणा है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान में बार बार बात होती है कि हिन्दुस्तान दूसरे अन्य मुल्कों के मुकाबले बैकवर्ड है लेकिन हिन्दुस्तान की सभ्यता और राजनीति हमेशा अग्रणी रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पता नहीं पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान की सभ्यता पिछड़ती जा रही है। मैं इस बात का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि

सन 1205 में रजिया सुल्तान हिन्दुस्तान की सुल्तान बनी थी जोकि एक महिला थी और उससे पहले किसी और देश में इस तरह का प्रावधान नहीं था। आज अमरीका को सब कहते हैं कि अमरीका अग्रणी देश है लेकिन आज तक अमरीका में कोई भी महिला अमरीका की प्रेजिडेंट नहीं बनी हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी है। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की जरूरत है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको हम किस तरीके का माहौल दे रहे हैं। अगर हम महिलाओं के ऊपर क्राइम की बात करें तो आज हमारे प्रदेश में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले अधिक अपराध हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में हर 8 घंटे में एक हत्या हो रही है और हर 12 घंटे में एक बलात्कार का केस हो रहा है। पिछले दिनों जब केन्द्र में और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारे यहां पर अनुसूचित जाति के चैयरमैन श्री पी.एल. पूनिया जी प्रदेश में आये थे तथा उन्होंने हरियाणा प्रदेश को बलात्कारी प्रदेश की संज्ञा दी थी जो हमारे प्रदेश के लिए बड़े शर्म और दुख की बात है। इसी तरह से हमारे प्रदेश के अंदर 2003-2004 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह से वर्ष 2009 में जहां दलितों के खिलाफ 303 मुकदमें दर्ज किए गए थे वही 2013 में 493 मुकदमें दलितों पर दर्ज किए गए। यह हमारे प्रदेश के बدهाल कानून व्यवस्था के कारण होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें एक मत होकर इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गऊ हत्या और गौ-संरक्षण के लिए प्रस्ताव रखा गया तथा सख्त कानून बनाया गया है उसी तरह से भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि भ्रूण हत्या के लिए जो डॉक्टर या माता-पिता दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और अंत में एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 6 साल से लगातार विधायक हूँ आज पहली बार मैंने नॉन आफिसियल डे देखा है इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ।

श्री हरविन्द्र कल्याण : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो यह अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या से लिंगानुपात में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मौसम की मार पड़ती जा रही है तथा वातावरण में संतुलन बिगड़ा हुआ है जिसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, इसी प्रकार से लिंगानुपात में भारी अंतर के कारण भी गंभीर परिणाम आ रहे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि कन्या भ्रूण हत्या बंद नहीं हुई तो समाज के अंदर बहुत से मधुर और प्यारे रिश्तों की भी हत्या होने वाली है। मैं जब गहराई से इस विषय पर सोचता हूँ तो मुझे आंशका होती है कि अगली पीढ़ी में मौसी और साली ये दो रिश्ते समाप्त हो जायेंगे। क्योंकि इन दोनों रिश्तों के लिए दो बेटियों की जरूरत होती है और आज समाज एक बेटी को भी मारने का काम कर रहा है। फिर किस तरह से साली और मौसी के रिश्ते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मुबारकवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 22 जनवरी को पानीपत में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान की शुरुआत की है। इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी इस विषय पर काफी रुचि दिखाई है और हमारी सरकार कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर बहुत गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात सोचने वाली यह है कि कन्या भ्रूण हत्या की नौबत क्यों आती

[श्री हरविन्द्र कल्याण]

है ? इस बारे में मेरा यही कहना है कि जब तक हम अपने समाज की सोच को नहीं बदलेंगे और लोग बेटियों को भोजन मानेंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भाई जाकिर हुसैन जी ने बताया वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। जब मेरे बेटे हुई उस समय मैं लोगों को मिटाई खिला रहा था और जब मैं साथ वाले कमरे में मिटाई देने गया तो वहां पर मुझे कहा गया कि मुबारक हो आपके बेटा हुआ है। मैंने कहा अरे भाई पता तो कर लो मैं लड़की पैदा होने की मिटाई खिला रहा हूँ। इससे बढ़कर भी मेरे साथ एक वाक्या हुआ जिसे मैं अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं एक बेटे का बाप हूँ। बेटे के जन्म से पहले मैंने यह तय किया था कि पहली बार मैं ही बच्चे के रूप में मुझे जो भी ईश्वर की तरफ से वरदान के रूप में प्राप्त होगा उससे सहर्ष स्वीकार करूंगा तथा केवल मैं एक ही बच्चा रखूंगा। इस प्रकार से मुझे पहली बार में ही एक बेटे प्राप्त हुई लेकिन वह बचपन में ही बीमार हो गई और एक ऐसा समय आया कि उसका ईलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि अब शायद यह न बच पायेगी। उसके ईलाज पर भी उस समय बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला था। उस समय मुझे एक बहुत ही सीमित डॉक्टर ने डॉक्टर बंधाते हुए समझाया और राय दी कि कल्याण साहब क्यों इसके ईलाज पर इतना खर्च करवाते हो क्योंकि यह लड़की है अगर इसका जीवन नहीं भी रहा तो आपको दूसरे बच्चे की प्राप्ति हो जायेगी। इस प्रकार श्री जाकिर हुसैन भाई की बात से आगे बढ़कर मैं इस समाज की सोच को आज इस सदन में रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समस्या का हल केवल और केवल स्कीम बना देने मात्र से ही होने वाला नहीं है। इस अभियान की सभी स्कीमों में तभी हमें पूरा फायदा देंगी जब इन स्कीमों के साथ-साथ हम अपनी सोच को भी बदलेंगे। मैं समझता हूँ कि जहां तक सरकार के स्तर की बात है, सरकार को भी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए क्योंकि इस देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस प्रकार के कुप्रचलन चल रहे हैं। हमारे पास अक्सर इस प्रकार के टेलीफोन आते हैं कि उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है इसलिए हम ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को कहें कि वह उन्हें छोड़ दे और जब उस टेलीफोन करने वाले से पूछा जाता है कि आपको सिपाही ने क्यों पकड़ लिया है तो उसके द्वारा यह बताया जाता है कि हैलमेट न पहनने के कारण ही उसे सिपाही ने पकड़ लिया है तो ऐसे में मैं तो उस टेलीफोन करने वाले को यही कहता हूँ कि हैलमेट पहनने में उसी का फायदा है न कि सिपाही का या किसी और का क्योंकि अगर आपने हैलमेट पहना हुआ है और कहीं दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में आपके प्राणों की रक्षा हो जायेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हमारी सोच बन गई है। मेरी भांग है कि इस प्रकार की बुराईयों से समाज को बचाने के लिए तथा इनकी रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कानून बनाये जाने चाहिए। यह बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कानून सख्त होंगे तभी दोषी काबू आ सकते हैं और अगर कानून सख्त नहीं होंगे तो वे काबू नहीं आयेंगे। श्री जाकिर हुसैन भाई ने इस संदर्भ में बहुत सी अच्छी बातें रखी हैं कि लड़कियों के लिए प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए, आईटीआईजो होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूँ इससे पहले तो अभी और बहुत कुछ कार्य होना बाकी है। अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय सदस्य यहां से उठकर चले गये हैं। मैंने महासचिव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए भी इस बात को रखा था कि आपको यह जानकर हैरानी होगी मेरे घरोड़ा हल्के में लड़कियों का स्कूल डबल शिफ्ट में चल रहा है

और जब सर्दियों में दूसरी शिफ्ट खत्म होती है तो उस समय बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और वह दृश्य देखने वाला होता है जब आधा धरौंडा शहर अपनी बच्चियों को लेने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उस स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं बन सकी और आज कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण छोटी-छोटी बातों पर इस सदन से वॉक-आउट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण केवल और केवल दो कारणों से सदन से वॉक-आउट करते हैं एक तो जब यहाँ पर इनकी कमियाँ गिनवाई जाती हैं उस समय ये अपना मुँह छिपाने के लिए सदन से वॉक-आउट करते हैं और दूसरे जब इनका घाय पीने का मन होता है, उस समय ये सदन से वॉक-आउट करते हैं। मैंने इन लोगों को हंसते-मुस्कुराते हुए यहाँ से निकलते हुए देखा है और साथ में यह कहते हुए भी सुना है कि चलो घाय भी पी लेंगे और अखबार में वॉक-आउट की खबर भी छप जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर महिलाओं को सम्मान देने की भी बात हुई। माननीय मिट्टू जी ने सदन में इस विषय पर अपनी बात रखते हुए चार माताओं का जिक्र किया है। यह तो हमारी संस्कृति का द्योतक है। श्रीमती प्रेमलता जी ने भी उसमें दो और एडीशन की हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण इस समय यहाँ पर बैठे होते तो यह बात भी पक्की है कि वे उसमें एक और माता का नाम जुड़वाने की जरूरत बात करते लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी बात और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि जिस दिन हम अपनी बेटियों के लिए शिक्षा का समुचित बंदोबस्त कर देंगे और उनके सम्मान व सुरक्षा की पूरी गारंटी लेंगे उस दिन से हमारी बेटियाँ बोझ नहीं रहेगी और जब हमारी बेटियाँ बोझ नहीं रहेगी तो घर-घर में कल्पना चावला पैदा होंगी तथा मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तब हमारे प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या भी नहीं होगी। स्पीकर सर, मैं केवल एक बात और कहता हूँ कि इस विषय के ऊपर हमारा क्या दायित्व बनता है उस पर हमें विस्तारपूर्वक गम्भीर चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। स्पीकर सर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री परमिन्द्र दुल : स्पीकर सर, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी के प्रस्ताव पर यहाँ पर जितनी चर्चा हुई है, उन सब बातों को न दोहराते हुए इस अभियान की सफलता हेतु मेरे कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जब तक महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए एजुकेशन और टेक्नीकल एजुकेशन के लिए उनके नजदीकी क्षेत्र में प्रबन्ध नहीं किया जायेगा तब तक इस अभियान को कामयाबी मिलना असंभव है, फिर चाहे इसके लिए हम यहाँ पर कितने भी प्रस्ताव पास कर लें क्योंकि जब एक बेटा गाँव से शहर में पढ़ने आता है उसके माता-पिता को तब तक चिंता रहती है जब तक वह वापिस घर नहीं आ जाती। दूसरे, अकेली लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में आने-जाने के लिए जब तक सरकार की तरफ से कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया जायेगा तब तक इस अभियान का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। इस अभियान की सफलता के लिए सबसे पहले देहाती क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज और टेक्नीकल कॉलेज खोले जाने चाहिए क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने 10 साल में शिक्षा की इतनी बेकद्री की कि शिक्षा का बंडा गर्क कर दिया। प्रदेश में इतने ज्यादा बी.एड और बी.टैक. कॉलेज खोल दिये गये हैं कि आज उन बच्चों को कहीं पर भी किसी प्रकार का रोजगार मिलना सम्भव नहीं है। इससे पहले जब हमारे बच्चे एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र में पढ़ कर जाते थे तो उनको साथ ही साथ नौकरी मिल जाती थी। इस लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पैसे देकर डिग्री देने का जो काम चल रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए तथा देहाती क्षेत्रों

[श्री परमिन्द्र दुल]

में सरकारी कॉलेज और टेक्नीकल कॉलेज खोले जाने चाहिए। मेरी यह भी मांग है कि जब तक हम उन बेटियों को नहीं पढ़ावेंगे, उनको पढ़ाई का उचित वातावरण नहीं दे पायेंगे अर्थात् जब तक सरकारी कॉलेज नहीं खुल जाते तब तक उसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारी बहन-बेटियों को भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जिस प्रकार प्राइवेट कॉलेज में अपने स्कुर्ट्स को आने-जाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए 8-10 गांवों का रूट बना कर, उनके लिए बस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जो लड़कियों को कॉलेज लेकर आये और वापस घर छोड़ कर आये ताकि उनको सुरक्षित वातावरण मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में एक चर्चा चली थी कि विधान सभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस पार्टी से सम्बन्ध रखता हूँ जिसने महिलाओं को टिकटों के बंटवारे में तथा संगठन में अपने आप 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। उस 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू हुये आज 20-25 साल हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुल साहब, महिलाओं के लिए यह 33 प्रतिशत आरक्षण टिकटों के बंटवारे में है या संगठन में मिलने वाले पदों में है ?

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, मैं टिकटों के बंटवारे और संगठन में मिलने वाले पदों दोनों के बारे में कह रहा हूँ। नौकरियों में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए महिला पुलिस की संख्या लगभग 25 प्रतिशत और बढ़ाई जाये तथा जब तक महिला पुलिस संख्या इस अनुपात में नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक यह अभियान पूरा नहीं होगा। मेरे यही चन्द सुझाव थे, इनको उक्त प्रस्ताव के समर्थन में शामिल कर लिया जाये। धन्यवाद।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी इस सदन में एक ऐसे विषय पर प्रस्ताव लेकर आये हैं जो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक, सभी धर्मों और सभी क्षेत्रों की सीमाओं से ऊपर है। हरियाणा की यह वह धरती है जिसे हरी का प्रदेश भी कहा जाता है और जिसके लिए कहा जाता है कि "देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाणा।" यह वह महाभारत की धरती है जहाँ एक औरत के सम्मान की रक्षा के लिए इस संसार का भीषणतम युद्ध हुआ। द्रौपदी की भरी समा में जो बेइज्जती की गई थी केवल वही महाभारत के युद्ध का असली कारण बनी। वह धरती जिस पर नारी के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, आज उस धरती के ऊपर इन नारियों को भिटाने के लिए कुत्सित प्रयास किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं व पुरुषों के लिंगानुपात का संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। इस बारे में आज मेरे कई मित्रों ने आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं। किसी ने 877, किसी ने 834 और किसी ने 879 लड़कियों प्रति हजार की संख्या बताई है लेकिन वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 5-10 आगे पीछे हो सकते हैं। वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 857 का और भारत में 1000 के पीछे 908 लड़कियों का आंकड़ा है। बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा इस लिंगानुपात के अन्तर में 19वें नम्बर पर है। सरदार जसविन्द्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हुये हैं इनकी विधान सभा क्षेत्र में एक लोटनी गांव है। बड़ा हर्ष होता है जब ऐसे गांव का समरण या जिक्र आता है। उस गांव में 1000 पुरुषों के ऊपर 1900 महिलाएं हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कृपया ऐसे-ऐसे ग्राम चिह्नित कराएँ जहाँ पर महिलाओं का अनुपात 1000 से ऊपर है उनको एक विशेष योजना के साथ जोड़ा जाए और उनको अनुदान की राशि ज्यादा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि इस सम्बन्ध में वे कुछ करेंगे।

श्री असीम गोयल : सर, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी आश्वासन दिया है कि इस बारे में सरकार बड़ी गम्भीरता से सोचेगी। आज इस सदन में हम 90 लोग हरियाणा की ड्राई करोड़ जनता का प्रतिनिधि हैं। जैसे मुझे पहले माननीय सदस्या बहिन सीमा त्रिखा जी ने कहा कि हर क्षेत्र व हर धर्म के व्यक्ति ने हमारे ऊपर सोचकर यह विश्वास करके हमें यहां पर चुन कर भेजा है। अगर हम सब 90 लोग आज यह संकल्प ले लें कि हम इस अभियान को राजनीतिक स्थितियों से ऊपर उठकर बड़े मनोभाव से आगे बढ़ाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी ने कहा है *Charity begins at home*. और अभी बहन प्रेमलता जी व मेरे बुजुर्ग साथी श्री हरिबंद मिश्रा जी ने एक बात कही कि हमारे देश की जो पहचान है, हमारे देश की जो संस्कृति है, वह गऊ, गंगा, गौरी और गीता है। इस प्रकार की जो बातें सदन में कही गई हैं वे कहीं न कहीं महिलाओं व महिला-शक्ति से जुड़ी हुई हैं। श्री हरविन्द्र कल्याण जी रिश्तों की बात कर रहे थे। धात्सल्य शब्द माँ के लिए बना है। स्नेह शब्द बहन के लिए बना है तथा समर्पण शब्द पत्नी के लिए बना है। जिम्मेवारी का अहसास और स्नेहपूर्ण भावना हम बेटी के लिए कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सभी माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी-अपनी जीवन की घटनाएं बताई हैं। मैं भी अपनी एक निजी घटना को आपके सामने बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक बेटी है। वर्ष 2008 में मुझे बहुत ज्यादा ज्वर हो गया था और प्रदर्शन के दौरान मेरे शरीर में कई दिक्कतें आई थीं। दो साल पहले भी जब मेरे शरीर में उसी तरह के सिस्टम्स की रिपिटिशन हुई तो मुझे ज्वर के अन्दर मुर्छा आ गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके माथे पर ठण्डे पानी की पट्टियां रखी जाएं तो इसका ज्वर कम हो जाएगा। हमारे घर के अन्दर मेरी माता है, पत्नी है और बेटी है। जैसे ही शाम हुई तो माता जी का जो संघ्या आरती का नित्य-कर्म है वह तो उसके लिए चली गई और पत्नी को अपने चुहल्ले चौके की जिम्मेवारी का अहसास हुआ, वह खाना बनाने के लिए चली गई। लेकिन मेरी बेटी वहीं पर बैठी रही। लगभग रात 9 बजे के करीब जब मुझे होश आया मैंने तो देखा कि मेरी बेटी मेरे माथे पर ठण्डे पानी की पट्टियां रख रही हैं। जैसे ही मैंने कहा कि बेटी आप यहां पर हो तो उसने कहा पापा जी आपको होश आ गया और यह कह कर उसका गला भर आया। मैंने पूछा बेटी आप कब से यहां पर बैठी हो ? वह कहने लगी कि पापा जी सुबह से मैं यहां पर बैठी हुई हूँ। मैंने पूछा बेटी क्या आपने कुछ खाया तो उसने कहा पापा जी, जब आप सुबह से बेहोशी की हालत में हो तो मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ ? मैं इस बाल को दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि जो इस रिश्ते की पवित्रता है वह इस रिश्ते का अहसास है वह किसी और रिश्ते में नहीं मिल सकता। हमारे यहां जब बेटी पैदा होने वाली थी तो सारे परिवार को यह उम्मीद थी कि बेटा पैदा होगा। सबने अपनी तरफ से नाम भी सोच लिया था कि बेटे का नाम "अंश" रखेंगे। जब बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बिटिया पैदा हुई है तो मैंने तुरंत अपने पिता जी को कहा कि पिता जी, हमारी बेटी का नाम अंशिका है। हम सब ने भगवान से अंश मांगा था भगवान ने हमें उससे भी बढ़कर अंशिका दी है। आज मुझे गर्व की अनुभूति है कि मैं एक बच्ची का पिता हूँ। मुझे कभी भी यह अहसास नहीं होता है कि मुझे बेटा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रन्थों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि औस को तथू मंदा आखिए, जिस जन्मे राजान"। यह गुरुबाणी में भी कहा गया है। माताओं की कोख में बड़े-बड़े राजाओं ने जन्म लिया है। इस धरती पर बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजा और देशभक्त पैदा हुए। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में

[श्री असीम गोयल]

एक से बढ़कर एक व्यापारी और नेता हुए हैं लेकिन इन सभी को एक माँ ने ही जन्म ही दिया। अध्यक्ष महोदय, आज समाज में रहने वाले लोग इस कोख के दुश्मन बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, एक पिता की ज़ायरी में लिखा हुआ था कि -

"मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसकी शादी नहीं होती।

मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी सांस टूट नहीं जाती।।"

अध्यक्ष महोदय, बेटी को जब इस बात का पता चलता है कि मेरे मायके में दिक्कत आ गई है तो वह तुरन्त अपने ससुराल में सास, ससुर या पति से कोई बहाना करके अपने मायके में पहुँच ही जाती है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ओर बड़ी विडंबना की बात यह है कि एक नैशनल रिपोर्ट के माध्यम से रूरल एरिया के अंदर लिंगानुपात की दर 949 है और अर्बन एरिया के अंदर यह दर 929 है। अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वे इस पाप को करने में अधिक भागीदार हैं। वे लोग मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वे लोग ही इस पाप को ज्यादा करते हैं। मेरे इस संबन्ध में कुछ सुझाव हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा सुझाव यह है कि भ्रूण हत्या के आपराधिक मामलों को ट्रायल हेतु सामान्य अदालतों में न भेजा जाये बल्कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अन्दर भेजा जाए मेरा यह भी सुझाव है कि इनका निपटारा तुरन्त होना चाहिए जैसा कि माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद जी ने भी कहा है। हमारी सरकार ने गौ-हत्या के कानून को कठोरता से लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करूँगा कि इस देश के अंदर भ्रूण हत्या प्रतिरोधक कानून को भी कठोरता से लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार सख्त से सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक समाज में ये घटनाएँ होती रहेंगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु सब डिविजन लेवल पर एक महिला थाना और एक महिला पी.सी.आर. वैन जरूर होनी चाहिए क्योंकि इव टीजिंग की जो घटनाएँ आजकल समाज के अंदर बहुत बढ़ रही हैं, उनके ऊपर अंकुश लगेगा। अध्यक्ष महोदय, "जननी सम्मान योजना" चलाई जानी चाहिए। जिससे लड़की पैदा करने वाली माँ का सम्मान बढ़े। अध्यक्ष महोदय, प्रशासन की तरफ से आईडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि किन-किन माताओं ने बेटी को जन्म दिया है तथा सरकार का कोई अधिकारी/कर्मचारी उनके घर जाकर उनको इस स्कीम के बारे में समझाकर आये और एक प्रशंसा पत्र भी देकर आये। अध्यक्ष महोदय, हम वेदों और पुराणों में पढ़ते थे कि कन्यादान इस संसार का सबसे बड़ा दान है। जब कन्या ही नहीं होगी तो कन्यादान कहाँ से करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना का शुभारम्भ किया था। सभी माननीय सदस्यों ने इस सदन में "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान पर बर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में आकर कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते बेटियों के लिए भीख माँग रहा हूँ। बेटियों को कोख में न भारे, इसके लिए मैं हरियाणावासियों से भीख माँग रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने ऑब्जेक्शन किया था कि डॉक्टरों को नेम नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि डॉक्टर मन में यह भाव ले आये कि वे भविष्य में भ्रूण हत्या करने में बिल्कुल भी सहभागी नहीं होंगे तो हम लगभग 80 प्रतिशत इस कुरीति को रोक सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टरों के बारे में कहा था कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या को अंजाम देकर शाम

को अपने घर जाते हैं तथा गेज पर खाने से सजी हुई थाली उनके सामने आती है तो उस थाली में एक माँ की ममता, एक बेटी का स्नेह, एक बहन का स्नेह और पत्नी का शर्मपण छुपा होता है। ये सब महिलाएँ ही हैं। अध्यक्ष महोदय, हम बच्ची के भ्रूण की हत्या करने के बाद उसी महिला द्वारा बनाई गई रोटी को किस प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं ? इस लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब तक डॉक्टरों के अंदर बेटी बचाने की भावना नहीं आयेगी तब तक इस देश में भ्रूण हत्याएँ होती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इस महान् सदन में अपनी बात को पूरा करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बेटी बचाने व बेटी पढ़ाने संबंधी जिला प्रशासन के माध्यम से एक संकल्प पत्र सभी गाँवों में गेजना चाहिए, मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध भी करता हूँ कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिये सरकार कठोर से कठोर कदम अवश्य उठाये। अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जिसे हमारे माननीय साथी श्री सुभाष जी पहले ही कह चुके हैं लेकिन फिर भी मेरा बोलने का मन कर रहा है।

"ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ,
स्पर्श अगर खुदरा है तो रोती है बेटियाँ।
बेटा अगर चिराग है एक घर का,
दो-दो कुलों की शान होती है बेटियाँ।"

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के इस प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री टेकचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान पर बोलने का समय दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। आज सदन में एक ऐसा गार्मिक विषय आया है जो दिल को अन्दर से छू जाता है। माननीय सदस्य श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" का जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है उससे हम सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं। बेटी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। रक्षा बंधन और गैसा दूज के त्यौहारों पर जिन घरों में बेटियाँ नहीं होती है, उन घरों में क्या हालत होती होगी, इस बात से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारी सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के अन्दर जो कार्य किये जा रहे हैं और जो नियम बनाये जा रहे हैं, चाहे वे गऊ हत्या को रोकने के बारे में हों या बेटियों को बचाने और पढ़ाने के बारे में हों वे वाकई बड़े सराहनीय हैं। इन कार्यों को हम ही नहीं बल्कि आगे थाली पीढ़ियाँ युगों-युगों तक याद रखेंगी। मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से अपने-अपने विचार रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी तीन बेटियाँ हैं और मैं फख के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने आपको किसी भी तरीके से कम नहीं आंकता। जब मुझे कोई भी छोटी-मोटी परेशानी होती है तो मेरी बेटियाँ बेटों की तरह हमेशा मेरा सहयोग करती हैं। आज मैं उन्हीं बेटियों की शुभकागनाओं की बदौलत ही इस महान सदन का सदस्य हूँ। (इस समय मेजें धपधपाई गईं।) हमारे प्रदेश की बेटियाँ जिनमें शशी लक्ष्मी बाई, सुचिता कुपलानी, पी.टी.ऊषा, कल्पना चावला, सानिया नेहवाल आदि शामिल हैं, सभी ने हरियाणा का नाम बहुत ऊँचा किया है। अध्यक्ष महोदय, आज हम बेटों की तो कल्पना करते हैं लेकिन अक्सर अपने देखा होगा कि हमारे अधिकतर बुजुर्गों की क्या हालत दयनीय है क्योंकि उनके बेटे बुढ़ापे में उनका साथ नहीं देते हैं लेकिन इसके विपरीत बेटियाँ अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिला कर हमेशा आगे

[श्री टेक चन्द शर्मा]

खड़ी रहती है। "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम बेटीयों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमें आगे चलकर बेटीयों को बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। जिस समाज में बेटीयाँ पढ़ लिख जाती हैं, उस समाज का दर्जा अपने आप बढ़ जाता है जिसका हमें गर्व होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का शुभारम्भ करते हुए लोगों को शपथ दिलाई थी तथा बेटीयों के लिए भीख भी माँगी थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विषय के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश को चुना है। उन्होंने हरियाणा राज्य में आकर जो संकल्प दिलाया था वही संकल्प आज इस पवित्र सदन में दोहराया जा रहा है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जन आंदोलन को बढ़-चढ़कर आगे बढ़ाएं। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने इस विषय पर बहुत सारी बातें कही हैं। मेरे माननीय साथी जो मेरे दाएं ओर बैठते हैं, मुझे लगता है कि या तो यह विषय उनकी समझ में नहीं आया अथवा वे इस विषय से जान-बूझकर भटकना चाहते थे इसलिए वे सदन से उठकर चले गए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा 9 मार्च, 2011 को मेरे विधान सभा क्षेत्र पृथला में एक महिला कॉलेज की घोषणा की गई थी लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक वह महिला कॉलेज केवल घोषणा बनकर ही रह गया है। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि सरकार का पिछला कार्यकाल 4 साल से भी ज्यादा का रहा है। इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा भी क्रियान्वित नहीं हुई है। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कुछ विषय समझ नहीं आते हैं या उन पर उनके कार्य करने की इच्छा नहीं होती है तो वह इसी तरीके से बहाना बनाकर सदन से उठकर चले जाते हैं। उनको मैं प्रेस के माध्यम से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह जो सदन से वॉक आउट करने का तरीका चल रहा है वह ठीक नहीं है। हाँ, यदि कोई ऐसा विषय हो जिसकी वजह से उनका सदन में बैठना वाकई बहुत मुश्किल हो गया हो तब तो वॉक आउट करना ठीक लगता है लेकिन अगर वे अपने नाम की लड़ाई लड़कर सदन से चले जाते हैं तो यह बात ठीक नहीं है। कानून की परिपाटी के अनुसार ही सदन चलना चाहिए। हमें केवल कानून के तहत जो सही है वही कार्य करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार कोई भी गलत काम नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मेरा एक सुझाव है कि ग्रामीण आंचल के अंदर वुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। जिसमें बच्चियाँ पढ़-लिखकर अपना भविष्य बना सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लोग अक्सर कहते थे और मुस्लिम भाईयों में भी एक धारणा थी कि आज बेटीयों की इज्जत नहीं है। लेकिन इस बात को केवल के निवासियों ने अप्रमाणित कर दिया जिसके लिए मैं उन को मुबारकबाद देता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक खंदवाली गांव है जो फरीदाबाद जिले के अन्दर आता है। इस गांव में हजार लोगों के पीछे 1120 बेटीयाँ हैं। मैं उस गांव के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सभासदों, मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर हम सभी 90 सदस्य यह संकल्प ले लेते हैं और वाकई हम इस बात पर चिंतित हैं कि हमने इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो कुछ भी असम्भव नहीं है तथा यह अभियान सफल होकर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर दहेज प्रथा सबसे बड़ी कमजोरी रही है। किंतु अगर हम लोग

बच्चियों के प्रति आस्था और विश्वास में कमी न आने दें तो यह कुरीति अवश्य दूर हो सकती है। दहेज प्रथा के प्रोत्साहन का सबसे बड़ा कारण मां-बाप की इच्छा है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए और सुखी रहे क्योंकि बेटी के प्रति मां-बाप को बहुत चिंता होती है। इस सदन में जितने भी साथी मौजूद हैं अगर वे दृढ़ निश्चय कर लें कि वे न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बेटियों के प्रति आस्था और विश्वास में बढ़ोतरी होगी और हमारी सरकार का जो उद्देश्य जिसमें श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इस सदन में प्रस्ताव रखा है उसमें हम अवश्य सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में पुरजोर सिफारिश करता हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सुभाष बराला (टोहाना) : माननीय अध्यक्ष जी और सभी माननीय सभासदों 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। इस अभियान की शुरुआत देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्वयं पानीपत में आकर हरियाणा और देश की जनता के सामने की थी। यह प्रस्ताव इस सदन में हमारे माननीय विधायक श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी ने सुन्दर शब्दों में रखा है। बाकी सभासदों ने भी बेटी बचाने का जो महत्व समझा है और जिस प्रकार से बेटियों की कमी के कारण एक बहुत बड़ी चिन्ता आज समाज में व्याप्त है उसके अनुरूप बहुत ही सुन्दर शब्दों में सदन में अपने विचार रखे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मानना है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर इस बेटी बचाने के अभियान को मजबूती के साथ गति दी जाए ताकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और इस सदन को जिस समाज की जरूरत है उसकी प्राप्ति हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो प्रस्ताव सदन में रखा गया है उसकी पंक्तियों में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। उस प्रस्ताव में यह पंक्ति जोड़ी जाये कि यह सदन "माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान का हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले से शुभारम्भ करने के लिए धन्यवाद करता है और यह सदन राज्य सरकार से देश में शिक्षा तथा महिलाओं के उत्थान के लिए जन आन्दोलन के रूप में हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरे राज्य में इस योजना को लागू किये जाने की भी सिफारिश करता है।" आदरणीय अध्यक्ष जी मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव को इस रूप में ही सदन में रखा जाए और पास किया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हाँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव दिया है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सदन का समय थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आपके प्रस्ताव को अगले विधान सभा सत्र में टेक अप कर लेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आपको आज किसी भी माननीय सदस्य को बैठने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी जिससे साफ जाहिर होता है कि सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है कि जल्दी से यह प्रस्ताव पास करके तथा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के उपरान्त मेरा जो कैशलेस से संबंधित प्रस्ताव है आपकी अनुमति से उसको भी सदन में टेक अप कर लिया जाए। सर, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव जो महिलाओं को भी कवर करता है, क्या यह प्रस्ताव वेन्टीलेटर पर रहेगा या इसकी भूण हत्या आज ही हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आपके इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा अवश्य करवायेंगे लेकिन इसको अगले सत्र में ही टेक अप कर पाएंगे।

14.00 बजे **श्री रामचंद्र कांबोज (रानिया)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का जो प्रस्ताव आज इस सदन में रखा है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम सभी सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' का अभियान चलाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, जैसे भूण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानून बनाया गया है, मेरी सरकार से अपील है कि वैसे ही दहेज प्रथा के लिए भी सख्त कानून बनाया जाये। इसके अतिरिक्त मैं एक विशेष बात और कहना चाहूंगा कि आज समाज के अंदर वेश्यावृत्ति की एक गंदी कुप्रथा चल पड़ी है जिसमें गरीब लड़कियाँ गरीबी के कारण अथवा किसी और कारण से संलिप्त हो जाती हैं। इसके लिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस वेश्यावृत्ति की इस गंदी कुप्रथा को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाये, एक संगठन समिति बनाई जाये तथा इन गरीब लड़कियों को वेश्यावृत्ति के इस गंदे प्रचलन से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाये ताकि भविष्य में समाज को इस कलंक से बचाया जा सके। मैं मानता हूँ कि किसी की सपोर्ट के बिना वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं मिल सकता है चाहे वह राजनीतिक सपोर्ट हो अथवा प्रशासनिक सपोर्ट हो। मेरे मन में जो यह विचार आया था कि इन गरीब लड़कियों को मजबूरन वेश्यावृत्ति के धंधे में संलिप्त होना पड़ता है, उसको रोकने के लिए कोई प्रावधान होना ही चाहिए, वह मैंने सदन में रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मूल चंद शर्मा (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का जो प्रस्ताव आज इस सदन में रखा है यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव

है जिसके बारे में इस सदन में सभी माननीय साधियों ने अपने विचार रखे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज से 30 साल पहले समाज में बेटियों की संख्या कम नहीं थी। कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसमें दो-दो शादियाँ न हुई हो चाहे हमारे चाचा की शादी की बात हो अथवा हमारे दादा की शादी की बात हो। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ और हिन्दुस्तान प्रगति की ओर आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे बेटियों की संख्या कम होने लगी। बेटियों का सम्मान आज से नहीं त्रेला युग व द्वापर युग से होता रहा है, चाहे वह सम्मान त्रेता युग में माता सीता के नाम से रहा हो, सती मंदोदरी के नाम से रहा हो अथवा हिन्दुस्तान की देवियों के नाम से रहा हो। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी तथा धर्म की जीत हुई और द्रौपदी का सम्मान बढ़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ-जहाँ बेटियों का सम्मान हुआ है वहाँ-वहाँ प्रगति हुई है। पहले सभी लोग कहते थे कि यह हमारे गाँव की बेटों है, यह हमारे गाँव की बुआ है, उनका बहुत सम्मान हुआ करता था। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा कि डॉक्टरों को मौत की सजा दी जाये या और कुछ कर दिया जाये। इससे तो उल्टे और अपराध बढ़ेगा। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, गाईंभारे को समाज के अंदर बढ़ाना होगा। हमारे मन में यह संकल्प होना चाहिए कि बेटों को बचायेंगे, पढ़ायेंगे और उसको आगे बढ़ायेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज माता-पिता को आमतौर पर यह चिंता रहती है कि उनकी बेटों जब स्कूल में पढ़ने के लिए जायेंगी तो वह सुरक्षित वापिस घर आयेंगी अथवा नहीं आयेंगी? अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज सिस्टम में दो बच्चों का कानून बना दिया गया था। उस समय आदमी को यह चिंता हो गई थी कि मैं सरपंच बन पाऊँगा या नहीं, मैं ब्लाक समिति का मੈम्बर बन पाऊँगा या नहीं क्योंकि पंचायती राज सिस्टम में दो बच्चों का कानून बना दिया गया था इससे भी लिंगानुपात के रेशो पर असर पड़ा। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसको बेटा हो और बेटे के चक्कर में बेटियों की भ्रूण हत्याएँ होती रहीं जिसके कारण लिंगानुपात का रेशो कम होता गया। आज भेवात में जो बेटियों की संख्या ज्यादा है उसका एक कारण यह भी है कि भेवात में बच्चों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है जबकि हमारे यहाँ पर यह पाबंदी है इसलिए जब तक ये दो बच्चों की पाबंदी खत्म नहीं होगी तब तक लिंगानुपात का रेशो नहीं बढ़ पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एन.सी.आर. में रहता हूँ। हम 90 विधायक यहाँ पर बैठे हैं और हम सब के रिश्ते नाते एन.सी. आर. में होते हैं। एन.सी.आर. में शादियों पर बहुत खर्चा होता है। लोग 8-8 या 10-10 करोड़ रुपया अपने बच्चों की शादी में खर्च करते हैं। हर आदमी कहता है कि फलां व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी में इतना रुपया खर्च कर दिया है तथा वह अपनी बेटों की शादी में इतने रुपये खर्च करेगा। यह मां बाप के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है जब बेटों कहती है कि फलां व्यक्ति ने अपनी बेटों की शादी में मर्सडीज गाड़ी दी है, फलां व्यक्ति ने यह गाड़ी दी है और किसी व्यक्ति ने समझ में दो करोड़ रुपया दिया है इस पर मां बाप कहते हैं कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है और फलां घर तो बड़ा घर है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार दहेज भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हमें रोकना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज महिलाओं के लिए 25 परसेंट आरक्षण की जरूरत नहीं है बल्कि जिस घर में बेटा नहीं है तथा केवल एक बेटों या दो बेटियों ही हैं उनके लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार को नौकरी देने का प्रोवीजन करना चाहिए इससे बेटियों को बढ़ावा मिलेगा और बेटियों को इस प्रदेश में सम्मान भी मिलेगा। आज आदमी समझता है कि मेरी बेटों को पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी महिलाओं के लिए आरक्षण में प्रोवीजन करने की जरूरत नहीं है बल्कि

[श्री गूल चन्द शर्मा]

जरूरत नहीं है बल्कि जिस घर में केवल लड़कियां ही हैं उनके लिए आरक्षण की जरूरत है। यदि हम ऐसा करेंगे तो बेटियों को सम्मान मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार बेटियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत पैसा खर्च करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 तारीख को देश में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के जन आन्दोलन की शुरुआत की। आज हम विधानसभा में भी इस जन आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हम गांवों की पंचायतों में तथा शहरों में यह जन आन्दोलन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि कानून की बजाय आन्दोलन ज्यादातर असर कारक होता है। यदि इस आन्दोलन का खूब प्रचार और प्रसार होगा तो प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा तथा पूरे प्रदेश का विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजे : जी हाँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री बख्शीश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। आज श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बारे जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा चल रही है। जो लोग इस कार्यक्रम की चर्चा में भाग लेने की बजाय आज यहां से उठकर चले गए हम उनका शुक्राना करते हैं क्योंकि वे इस बात के इच्छुक ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बातें तो बहुत आई हैं लेकिन कुछ बातें इसमें नहीं आ सकी जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारी धरती गुरुओं की और पीरों की धरती है। इस धरती पर बहुत जुल्म भी हुए हैं। हमने माता गुजरी देवी जी का नाम नहीं लिखा जो पीष महीने की रात में अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को लेकर टंडे बुर्ज में रही थी। इस सदन में 1984 के दंगों की उन माताओं का जिक्र नहीं किया गया जिनके सामने उनके नौजवान बच्चों के गले में टायर डालकर उनको आग लगा दी गई। उस मां का जिक्र भी नहीं किया गया जिसके सामने उसके छोटे छोटे बच्चों झुझार सिंह और फतेह सिंह को उस फतेहगढ़ साहिब की धरती पर दीवार में चिनवा दिया गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा बहुत बढ़िया नारा है। चर्चा के दौरान उस मां का नाम भी नहीं आया जिस मां के गले में उसके बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके हार पहनाया गया था। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े जुल्म हुए हैं। मुगलों के शासनकाल के समय में जो अत्याचार किए गए, उनके बारे में भी कोई बात नहीं की गई। इसी तरह से आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंडितों को फकड़ कर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। उस समय वे जाकर गुरु साहेब जी के आगे

रोये। उन्होंने कहा कि गुरु साहेब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हो। उस समय गुरु जी ने उनको कहा था कि आपकी रक्षा मैं करूंगा लेकिन आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस पर उन्होंने कहा कि गुरु साहेब आपसे ज्यादा कुर्बानी कौन दे सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा वंश कुर्बान कर दिया। गुरु जी ने अपने आपको कुर्बान कर दिया, अपनी मां को कुर्बान कर दिया। इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है। इन बातों से हमें सीख लेनी चाहिए और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हमारे विपक्ष के साथियों ने ऐसी-ऐसी जगह अपने नेताओं के स्टेचू लगाये हुए हैं जहां पर कोई मतलब नहीं बनता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बँकाक जाने का अवसर मिला था वहां मैंने देखा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का स्टेचू लगा हुआ था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कौन सी कुर्बानी दी है जो उनका वहां पर स्टेचू लगाया है? अध्यक्ष महोदय, उन गुरुओं और शहीदों के स्टेचू लगाने चाहिए जिन्होंने देश के लिए और धर्म के लिए बलिदान दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आज के इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए केशलैस बीमा स्कीम पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था लेकिन आपने इस प्रस्ताव को अगले सेशन में रखने के लिए कहा है। सर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पर सरकार की तरफ से आश्वासन भी चाहते हैं कि केशलैस मैडिकल सुविधा कर्मचारियों के लिए शुरू की जाए। मेरे पास उन गवर्नमेंट्स के डाक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने अपने यहां यह पॉलिसी लागू कर रखी है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, कर्नाटक सरकार, वैंस्ट बंगाल सरकार ने यह पॉलिसी अपने यहां लागू कर रखी है और हमारे वित्तमंत्री जी ने भी अपनी बजट स्पीच में इसको लागू करने की बात की है। इस सम्बंध एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है। हम चाहते हैं कि सरकार थर्ड सारा रिकार्ड ले लें जिसको मैं देने के लिये तैयार हूँ और उस पर सरकार अपना जवाब दे दें। इससे कर्मचारियों और सरकार दोनों का हित है। केशलैस स्कीम लागू न करने का मुकसान यह है कि यदि किसी कर्मचारी को अचानक हार्ट अटैक हो जाये तथा उसे अचानक अच्छे हास्पिटल में ईलाज के लिए ले जाना है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह ब्याज पर पैसे लेकर भी ईलाज करवाता है। उसके बाद वह मैडिकल रिम्बर्समेंट के लिए मैडिकल बिल प्रस्तुत करता है तब कहीं जाकर उसको मैडिकल क्लेम का भुगतान किया जाता है लेकिन अगर केशलैस स्कीम शुरू कर दी जायेगी तो कागजी कार्यवाही भी कम हो जायेगी और अनावश्यक खर्चा भी बचेगा। इसके अतिरिक्त जो बीमा कंपनीज केश लैस बीमा करती हैं वे हास्पिटल्स के साथ टाई-अप रखती हैं। मैंने अमी अपने घुटनों को आपरेट करवाया था। उस पर 4 लाख रुपये लगे। उसके बाद मुझे विधान सभा से 75 प्रतिशत रिफंड मिला। यदि मैं केश लैस स्कीम के तहत आप्रेशन करवाता तो यह खर्चा 2.50 लाख रुपये ही होता क्योंकि बीमा कंपनी हास्पिटल से टाई-अप रखती हैं। इससे सरकार के पैसे की भी बचत होगी और कागजी कार्यवाही भी कम होगी। मैं इस प्रस्ताव को एडमिट करने की बात कर रहा हूँ ताकि हमारे कर्मचारियों को फायदा हो सके।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जायज विषय उठाया है। इसमें कुछ प्रोसीजरल इम्प्लीकेशंस हैं। माननीय सदस्य सरकार के ध्यानार्थ यह मुद्दा लाये हैं, यह मुद्दा निश्चित रूप से विचार करने वाला है। इस पर सरकार विचार कर लेगी।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री दुल साहब ने यह मुद्दा उठाया है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना जवाब दिया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कैश लैस स्कीम कोई नई चीज नहीं है। भारत सरकार ने भी इसको लागू किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज ने इसको लागू करते हुए इसके आब्जेक्टिव में लिखा है कि-

1. To provide comprehensive medical care facilities to the Central Government employees/pensioners and members of their families.
2. To avoid cumbersome system of reimbursement of medical expenses to the employees/pensioners.

अध्यक्ष महोदय, यदि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होती है तो हम इस बारे में कल कॉलिंग अटेंशन मोशन दे देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कल उस पर चर्चा करवा ली जाए और मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे दें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि यह विषय विचाराधीन है, इसलिए इस पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जाकिर हुसैन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दे दी है कि यह विषय विचाराधीन है इसलिए अब इस पर अभी चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, कृपया हमारे इस प्रस्ताव को कॉलिंग अटेंशन मोशन के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाये तथा जैसा कि हमने सुझाव दिया है, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी की तरफ से गवर्नमेंट का रिप्लाई आ जाये।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है इसलिए इस विषय पर अब चर्चा करवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप कृपया करके बैठ जाइये। अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी, अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" का जो अभियान है इससे सम्बंधित मेरे प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया है, बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिये हैं तथा अपनी सहमति जाहिर की है। जो अमेंडमेंट श्री सुभाष बराला जी ने पेश की थी उसको मानते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ -

"कि यह सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले से शुभारम्भ करने के लिए धन्यवाद करता है। यह सदन राज्य सरकार से देश में शिक्षा तथा महिला उत्थान के लिए जन आंदोलन के रूप में हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरे राज्य में इस योजना को लागू किये जाने की सिफारिश करता है।"

मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

"कि यह सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

अभियान का हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले से शुभारम्भ करने के लिए धन्यवाद करता है। यह सदन राज्य सरकार से देश में शिक्षा तथा महिला उत्थान के लिए जन आंदोलन के रूप में हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरे राज्य में इस योजना को लागू किये जाने की सिफारिश करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

"कि यह सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ अभियान का हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले से शुभारम्भ करने के लिए धन्यवाद करता है। यह सदन राज्य सरकार से देश में शिक्षा तथा महिला उत्थान के लिए जन आंदोलन के रूप में हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरे राज्य में इस योजना को लागू किये जाने की सिफारिश करता है।"

श्री अध्यक्ष : संशोधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाता है।

(संशोधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक कल दिनांक 20 मार्च, 2015 को सुबह 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.17 बजे (तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 20 मार्च, 2015 को सुबह 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

